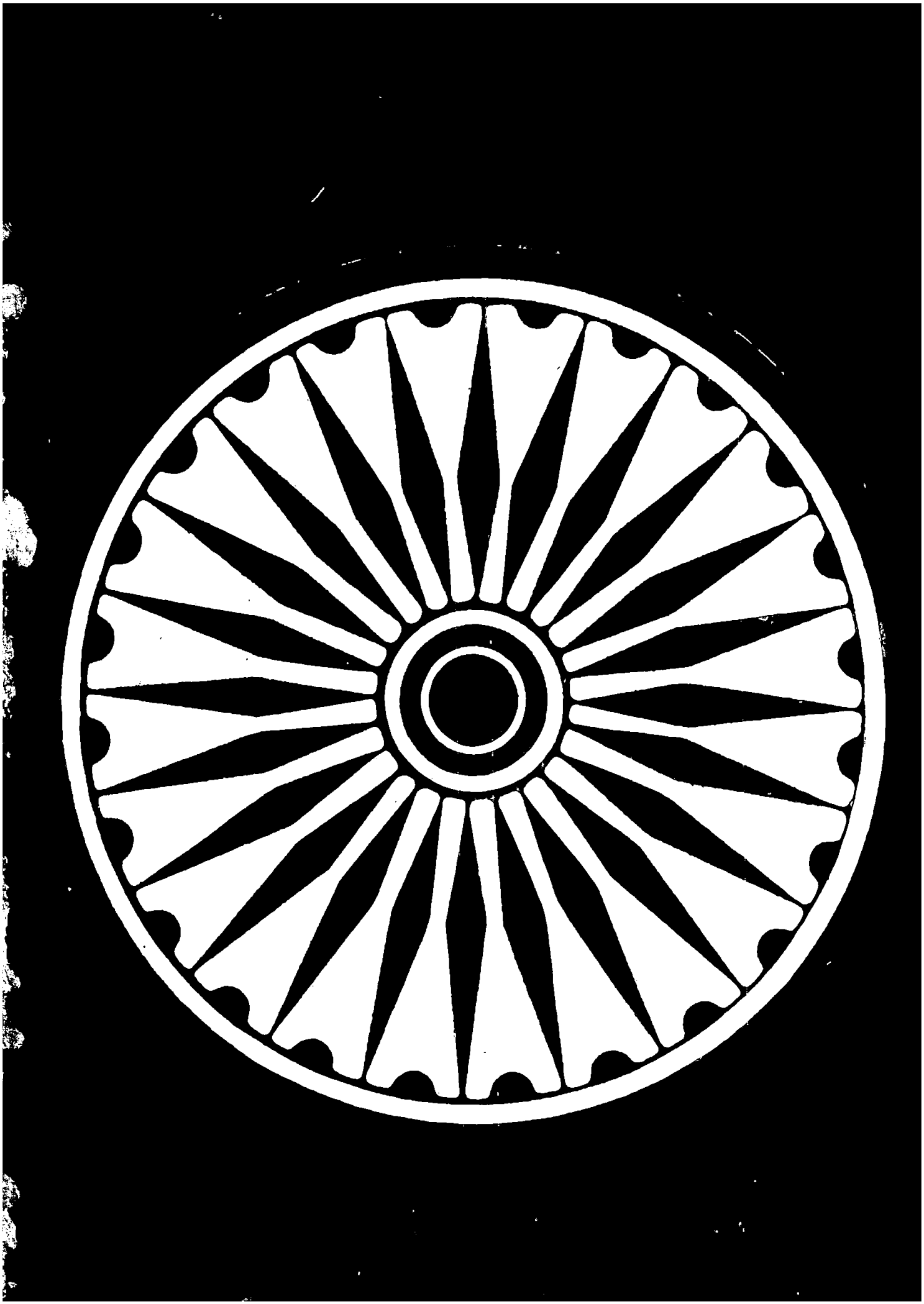

संदेश

उपराष्ट्रपति, भारत
नई दिल्ली
मई 6, 1978

यह हर्ष की बात है कि राजभाषा विभाग की ओर से संघ सरकार में हिन्दी के व्यापक प्रयोग के संबंध में जो प्रयत्न हो रहा है उसके प्रचार-प्रसार के लिए "राजभाषा भारती" का दूसरा अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है। मैं समझता हूँ कि इस पत्रिका द्वारा न केवल लोगों को यह जानकारी ही सुलभ होगी कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हमारी क्या उपलब्धियाँ हैं, वरन् हिन्दी के प्रयोग के लिए लोगों में उत्साह भी जागृत होगा।

पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

ब० दा० जत्ती

रक्षा मंत्री, भारत
नई दिल्ली
दिनांक 9 मई, 1978

राजभाषा विभाग की ओर से संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में किए जा रहे प्रयत्नों के लिए "राजभाषा भारती" नामक एक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हो चुका है, यह जानकर प्रसन्नता है।

भारत बहुभाषी देश है। इसी कारण यहाँ भाषा समस्या का कुछ जटिल हो जाना स्वाभाविक है। हिन्दी का मूल स्रोत संस्कृत होने से यह भारत की अधिकांश भाषाओं के अधिक निकट है और देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली और समझी जाने के कारण सम्पर्क भाषा का स्थान अधिक सरलता से ग्रहण कर सकती है। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि हिन्दी में देश की दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य यदि अहिन्दी भाषी जनता अपने हाथ में ले ले तो यह कार्य अधिक सरलता और शीघ्रता से हो सकेगा और फिर यह संघ की ही नहीं अनेक प्रदेशों के काम-काज की भाषा भी बन सकेगी।

आशा है, "राजभाषा भारती" इसी प्रकार के लक्ष्य को सामने रखकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य करने का प्रयास करेगी।

मेरी शुभकामना है कि पत्रिका अपने लक्ष्य में सफल हो।

जगजीवन राम

○○○

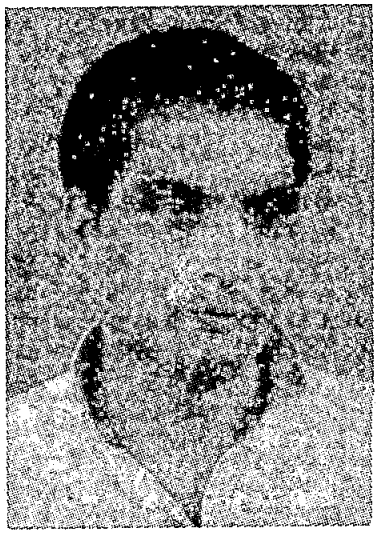

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री,
भारत
नई दिल्ली
दिनांक : 11 फरवरी, 1978

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत सरकार का राजभाषा विभाग हिन्दी के प्रयोग को सरकारी कामकाज में बढ़ावा देने के लिये अभियान के रूप में "राजभाषा भारती" नामक एक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। मुझे आशा है, सरकारी कर्मचारियों को अधिकाधिक कामकाज हिन्दी में करने के लिए इस पत्रिका के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी। मैं इस पत्रिका की उपयोगिता एवं सफलता के लिये अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

पुरुषोत्तम कौशिक

○○○

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष–1 अंक–2 जुलाई, 1978

संपादक

राजमणि तिवारी

उप संपादक

हरिहर प्रसाद द्विवेदी

पत्र-व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
23-24 बाबा खड़कसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001

फोन नं० 382522, 384144

[निःशुल्क वितरण के लिए]

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

अपनी बात	—संपादक	4
वर्तमान सरकार की राजभाषा नीति	—श्री धनिक लाल मंडल	5
हिन्दी के विकास में अन्य भाषाओं की भूमिका	—श्री रमाप्रसन्न नायक	7
हिन्दी के प्रचार, प्रसार और विकास में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का योगदान	—प्रो० हरवंश लाल शर्मा	8
संसदीय राजभाषा समिति—सदस्यता और कार्यक्षेत्र	—श्री रामप्रसाद मणि त्रिपाठी	11
हिन्दी शिक्षण योजना की नई पाठ्य पुस्तकें और उनकी प्रशिक्षण विधि	—डॉ० अमर बहादुर सिंह	14
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी के विकास के लिए किए जा रहे कार्य	—डॉ० गोपल शर्मा	18
संघ शासन के कामकाज में हिन्दी की स्थिति	—श्री हरिबाबू कंसल	21
केन्द्रीय हिन्दी समिति के प्रमुख निर्णय	—संपादक	23
हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर शिक्षा—पुस्तक लेखन में प्रगति	—डॉ० परमेश्वरदीन शुक्ल	27
क्या हिन्दी राजभाषा एक वोट से हुई ?	—श्री ब्रज किशोर शर्मा	30
राजभाषा नियम, 1976 - सार	—संकलित	32
योजना आयोग में हिन्दी की प्रगति	—श्री मदन भगीरथ शर्मा	33
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हिन्दी		35
हिन्दी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें		36
मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक तथा विधिक शब्दावली में एकरूपता		37
हिन्दी कहां और कितनी ?		38
केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित कार्यालय		39
देवनागरी के टाइपराइटर		40
पाठकों की सम्मतियाँ		41
समाचार		44

अपनी बात :—

13 अप्रैल, 1978 को केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक के अवसर पर समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने "राजभाषा-भारती" के प्रवेशांक का विमोचन किया था। पत्रिका के इस अंक का सरकारी क्षेत्रों तथा हिन्दी के विद्वानों द्वारा अच्छा स्वागत हुआ है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ा है। राजभाषा विभाग अपने सीमित साधनों से इस पत्रिका के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है। पत्रिका की साज-सज्जा सुधारने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, फिर भी इसे और रुचिकर, आकर्षक तथा सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

प्रवेशांक में मुख्य रूप से राजभाषा विभाग के कार्यकलाप और राजभाषा हिन्दी की सांविधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। घोषित नीति के अनुसार इसमें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों आदि में राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का भी विवरण दिया जाना है। इस बार शिक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान तथा योजना आयोग आदि के कार्यों के संबंध में सामग्री दी जा रही है।

जैसा कि आप जानते हैं, जनता सरकार की राजभाषा नीति किसी पर हिन्दी लादने की नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस बार गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल का एक विशेष लेख भी प्रकाशित किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्तमान सरकार की राजभाषा संबंधी नीति वही है जो पिछली सरकार की थी। वर्तमान सरकार राजभाषा के संबंध में सांविधानिक उपबन्धों, यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 की व्यवस्थाओं का ईमानदारी से पालन करने का प्रयास कर रही है। आशा है पाठकगण राजभाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में हमें अपना सक्रिय सहयोग देते रहेंगे।

—संपादक

भारत सरकार की राजभाषा नीति

धनिक लाल मण्डल
गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार

□□□□

भारत विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों का संघ है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए सभी राज्यों की भाषाओं को अपनाना संभव नहीं है और इसके लिए किसी एक भाषा को ही अपनाया जा सकता है। स्वतंत्रता के पहले यह भाषा अंग्रेजी थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान में यह व्यवस्था की गई कि हिन्दी संघ की राजभाषा होगी। यह उचित भी था क्योंकि हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो देश के सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी और बोली जाती है। संघ की भाषा न सिर्फ राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है वरन् यह देश की संपर्क भाषा के रूप में भी काम आती है। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि अंग्रेजी, जो कि एक विदेशी भाषा थी और बहुत ही थोड़े लोगों द्वारा समझी जाती थी, को हटा कर देश के जनसामान्य की समझ में आने वाली सरल भाषा हिन्दी को अपनाया जाए। लेकिन, हिन्दी को देश की राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में अपनाने के निर्णय के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली सभी प्रमुख भाषाओं का विकास करने का निर्णय भी किया गया। सभी राज्यों को इस बात की पूरी-पूरी छूट है कि वे सरकारी प्रयोजनों के लिए अपने यहां बोली जाने वाली किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाएं।

बहुत लम्बे समय से राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था। अब इस उद्देश्य के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जाए जिससे अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को असुविधा न हो।

केन्द्र सरकार की भाषा नीति का आधार :

संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है। लेकिन अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात सन् 1965 तक, संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की ही भाँति अंग्रेजी का प्रयोग चलते रहने की व्यवस्था की गई थी। इस अवधि में अर्थात 1965 के पहले भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी काम के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकते थे। अनुच्छेद 343 (3) में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने के साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि प्रादेशिक भाषाओं का भी समुचित विकास हो और राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की स्वतंत्रता रहे। इसके लिए अनुच्छेद 345 में व्यवस्था की गई है। भाषाजात अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे प्रधान प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त उस राज्य में बोली जाने वाली किसी दूसरी भाषा या भाषाओं को भी खास-खास परिस्थितियों में राज्य के कामकाज के लिए प्रयोग करने का निदेश दे सकते हैं। हिन्दी के विकास के लिए जो निदेश दिए गए हैं, उनमें कहा गया है कि इसके लिए हिन्दुस्तानी तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं से, विशेषतया संस्कृत से, सहायता ली जाए जिससे हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार समग्र स्थिति पर विचार करने के लिए 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी और इसकी सिफारिशों के अनुसार, 1963 में राजभाषा अधिनियम पास किया गया जिसे 1967 में संशोधित किया गया। संशोधित राजभाषा अधिनियम के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल संकल्प पारित न करें और उसके बाद ऐसा करने के लिए संसद का प्रत्येक सदन भी संकल्प पारित न कर दे।

वर्तमान स्थिति :

इस तरह देश में एक लम्बी द्विभाषिक स्थिति चल रही है जिसके दौरान केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। हिन्दी या

अंग्रेजी भाषा में तैयार किए हुए नोट या ड्राफ्ट का उसे स्वयं दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं देना पड़ता है। साथ ही कुछ प्रयोजनों के लिए जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचना, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदा और करार जैसे कागज पत्रों के लिए, जिनका उल्लेख यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम., 1963 की धारा 3 (3) में किया गया है, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन, यह बात भी बहुत स्पष्ट कर दी गई है कि सरकार की यह सुविचारित नीति है कि संघ के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जाए जिससे हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्य निर्वाह में कठिनाई न हो। साथ ही, इस प्रकार के उपाय भी किए जाएं जिससे हिन्दी यथा शीघ्र अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। द्विभाषिक नीति की सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि हिन्दी न जानने वाले, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाई जाए जिससे वे हिन्दी में लिखे गए नोटों और मसौदों को पढ़ सकें और समझ सकें। अतः उनको हिन्दी पढ़ाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों से जाहिर है कि वर्तमान सरकार की भाषा नीति सांविधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप ही बनाई गई है। इसको और स्पष्ट करने के लिए यह बता देना भी जरूरी है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के अन्य भाषाई क्षेत्रों की जनता के हितों का भाषा नीति से कोई अहित न हो, शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया है। त्रिभाषा फार्मूले को ठीक से लागू न किए जाने पर कटुता और शक पैदा हो सकता है। भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए शिक्षा प्रणाली पर नए सिरे से विचार कर रही है। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि वर्तमान सरकार की भाषा नीति पिछली सरकार की भाषा नीति से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है।

हम चाहते हैं कि अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी जल्द से जल्द अंग्रेजी का स्थान ले ले। प्रदेशों में वहां की अपनी भाषाओं का और संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का इस्तेमाल कदम-ब-कदम बढ़ रहा है। इनके इस्तेमाल में और तेजी लाने की जरूरत है जिससे हमारे राष्ट्र का मस्तक दुनिया के अन्य राष्ट्रों के सामने ऊंचा रहे। राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री जी के हिन्दी में दिए गए भाषण से एक अच्छी शुरुआत हुई है। देश के अंदर भी हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो रही है क्योंकि वस्तुतः हिन्दी केवल केन्द्रीय सरकार के कामकाज की ही भाषा नहीं है, बल्कि यह सारे देश की सम्पर्क भाषा भी है।

कुछ लोगों की शिकायत रही है कि संघ के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी बहुत कठिन होती है और आम जनता की समझ में नहीं आती। इसलिए ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि हिन्दी में लिखे नोट और मसौदों आदि में सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और यदि आवश्यकता हो, तो अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए। इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि प्रशासन की भाषा सरल, सुबोध और सहज हो और सरकारी कर्मचारी अपने कामकाज में दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के इस्तेमाल से न कतराएं क्योंकि अधिकांश जनता सरल और बोलचाल की हिन्दी ही समझती है।

संभावनाएँ :

चूँकि हम सारा कामकाज जनता के लिए कर रहे हैं इसलिए उसकी भाषा की —चाहे वह हिन्दी हो अथवा अन्य कोई प्रादेशिक भाषा उपेक्षा करना अनुचित होगा। फिर भी हमारी सरकार भाषा के मामले में कोई दुराग्रह नहीं रखती। जनता की व्यापक इच्छा ही उसके लिए आदेश है। इसलिए सरकारी कामकाज में "सरल भाषा और सामासिक संस्कृति" के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस क्षेत्र में किए जा रहे कामों का जायजा लेने और आगे के लिए कदम सुझाने के लिए 1976 में एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई है। यह समिति सम्पूर्ण देश में फैले सरकारी कार्यालयों का दौरा कर रही है जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगाकर वह कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यावहारिक सुझाव दे सके। समिति की रिपोर्ट आ जाने पर केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ने तथा उसकी स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

○○○

भाषाओं के क्षेत्र में हमारी जो स्थिति है, उसे मैंने समझा है और उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि यदि हमें अस्पृश्यता निवारण जैसे सुधार के लिए काम करना है तो हिन्दी का सर्वत्र ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश के 30 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोग बोलते हैं और चूंकि हम सब अपने को भारतीय कहते हैं इसलिए हमें ऐसा कहने का अधिकार है कि ये 30 करोड़ लोग 20 करोड़ लोगों की भाषा सीखने का प्रयत्न सहर्ष करें।

—महात्मा गांधी

○○○

हिन्दी के विकास में अन्य भाषाओं की भूमिका :

रमाप्रसन्न नायक

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग

आज हिन्दी किसी विशेष अंचल की भाषा नहीं रह गई है। वह सारे देश की भाषा बन गई है। यह सच है कि भाषा और राष्ट्र एक दिन में नहीं बन जाते, लेकिन साथ ही बीसवीं शताब्दी में यह भी सिद्ध हो गया है कि विकास की दिशा सही होने पर जो रास्ता सौ साल में तय होता था वह दस साल में तय हो सकता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया तब वे यह बताना नहीं भूले कि हिन्दी का विकास कैसे हो। अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि हिन्दी का विकास इस प्रकार हो कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति कर सके। उसके रूप, शैली और पदावली में भारतीय भाषाओं की छाप हो और आवश्यकता के अनुसार संस्कृत से और अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएँ।

हम सब यह जानते हैं कि हिन्दी की पाचन शक्ति बहुत अच्छी रही है। हिन्दी में अनेक शब्द अरबी, फारसी और तुर्की से आए हैं। आज अगर कोई कहे कि अदालत, तरबूज, खरबूज, रोटी और रोजगार हिन्दी के शब्द नहीं हैं, यह कोई नहीं मानेगा क्योंकि ये शब्द हिन्दी ने आत्मसात् कर लिए हैं। उसने उन्हें, पचा लिया है, अपना बना लिया है। इसी प्रकार अंग्रेजी के राशन, परमिट, स्टेशन और रेल हिन्दी की अपनी सम्पत्ति हो गए हैं। बंगला से "उपन्यास" आ गया है, "निर्भर" आ गया है और "संभ्रान्त" भी। इसी प्रकार दूसरी भाषाओं से भी प्रतिदिन शब्द हिन्दी में आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विधि शब्दावली में भी विलंगम् आड्मान, करस्थम् पन्थम्, आदि शब्द दक्षिण भारत की भाषाओं से लिए गए हैं। यह काम अनजाने में नहीं जानबूझ कर किया गया है। संविधान में दिए गए निदेशों के अनुपालन में किया गया है। यों अनायास भी पहले ही सैकड़ों हज़ारों शब्द हिन्दी में दूसरी भाषाओं से आए हैं।

जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उन पर आज एक विशेष जिम्मेदारी है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दी अब केवल हिन्दी भाषी प्रदेशों की भाषा नहीं रह गई है। जब दूसरी भाषा वाले हिन्दी पढ़ते लिखते हैं, तो वे जाने अनजाने में अपनी मातृभाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिन्दी में उन सब शब्दों का समावेश कर लेना चाहिए। हिन्दी वालों को उनसे परहेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उनका स्वागत करना चाहिए।

आज अंग्रेजी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यदि उसके शब्द भंडार की ओर नज़र डालें, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसमें एंग्लो सेक्शन मूल के शब्दों से अधिक शब्द फ्रेंच, लेटिन, जर्मन आदि अन्य यूरोपीय भाषाओं के हैं। यही स्थिति मोटे तौर से यूरोप की अन्य भाषाओं की भी है। संपर्क और समागम के बढ़ने के कारण जैसे व्यक्ति एक दूसरे के देशों में अधिक पहुँचने लगे हैं वैसे ही एक भाषा के शब्द भी दूसरी भाषा में पहुँच कर उनमें स्थायी रूप से बस जाते हैं। कभी कभी यह जरूरी हो जाता है कि वे अपनी वेशभूषा बदल लेते है और जिस भाषा में मिलते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। यही बात हिन्दी के साथ भी होगी। जब हम कोई नई वस्तु या कोई नई संकल्पना बाहर से लाते हैं तो उसके साथ ही उसका शब्द भी आ जाता है। ऐसे शब्दों को अपनाना कठिन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने "टैंक" नामक वस्तु दूसरों से ली, तो उसका नाम भी साथ में आ गया। ऐसा ही रेडियो और टेलीफोन के साथ हुआ। रेल और मोटरकार भी नाम के साथ ही आए हैं।

यह तो हुई रोजमर्रा की जिन्दगी में भाषा के विकास की बात। जहाँ तक तकनीकी शब्दावली का प्रश्न है, भारत सरकार ने यह सिद्धान्त पहले ही स्वीकार कर लिया था कि दैनंदिन व्यवहार के शब्दों के जो प्रचलित पर्याय हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाए, जैसे "जॉब" के लिए नौकरी, कार्य, काम आदि। जहाँ शब्द गढ़ने की बात आई वहाँ आमतौर से संस्कृत से ही शब्द लिए गए हैं, किन्तु यदि किसी अन्य भाषा में कोई सटीक शब्द मिलता है तो उसे स्वीकार किया गया है जैसे ग्रीन रूम के लिए बंगला का "साज गृह" लिया गया है और ब्लाइट एरिया के लिए मराठी का "झोंपड पट्टी"।

भाषा के विकास का दूसरा पहलू है उसके साहित्य का विकास। साहित्य और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक रीति रिवाज और तौर तरीके हैं। जिस तरह गुलदस्ते में अलग-अलग रंग के फूल होते हैं, किन्तु उन सभी को मिलकर एक छटा होती है, उसी तरह भारत की तमाम भाषाएँ एक ही भारतीय संस्कृति प्रतिबिम्बित करती हैं। यही एकता हमारे राष्ट्र का प्राण है। आज हिन्दी एकता की प्रतीक है। हिन्दी पर संस्कृत भाषा की लिपि, ध्वनि, पदावली, अलंकार आदि की छाप स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी के काव्य में संस्कृत साहित्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रभाव जितना हिन्दी पर है उतना ही बंगला मराठी, मलयालम, गुजराती, तेलुगू आदि भाषाओं पर भी है। राम के चरित्र को सभी भाषाओं में गाया गया है, कहीं वह कम्ब रामायण है, कहीं रंगनाथ रामायण। दमयंती की कथा, भगवान कृष्ण की लीला और शक्ति की उपासना सारे भारत के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं।

सभी भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इतनी एकरूपता है, इतनी समानता है कि यदि हम एक साहित्य को पढ़ने के बाद दूसरे का अध्ययन करें तो भाषा के अन्तर को छोड़कर हमें यह लगता ही नहीं कि हम किसी अनजाने प्रदेश में आ गए हैं। वही पात्र हैं, वही प्रतीक हैं और वही जीवन-दर्शन। यदि भेद है तो केवल भाषा और लिपि में। दर्शन, धर्म, ज्योतिष आयुर्वेद आदि अन्य क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें लगभग कई भाषाओं की शब्दावली एक सी है।

प्राचीनकाल में देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए जो काम संस्कृत ने किया था, वही काम आज हिन्दी को करना है। शंकर, रामानुज, निम्बार्क पंडितराज जगन्नाथ, कल्हण, भवभूति, कालिदास, पाणिनि, कौटिल्य आदि न जाने कितने नाम हैं। इनमें से कोई केरल का निवासी था तो कोई पेशावर का कोई आंध्र का था तो कोई मध्य-देश का किन्तु भाषा सब की एक ही थी, ध्येय सब का एक ही था और सांस्कृतिक चेतना सबकी एक ही थी।

हिन्दी के विकास में आरम्भ से ही भारतीय भाषाओं का योगदान अनूठा रहा है। मराठी के संत कवि ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम ने हिन्दी

[शेष पृष्ठ 13 पर]

हिन्दी के प्रचार, प्रसार एवं विकास में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का योगदान

प्रो० हरवंशलाल शर्मा

सलाहकार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एवं निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

लोकतंत्रात्मक प्रणाली में सत्ता किसी व्यक्ति या वर्ग के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथ में होती है, अतः सरकार का समस्त कार्य ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसे अधिकांश लोग समझ सकें और बोल सकें। इस सार्वभौम सत्य को ध्यान में रखकर हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी, संघ की राजभाषा होगी और उसके प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए प्रयत्न करना भारत सरकार का कर्त्तव्य होगा।

संविधान के 343–351 अनुच्छेदों में निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विस्तार से विचार करने के लिए राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। आयोग तथा संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल, 1960 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अंतर्गत भारत सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किए, वे इस प्रकार हैं :—

(1) सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग के लिए प्रशासनिक साहित्य (अर्थात संहिताओं, नियमों,विनियमों तथा फार्मों आदि) का अनुवाद; (2) समस्त भारत में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए विविध प्रकार के विस्तार कार्यक्रम; (3) यांत्रिक उपयोग के लिए देवनागरी लिपि का विकास; (4) हिन्दी को वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के ज्ञान का माध्यम बनाने के लिए उपयुक्त शब्दावली तथा विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों का निर्माण; (5) सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में कामकाज करने का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना और (6) कानून के क्षेत्र में हिन्दी के उपयोग के लिए विधि शब्दावली का निर्माण तथा अधिनियमों आदि का अनुवाद।

इन सब कार्यक्रमों में से दूसरे, तीसरे और चौथे कार्यों का सम्बन्ध केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से है। पहले और पांचवें का भार गृह मंत्रालय और छठें का विधि मंत्रालय पर है।

राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत मार्च, 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई थी और निदेशालय को हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास का काम सौंपा गया था।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की शब्दावली के निर्माण के लिए तथा विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के एक स्थायी आयोग की स्थापना भी की गई थी।

प्रारंभ में निदेशालय और आयोग एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में संयुक्त रूप से काम करते थे। सन् 1965 में आयोग को एक पृथक् अधीनस्थ कार्यालय बनाया गया किन्तु बाद में 5 अगस्त, 1971 को उसे पुनः निदेशालय में मिला दिया गया।

प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद का काम निदेशालय में 28 फरवरी, 1971 तक होता रहा था और बाद में इस काम के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो नाम से एक पृथक् कार्यालय की स्थापना की गई।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं चार वर्गों में आती हैं जो इस प्रकार हैं :—

(क) हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजनाएं; (ख) हिन्दी के विकास और संवर्धन की योजनाएं; (ग) ग्रंथ निर्माण और प्रकाशन; तथा (घ) विविध कार्यक्रम।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास का दायित्व सौंपा गया है। हिन्दी के प्रचार और विशेष रूप से हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के लोगों के लाभ के लिए, हिन्दीतर क्षेत्रों के हिन्दी नवलेखकों के कार्य-शिविर, प्राध्यापक व्याख्यान यात्रा, छात्र-अध्ययन यात्रा, हिन्दी शोध छात्रों की यात्रा-वृत्ति, तथा अन्य योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिन्दी के पठन-पाठन की उन्नति का लक्ष्य रखते हुए पत्राचार पाठ्यक्रम, हिन्दीतर क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार, हिन्दी परीक्षाओं की मान्यता, देवनागरी लिपि मानकीकरण और संवर्धन, हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, टेलीप्रिंटर, कुंजीपटल और मानक आशुलिपि आदि से संबंधित विविध योजनाएं और कार्यक्रम निर्धारित किए जाते रहे हैं।

भारतीय भाषाओं की उन्नति के साथ ही हिन्दी की उन्नति और प्रसार का काम जुड़ा हुआ है अतः निदेशालय द्वारा भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार और स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के सहयोग से हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की उन्नति के लिए प्रयास किया जाता है।

हिन्दीतर हिन्दीभाषी छात्रों तथा हिन्दी के लेखकों को प्रोत्साहन और मार्ग दर्शन में निदेशालय ने वर्षों से उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

हिन्दीतर क्षेत्रों के हिन्दी नवलेखकों के कार्य-शिविर की योजना का उद्देश्य हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों के हिन्दी नवलेखकों को कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी आदि विधाओं में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना और भावनात्मक

एकता को सुदृढ़ बनाना है। इन शिविरों में हिन्दी राज्यों के नव हिन्दी लेखक भी शामिल किए जाते हैं। शिविर में 25 नवलेखकों को आमंत्रित किया जाता है जिनको हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

प्राध्यापक व्याख्यान यात्राओं के अंतर्गत प्रादेशिक साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय एकता के मूलभूत तत्वों को हिन्दी के माध्यम से उजागर करना होता है। प्रति वर्ष हिन्दीभाषी विश्वविद्यालयों के 5 हिन्दी प्राध्यापकों को अहिन्दीभाषी विश्वविद्यालयों में, 5 अहिन्दी प्राध्यापकों को हिन्दीभाषी विश्वविद्यालयों में व्याख्यान-यात्रा पर भेजा जाता है।

हिन्दीतर क्षेत्रों के हिन्दी छात्रों को अध्ययन-यात्राओं की योजना में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को अधिक व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य से प्रति वर्ष अहिन्दीभाषी प्रदेशों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिन्दी पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को हिन्दीभाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों अध्ययन पर ले जाया जाता है। प्रति वर्ष लगभग 100 छात्र/छात्राओं का चयन किया जाता है जिन्हें दो दलों में बांट कर दो सप्ताह के लिए तीन-चार हिन्दीभाषी विश्वविद्यालयों एवं प्रमुख हिन्दी संस्थाओं में अध्ययन-यात्रा पर ले जाया जाता है।

हिन्दीतर क्षेत्रों के हिन्दी-शोध-छात्रों को यात्रावृत्ति की योजना के अंतर्गत अहिन्दीभाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी में शोध कर रहे छात्रों को उनके शोध-कार्यों में उत्पन्न कठिनाइयों को हिन्दी विद्वानों से विचार-विमर्श कर समाधान करने एवं शोध-सामग्री संकलनार्थ हिन्दीभाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों आदि की यात्रा करने के लिए 350.00 रुपए की यात्रावृत्ति दी जाती है। प्रति वर्ष 20 छात्रों को ऐसी यात्रा-वृत्ति देने की व्यवस्था है।

हिन्दीतर भाषी राज्यों के हिन्दी साहित्यकारों को पुरस्कार की योजना 1966 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि देश की विभिन्न भाषाओं के हिन्दी साहित्यकारों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर भावनात्मक एकता को सुदृढ़ किया जाए।

भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कार की योजना विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों के विचारों के आदान-प्रदान और सभी भाषाओं को लाभान्वित करने के विचार से और राष्ट्रीय एकता की श्रीवृद्धि के लिए 1969 में ऐसे साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए प्रारंभ की गई थी जो हिन्दी, संस्कृत और मातृ-भाषा को छोड़ कर अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य रचना कर रहे हों।

क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का उद्देश्य निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार और देश की स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के बीच सम्पर्क बनाए रखना है। क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्नियोजन किया गया है और अब इन कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि हिन्दीतर क्षेत्रों में हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लाने की योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।

स्वैच्छिक हिन्दीसेवी संस्थाओं की परीक्षाओं की मान्यता का कार्य भी गत वर्षों में सुचारु रूप से आगे बढ़ा है। देश की कई स्वैच्छिक संस्थाएं वर्षों से हिन्दी-परीक्षाओं का संचालन करती आ रही हैं। भारत सरकार ने हिन्दी शिक्षा समिति की सिफारिश पर और संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से इन संस्थाओं की कुछेक परीक्षाओं को मान्यता दी है। इन परीक्षाओं में से कुछ की मान्यताओं की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती है। स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को विभिन्न कार्यों के लिए दिए गए अनुवाद तथा उनकी गतिविधियों आदि पर नियंत्रण के कार्य में निदेशालय अपना पूर्ण सहयोग देता है।

पत्राचार पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत हिन्दीतर भाषा-भाषी भारतीयों और विदेशियों को हिन्दी शिक्षण का कार्य निदेशालय द्वारा पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के अतिरिक्त तमिल और मलयालम भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सिखाने का कार्य उत्तरोत्तर अधिक लोकप्रिय और लाभप्रद हो रहा है तथा अब अन्य प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सिखाने की योजनाओं पर कार्य हो रहा है।

हिन्दी के विकास और संवर्द्धन की योजनाओं के विविध आयाम वस्तुतः सुदूरगामी ऐसे लक्ष्य हैं जिनसे हिन्दी भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1971 के आरंभ तक विज्ञान और मानविकी की संपूर्ण **शब्दावलियों के निर्माण का कार्य** एक स्तर तक पूरा कर चुका था। इसके पश्चात् **परिभाषा कोश का कार्य** हाथ में लिया गया। यह भी स्वीकार किया गया कि **हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलियां** के अतिरिक्त अब तक तैयार लगभग 5 लाख पारिभाषिक शब्दों का समेकन, समन्वय और सरलीकरण भी करा लिया जाए।

पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है तथा ज्ञान विज्ञान की विविध विधाओं का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है अतः शब्दावली निर्माण का कार्य भविष्य में भी चलता रहेगा। 1. हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली, 2. अखिल भारतीय शब्दावली तथा 3. विभागीय शब्दावली पर कार्य चल रहा है। भौतिकी, रसायन, गणित तथा वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों के **पारिभाषिक कोश** प्रकाशित हो चुके हैं। मूलभूत विज्ञान, सामाजिक विषय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि और इंजीनियरी जैसे कतिपय विषयों के पारिभाषिक कोश तैयार किए जा रहे हैं।

शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने और शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को विकसित करने के लिए हिन्दी में प्रामाणिक सन्दर्भ ग्रंथों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इस विचार से **विश्वकोशों** के संकलन का कार्य हाथ में लिया गया है। इंटरनेशनल एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ द सोशल साईंसेज के आधार पर समाज विज्ञान कोश का निर्माण किया जा रहा है।

मेग्रोहिल एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ साइंसेज के नमूने पर हिन्दी में भी विज्ञान के सभी विषयों के विश्वकोश निर्माण की योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शामिल की जा रही है।

त्रिभाषा कोशों के निर्माण की योजना का उद्देश्य त्रिभाषा फार्मूला के अनुपालन द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है। इस योजना के अनुसार 13 विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से 24 त्रिभाषा कोशों का निर्माण हो रहा है। ये कोश दो प्रकार के हैं : (1) हिन्दीमूलक त्रिभाषा कोश (हिन्दी-बंगला-अंग्रेजी, हिन्दी-तमिल-अंग्रेजी आदि) तथा (2) प्रादेशिक भाषा मूलक त्रिभाषा कोश (बंगला-हिन्दी-अंग्रेजी, तमिल-हिन्दी-अंग्रेजी आदि) तथा (3) प्रादेशिक भाषा मूलक त्रिभाषा कोश (बंगला-हिन्दी-अंग्रेजी, तमिल-हिन्दी-अंग्रेजी)।

भारतीय भाषा कोश की योजना में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के पर्याय देवनागरी लिपि में दिए जाने और इस कोश में 5,000 शब्द और दो हजार पांच सौ वाक्यांश सम्मिलित करने का विचार है। इस कोश का उद्देश्य भारतीय भाषाओं की समानता स्थापित करके राष्ट्रीय एकता में योगदान करना है।

जेबी कोश की योजना के अन्तर्गत 28 द्विभाषी जेबी कोश तैयार किए जाने का विचार है। हिन्दी-अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिन्दी कोश भी निर्माणाधीन है। इस प्रकार के कोशों का उद्देश्य एक ओर भारतीय भाषाओं की श्रीवृद्धि है और दूसरी ओर भारत की प्रमुख भाषाओं में परस्पर संपर्क स्थापित करना भी है तथा इन कोशों का उद्देश्य भारतीय भाषाओं की समानता स्थापित करके राष्ट्रीय एकता में योगदान करना है।

इनके अतिरिक्त **व्यावहारिक हिन्दी अंग्रेजी कोश** का परिवर्द्धित एवं संशोधित संस्करण, हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की समान शब्दावलियों के संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण, व्युत्पत्ति शब्दकोश और हिन्दी प्रयोग कोश आदि की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सांस्कृतिक आदान-प्रदान समझौतों के अधीन विभिन्न विदेशी सरकारों के सहयोग से अनेक योजनाएं हाथ में ली हैं। इनमें मुख्य हैं : (1) **विदेशी भाषा—हिन्दी और हिन्दी-विदेशी भाषाओं के द्विभाषा कोशों का निर्माण**; (2) **द्विभाषा प्राइमर**, (3) **व्याकरण** (4) **टूरिस्ट गाइड आदि-आदि**।

जर्मन-हिन्दी कोश, हिन्दी-जर्मन कोश, चैक-हिन्दी कोश, हिन्दी-चैक कोश, हिन्दी-फ्रैन्च वार्तालाप गाइड, हिन्दी-हंगेरियन वार्तालाप गाइड, फ्रैन्च-हिन्दी वार्तालाप गाइड, हंगेरियन-हिन्दी वार्तालाप गाइड, हिन्दी-इटेलियन तथा इटेलियन-हिन्दी कोश आदि ग्रंथ तैयार कराए जा रहे हैं।

अन्य देशों की भाषाओं तथा हिन्दी के कोश तैयार कराने की दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सांस्कृतिक विनिमय के कार्यक्रमों के अन्तर्गत **पुस्तकों, टाइपराइटरों, मुद्रण मशीनों, शोध-छात्रवृत्तियों आदि के उपहार** दिए जाने की योजनाएं हैं।

इन अनेक योजनाओं में से एक योजना विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशनों में उपयुक्त **हिन्दी पुस्तकों के पुस्तकालय स्थापित करना** तथा **स्थानीय संस्थाओं को हिन्दी-शिक्षण-अध्ययन में सहायता** पहुंचाना भी है। इस योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से फिजी, मारीशस, थाइलैंड, नेपाल, कीनिया, सूरीनाम, श्रीलंका, गुयाना, मलेशिया, त्रिनिदाद, बर्मा, बंगलादेश, सिंगापुर, ब्रिटेन आदि देशों के भारतीय मिशनों में हिन्दी पुस्तकें भेजी जा रही हैं।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के हमारे प्रयत्न निश्चित रूप से अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि कतिपय अन्य देशों, यथा—जापान, कोरिया, यूगोस्लाविया, फेडरल रिपब्लिक ऑफ़ जर्मनी, कनाडा, जी० डी० आर०, बुल्गारिया, संयुक्त राज्य अमरीका तथा ज़ाम्बिया से भी हिन्दी पुस्तकें भिजवाने की मांग की गई है।

ग्रंथ निर्माण और प्रकाशन योजना का उद्देश्य हिन्दी को उच्च शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनाने के लिए हिन्दी में मानक और संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करना है। विज्ञान और मानविकी के सभी विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पाँच हिन्दी राज्यों में स्वायत्त संस्थाओं के रूप में हिन्दी ग्रंथ अकादमियों की स्थापना की गई है जो हिन्दी में मानक और संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करती हैं जिसके लिए उन्हें निदेशालय का मार्गदर्शन मिलता है।

शिल्पियों, कारीगरों और मिस्त्रियों के लिए साहित्य निर्माण की योजना भी हाथ में ली गई है जिसके अन्तर्गत उन्हें अपनी-अपनी भाषा में संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकेगा।

देश भर में फैले हुए औद्योगिक शिल्पियों, वर्कशाप कर्मियों, मैकेनिकों, ऑपरेटरों और तकनीशियनों को तथा औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूलों से निकले विद्यार्थियों को अपने विषयों से संबंधित नए शोधों का परिचय और संबद्ध ज्ञान-विज्ञान की जानकारी प्राप्त कराने के लिए चयनिकाएँ (डाइजेस्ट) की योजनाएँ हाथ में ली गई हैं। 'शिल्पी मित्र' और 'चिकित्सा सेवा' जैसी **चयनिकाएँ** प्रकाशित हो चुकी हैं।

पाठमालाएं (रीडिंग्स) प्रकाशन का उद्देश्य विज्ञान विषयों तथा मानविकी और समाज विज्ञान के अनेक विषयों में विद्यार्थियों के लिए हिन्दी में पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार एक **विषयी पुस्तिकाएँ** (मोनोग्राफ) विद्यार्थियों को हिन्दी में सरलता से ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास है।

प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों के लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन की योजना वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिन्दी शब्दावली का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हुए मौलिक एवं अनूदित रचनाओं को प्रकाश में लाती है। इससे वैज्ञानिक ज्ञान, जनरुचि का विकास, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावादी मूल्यों के पोषण के अलावा आधुनिक ज्ञान से साधारण जन के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकों का विक्रय मूल्य लागत के ढाई गुने से तीन गुने तक रखा जाता है और सामान्यतः तीन हज़ार मुद्रित प्रतियों में से एक-तिहाई प्रतियाँ पच्चीस प्रतिशत कमीशन पर खरीद ली जाती हैं। इन पुस्तकों को आवश्यकतानुसार शिक्षा संस्थाओं में निःशुल्क वितरित किया जाता है।

हिन्दी भाषा और साहित्य के वार्षिक प्रचार-प्रसार की योजनाओं और विविध विधाओं की प्रगति का वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के साथ-साथ भारतीय संविधान में स्वीकृत चौदह भाषाओं के प्रचार-प्रसार और साहित्य की वार्षिक प्रगति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से **हिन्दी वार्षिकी** की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके चार अलग-अलग खण्डों में हिन्दी साहित्य और भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा और साहित्य : कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी और मराठी साहित्य और भाषा : तथा उड़िया, असमिया और बंगला साहित्य और भाषा के विषयों पर लेख आदि प्रकाशित किए जाते हैं।

भारतीय भाषाओं के साहित्य का इतिहास तथा उनमें प्रकाशित विभिन्न विधाओं की श्रेष्ठ रचनाओं का हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित कराने के लिए "भारतीय साहित्य माला" नामक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

भारत के संविधान में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के निमित्त की गई व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में **भाषा** के अन्तर्गत राजभाषा हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन, प्रयोगमूलक और व्यावहारिक पक्षों, अनुवाद, शब्दावली, शैली, शिक्षा-माध्यम तथा भारतीय भाषा और साहित्य के ख्याति-प्राप्त विद्वानों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय आदि से संबंधित विचारात्मक लेखों तथा अन्य सामग्री का प्रकाशन होता है।

हिन्दी के महत्वपूर्ण ग्रंथों की **शब्दानुक्रमणिकाएं** तैयार कराने की योजना को हाथ में लेने का उद्देश्य यह था कि भविष्य में हिन्दी के उच्च कोटि के कोश तैयार कराने में यह सामग्री सहायक सिद्ध होगी।

हिन्दी के नए पुराने प्रमुख कवियों और लेखकों की कृतियों को काल-कवलित होने से बचाने के लिए और उन्हें संग्रहों के रूप में सुलभ कराने के उद्देश्य से **संचयन-संग्रह ग्रंथों के प्रकाशन की योजना** के अन्तर्गत कतिपय ग्रंथ तैयार किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से प्रति मास 'यूनेस्को दूत' पत्रिका का प्रकाशन होता है। यूनेस्को दूत विश्वदर्शन की एक मात्र पत्रिका यूनेस्को कूरियर का हिन्दी संस्करण है। इस पत्रिका में विश्वविख्यात विशेषज्ञों के साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और इतिहास आदि विभिन्न विषयों पर उच्चकोटि के सारगर्भित लेख (अनूदित) छापे जाते हैं और इसके माध्यम से यूनेस्को अपना सार्वभौमिक संदेश प्रसारित करता है।

इन सभी कार्यों के अतिरिक्त निदेशालय में **उर्दू भाषा और साहित्य के संवर्द्धन में अपूर्व सहयोग** देकर अलग से तरक्की उर्दू बोर्ड की स्थापना कराई गई। इसी प्रकार **सिन्धी भाषा के विकास** के लिए सिंधी बोर्ड की स्थापना की गई है जो इस समय निदेशालय के तत्वावधान में कार्य कर रहा है।

[शेष पृष्ठ 26 पर]

संसदीय राजभाषा समिति

सदस्यता और कार्यक्षेत्र

—रामप्रसाद मणि त्रिपाठी
उप सचिव, संसदीय राजभाषा समिति

□□□□

जनवरी, 1976 में पहली बार संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था किन्तु 18 जनवरी, 1977 को लोक सभा के भंग होने के बाद जुलाई, 1977 में 20 नये सदस्य चुन कर समिति में आए, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री चरण सिंह
2. श्री नवाबसिंह चौहान
3. श्री ओम् प्रकाश त्यागी
4. श्री इस्माइल हुसैन खाँ
5. श्री लालजी भाई
6. श्री लक्षमणराव मानकर
7. श्री विजय कुमार नवल पाटील
8. श्री नाथूराम मिरधा
9. श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा
10. श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण
11. श्रीमती पार्वती कृष्णन्
12. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
13. कुमरि अनन्दन
14. श्री एडुआर्डो फैलीरो
15. श्री गार्गी शंकर मिश्र
16. कुंवर महमूद अली खाँ
17. श्री अरविन्द वाला पड्नौर
18. श्री एस०आर० रेड्डि
19. श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'
20. श्री देवेन्द्र सत्यपथी

समिति में जो सदस्य राज्य सभा से पहले चुन कर आए थे, वे सदस्य बने रहे, इसलिए उनसे समिति के कार्य की कड़ी बनी रही। उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1. श्री ओम मेहता
2. श्री प्रकाशवीर शास्त्री
3. श्री लोकनाथ मिश्र
4. श्री एम०एस० अब्दुल खादिर
5. डा० लोकेशचन्द्र
6. श्री योगेन्द्र शर्मा
7. श्रीमती सुमित्रा गजानन कुलकर्णी
8. श्री मकसूद अली खाँ
9. श्री कामेश्वर सिंह
10. श्री हर्षदेव मालवीय

दुर्भाग्यवश समिति के एक माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री 23 नवम्बर, 1977 को एक रेल दुर्घटना के कारण दिवंगत हो गए। उनकी जगह पर राज्य सभा से श्री भीष्म नारायण सिंह चुने गए। समिति की सदस्यता में परिवर्तनों का यह क्रम उसके बाद भी जारी रहा, क्योंकि अप्रैल, 1978 में राज्य सभा के निम्नलिखित 6 सदस्य रिटायर हो गए और उनमें से केवल श्री योगेन्द्र शर्मा पुनः निर्वाचित हो कर समिति के सदस्य बने :—

1. श्री लोकनाथ मिश्र
2. श्री एम०एस० अब्दुल खादिर
3. श्री योगेन्द्र शर्मा
4. श्री मक़सूद अली खाँ
5. श्री हर्षदेव मालवीय
6. श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी

समिति की सदस्यता में इन परिवर्तनों का नतीजा यह हुआ कि जनवरी, 1976 में जो सदस्य थे, उनमें से अब केवल 4 सदस्य ही समिति में रह गए हैं और बाकी किसी न किसी कारण से अब सदस्य नहीं रहे। जून, 1977 में जो सदस्य लोक सभा से चुन कर आए थे, वे तो अब भी सदस्य हैं, पर राज्य सभा के सदस्यों में परिवर्तन हो गया है। राज्य सभा के जो सदस्य इस समय (30 जून, 1978 को) समिति के सदस्य हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. श्री ओम मेहता
2. डा० लोकेश चन्द्र

3. श्री योगेन्द्र शर्मा

4. श्री कामेश्वर सिंह

5. श्री जगन्नाथ राव जोशी

6. श्री वी० वेन्का

7. श्री गुरुदेव गुप्त

8. श्री भीष्म नारायण सिंह

9. श्री शिवचन्द्र झा

10. श्री गणपत हीरालाल भगत

3. अपने काम को ठीक तरह से निपटाने के लिए समिति ने 3 उपसमितियां बनाई हैं जिनकी वर्तमान सदस्यता इस प्रकार है:—

पहली उपसमिति :

1. श्री नवलसिंह चौहान (संयोजक)
2. श्री भीष्म नारायण सिंह
3. श्री शिवचन्द्र झा
4. डा० लोकेश चन्द्र
5. ओम प्रकाश त्यागी
6. श्री इस्माइल हुसैन खाँ
7. श्री लालजी भाई
8. श्री लक्ष्मण राव मानकर
9. श्री विजयकुमार नवलं पाटील

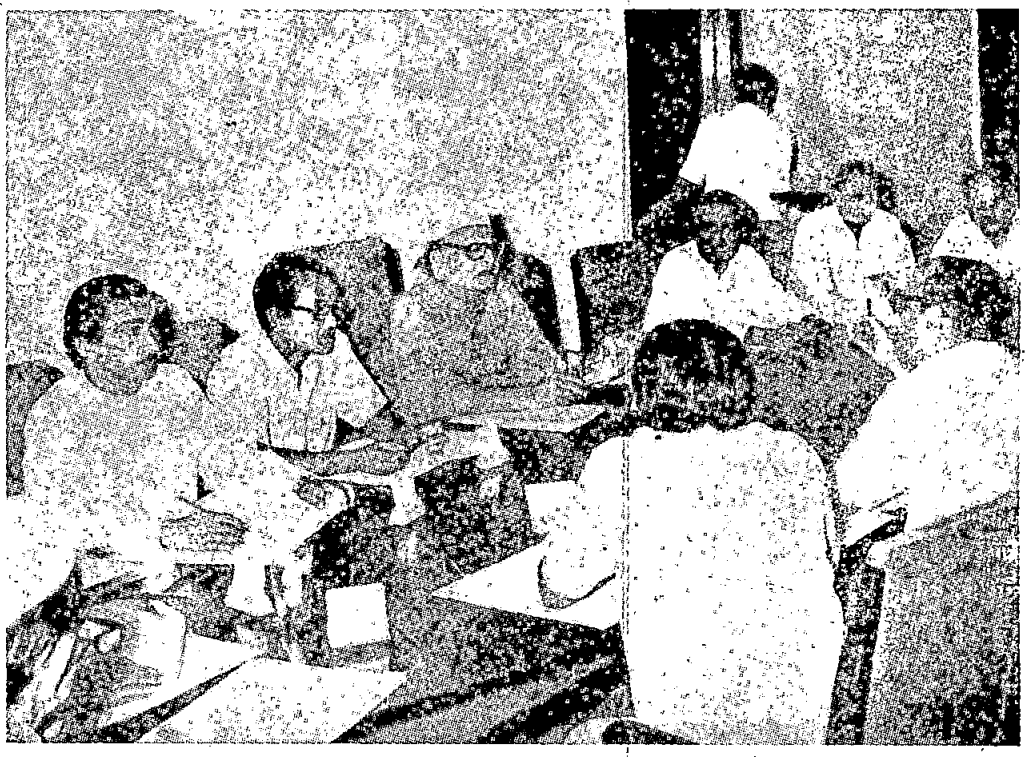

पहली उप-समिति के सदस्य ऋषिकेश के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स एवं आई० डी० पी० एल० के अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हुए (9 जून 1978)

दूसरी उपसमिति

1. श्री योगेंद्र शर्मा (संयोजक)
2. श्री कामेश्वर सिंह
3. श्री गणपत हीरालाल भगत
4. श्री नाथूराम मिरधा
5. श्रीमती प्रेमलावाई चव्हाण
6. श्री गुरचरण सिंह टोहड़ा
7. श्री देवेन्द्र सत्पथी
8. श्रीमती पार्वती कृष्णन
9. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
10. श्री कुमरि अनन्दन

तीसरी उपसमिति :

1. श्री ओम मेहता (संयोजक)
2. श्री वी० वेन्का
3. श्री जगन्नाथ राव जोशी
4. श्री गुरुदेव गुप्त
5. श्री एडुआर्डो फैलीरो
6. कुंवर महमूद अली खाँ
7. श्री गार्गी शंकर मिश्र
8. श्री अरविन्द वाला पड्नौर
9. श्री एस०आर० रेड्डि
10. श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के सदस्य देहरादून स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श करते हुए (मई, 1978)

4. इन उपसमितियों को केन्द्रीय सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने का काम सौंपा गया है। पहली उपसमिति को रक्षा, विदेश, शिक्षा, गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों का काम सौंपा गया है। हिन्दी प्रशिक्षण, यांत्रिक और अन्य सुविधाएँ, अनुवाद कार्य और हिन्दी के काम से सम्बन्धित स्टाफ की व्यवस्था देखने का काम भी इसी उपसमिति के जिम्मे है । दूसरी उपसमिति के जिम्मे रेल, संचार, सूचना एवं प्रसारण, कृषि और सिंचाई मंत्रालय है और वित्त, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक, इस्पात और खान, ऊर्जा, वाणिज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, पर्यटन और नागर विमानन, नौवहन और परिवहन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि मंत्रालयों को तीसरी उपसमिति को सौंपा गया है। इन तीनों उपसमितियों ने जनवरी, 1976 से 30 जून, 1978 तक देश के विभिन्न स्थानों में स्थित 792 कार्यालयों को देखा है । पुनरीक्षण का यह काम इस समय काफी तेज गति से चल रहा है, जिसके पूरा होते ही समिति साक्ष्य आदि के दूसरे कार्यों को हाथ में लगी।

[पृष्ठ 7 का शेष]

पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मराठी की सन्त-काव्य परम्परा ने और गुजराती की रासो काव्य परम्परा ने हिन्दी साहित्य को हमेशा अनुप्राणित किया है।

जिस पैमाने पर हिन्दी भाषा का उत्तर भारत की भाषाओं से आदान प्रदान हुआ है उस पैमाने पर दक्षिण भारत की भाषा के साथ भले ही न हुआ हो, फिर भी साहित्य और रचना प्रक्रिया की दृष्टि से द्रविड़ कुल की भाषाओं से हिन्दी की स्वाभाविक समानता है। चूँकि हमारी सांस्कृतिक मान्यताएँ, हमारे इतिहास पुरुष और हमारे प्रेरणा के स्रोत एक ही हैं, इसलिए रचनाओं में समरसता है, अपनापन है । दक्षिण भारत की रचनाओं के हिन्दी अनुवाद को पढ़ने से एकता को भी बल मिलता है, हमारी संस्कृति के विभिन्न पहलू हमारे सामने आते हैं और हम भावात्मक रूप से अपने ही देश के अन्य भाषा-भाषी लोगों के साथ और गहरे जुड़ जाते हैं।

भारत सरकार के अधीन शिक्षा और विधि मंत्रालयों में शब्दावली निर्माण का काम अनुच्छेद 351 को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। इससे हिन्दी का शब्द भंडार तो बढ़ा ही है, साथ ही अन्य भाषाएँ भी हिन्दी के निकट आई हैं और भारत की आधारभूत एकता को बल मिला है। साहित्य अकादमी और नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं का परस्पर अनुवाद करने की योजना बनाई है । राज्यों की साहित्य अकादमियाँ भी भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद कर रही हैं । भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार योजना से सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यकार लाभान्वित हो रहे हैं।

यदि देश की आधारभूत एकता और उस संबंध में हिन्दी की विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम सब मिल कर प्रयास करेंगे, तो भारतीय भाषाओं के शब्द भंडार और साहित्य से लाभ उठाते हुए हिन्दी भारत की सामासिक संस्कृति का वास्तविक प्रतीक बन जाएगी और तब हम अपना वह कर्तव्य पूरा कर सकेंगे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा था।

□□

(आकाशवाणी के सौजन्य से)

हिन्दी शिक्षण योजना की नई पाठ्य पुस्तकें और उनकी प्रशिक्षण विधि

—डॉ० अमर बहादुर सिंह

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष
अनुसंधान एवं सामग्री निर्माण विभाग
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

हिन्दी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग (गृह-मंत्रालय) की पुनरीक्षण-समिति द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की शृंखला में प्रथम सत्र की सामग्री केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने तैयार की है। इस सामग्री के तैयार करने में कतिपय सीमाओं के भीतर कार्य किया गया है। ये सीमाएँ पुनरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की रूप-रेखा, पाठ्य-सामग्री निर्माण की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, पाठ्य-बिन्दुओं के उचित चयन एवं समायोजन तथा उपलब्ध-शिक्षण समय आदि हैं। इस पाठ्य-सामग्री में हमारा ध्यान सदैव भाषा के संरचनात्मक पाठ्य-बिन्दुओं की ओर रहा है। इन पाठ्य-बिन्दुओं को उचित संदर्भों में रखकर सामग्री का विकास किया गया है। चेष्टा सदैव यह रही है कि विद्यार्थी भाषाई संरचना तथा भाषाई कौशलों में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर सकें। भाषाई कौशलों के समेकित विकास की दृष्टि में रखकर पूरी सामग्री को चार अलग पाठ्य-पुस्तकों में बाँटा गया है; जिससे प्रत्येक विद्यार्थी सभी कौशलों पर समान अधिकार प्राप्त कर सके और प्रारम्भिक अवस्था के लिए अपेक्षित सभी आधारभूत संरचनाओं तथा अन्य आनुषांगिक तत्वों का भी वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समग्र सामग्री को चार भागों में बाँटा गया है और ये चार भाग चार पुस्तकों के रूप में तैयार किए गए हैं। ये भाग इस प्रकार हैं:—

1. **हिन्दी पाठमाला—1** मूल पाठ एवं मौखिक अभ्यास:—जिसके साथ भाषिक संरचनाओं को हृदयंगम कराने के लिए मौखिक अभ्यास दिए गए हैं।

2. **अभ्यास-पुस्तिका** (हिन्दी पाठमाला भाग-1 के लिए):—जिसके अन्तर्गत पाठ माला के पाठ बिन्दुओं के आधार पर कई प्रकार के अभ्यास प्रत्येक पाठ के लिए तैयार किये गये हैं। इनका उपयोग गृहीत सामग्री के दृढ़ीकरण, साथ ही साथ लेखन में अच्छी कुशलता प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया है।

3. **उच्चारण पुस्तिका**:—इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के हिन्दी के उच्चारण सुधारने तथा नये उच्चारण सिखाने का प्रयास किया गया है। चूंकि इन कक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी देश के सभी भागों से आते हैं और विभिन्न मातृभाषा-भाषी होते हैं इसलिए पाठ्य-सामग्री निर्माण के उस आदर्श सिद्धांत के निकट पहुँचने के लिए, जिसके आधार पर प्रत्येक मातृभाषा-भाषी के लिए, उसकी मातृभाषा के संदर्भ में उच्चारण पाठ बनाए जाएं, समग्र पुस्तक को चार भागों में बांटा गया है। पुस्तक का पहला भाग पूर्वांचल के विद्यार्थियों की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दूसरा भाग दक्षिणांचल के विद्यार्थियों की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तीसरा भाग पश्चिमांचल के विद्यार्थियों की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है तथा चौथा भाग उत्तरांचल के विद्यार्थियों की उच्चारण की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन पाठों के नियोजन में क्षेत्रीय भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था एवं हिन्दी की ध्वनि व्यवस्था के व्यतिरेकी अध्ययन और विद्यार्थियों की सम्प्राप्ति में होने वाली त्रुटियों के विश्लेषण को विशेष महत्व दिया गया है। उच्चारण पुस्तिका में हिन्दी के समस्त ध्वनियों के उच्चारण सिखाने का प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि भारत की लगभग सभी भाषाओं में अधिकांश ध्वनियाँ किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। अन्तर केवल उनके उच्चारण की प्रक्रिया में है। जहाँ कहीं भी यह अन्तर दिखाई पड़ा है; उसे पाठ्य-बिन्दु बनाकर उस क्षेत्र की पुस्तक में उसका समावेश कर दिया गया है।

4. **लेखन बोधन पुस्तिका** (हिन्दी लिपि पुस्तक) भाग-1:—इसके अन्तर्गत हिन्दी वर्णमाला को रूप समता के आधार पर विभिन्न वर्गों/समुदायों में विभक्त कर आरेखों (स्ट्रोक्स) की सही दिशा की सहायता से लिपि सिखाने का प्रयत्न किया गया है। सीखे हुए वर्णों के अभ्यास के लिए समुचित अवसर दिया गया है और सभी लिपि चिह्नों को सिखाने के बाद हिन्दी वर्णमाला के क्रम को प्रस्तुत किया गया है; जिससे विद्यार्थियों को शब्द-कोश देखने में तथा वर्णमाला के प्रत्येक चिह्न का उचित स्थान जानने में मदद मिल सके। बोधन के लिए दी गई सामग्री छोटे-छोटे शब्दों से प्रारम्भ करके पदबन्ध तथा वाक्य के रूप में विकसित की गई है।

ये पाठ हम कैसे पढ़ाएँ ?

समस्त सामग्री को इन चारों पुस्तकों में सुविधा की दृष्टि से अलग-अलग पुस्तक रूपों में विभाजित कर दिया है गया जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक पुस्तक को एक अलग इकाई मानकर ही पढ़ाया जाएगा। कक्षा में पढ़ाते समय विभिन्न कौशलों और पाठ्य-बिन्दुओं को दृष्टि में रखकर इन पुस्तकों को एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ाना होगा। यह प्रक्रिया पाठ्यक्रम की समग्रता को ध्यान में रखकर अपनाई गई है जिससे भाषा का कोई अंग छूटने न पाए और न ही किसी अंग विशेष पर आवश्यकता से अधिक बल पड़े।

बिना ध्वनियों का सही उच्चारण सीखे विद्यार्थी को पाठों का उच्चारण करना तथा मौखिक अभ्यासों का जवाब देना जिस प्रकार कठिन होगा; उसी प्रकार लिपि के ज्ञान के अभाव में अभ्यास-पुस्तिका के अभ्यासों को करना तथा वाचन (और बोधन) करना भी कठिन होगा। अतएव अध्यापक प्रारम्भ में निम्नलिखित योजना के अनुसार इन पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ायें जिससे पाठमाला के प्रथम पांच पाठों के साथ ही उच्चारण तथा लिपि और लेखन पर उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त हो जाए। यह कार्यक्रम प्रथम पांच सप्ताह को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है और छठे सप्ताह से योजना-बद्ध रूप में पाठमाला के पाठ तथा अभ्यास-पुस्तिका के अभ्यास साथ-साथ कराएँ जाएंगे :—

पीरियड→ सप्ताह ↓	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
प्रथम सप्ताह	उच्चारण अभ्यास पाठ-एक	लिपि-लेखन एक-दो	मौखिक अभ्यास एक	लिपि-लेखन तीन-चार
द्वितीय सप्ताह	उच्चारण अभ्यास पाठ-दो	लिपि-लेखन पाँच-छह	मौखिक अभ्यास दो	लिपि-लेखन सात
तृतीय सप्ताह	उच्चारण पाठ-तीन	लिपि-लेखन आठ-नौ	मौखिक अभ्यास तीन	लिपि-लेखन दस-ग्यारह
चतुर्थ सप्ताह	उच्चारण अभ्यास पाठ-चार	लिपि-लेखन बारह-तेरह	मौखिक अभ्यास चार	लिपि-लेखन चौदह
पंचम सप्ताह	उच्चारण अभ्यास पाठ-पाँच	मौखिक अभ्यास पाँच	पुनरीक्षण एक	मासिक मूल्यांकन

हिन्दी पाठमाला पुस्तक का निर्माण इस ढंग से किया गया है कि विद्यार्थी हिन्दी भाषा की आधार भूत संरचनाओं को आसानी से सीख सकें। इन रचनाओं का समायोजन लघुता और सरलता को दृष्टि में रखकर किया गया है। आवश्यकतानुसार भाषा में इनके प्रयोग की बारंबारता को भी दृष्टि में रखा गया है। "चयन" की समस्त प्रक्रिया को यथा सम्भव दृष्टि में रखा गया है और चयन की हुई सामग्री को अनुस्तरित करके चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें समायोजित किया गया है। समायोजन में ध्यान इस बात पर रखा गया है कि विद्यार्थी को एक पाठ्य-बिन्दु से दूसरे पाठ्य-बिन्दु तक पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो न ही एक पाठ्य-बिन्दु का संचरण किसी प्रकार खटक सके। प्रत्येक पाठ में तीन भाग हैं। प्रथम भाग में तो मूल पाठ दिए गए हैं जो कहीं वार्तालाप और कहीं छोटे-छोटे विवरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रत्येक पाठ में एक पाठ्य-बिन्दु को विकसित किया गया है पर कहीं-कहीं ऐसी रचना का भी सहारा लिया गया है जो पाठ्य-बिन्दु की श्रेणी के बाहर हैं। यह रचना मात्र "पैसिव रिकगनीशन" के लिए है और पाठ की स्वाभाविकता बनाए रखने के लिए ही समाविष्ट की गई है। प्रत्येक पाठ में मूल पाठ के बाद एक शब्दाभ्यास का भाग रखा गया है जिसमें पाठ में आए हुए शब्दों का समावेश भी किया गया है एवं उनके पर्यायवाची, व्युत्पन्न, सम्बद्ध और कहीं-कहीं अतिरिक्त शब्दों का भी समावेश किया गया है। इन शब्दों को देने का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को इनसे परिचित कराया जा सके, जिससे आगे चलकर मौखिक अभ्यासों अथवा पाठों में जब इनका प्रयोग किया जाए तो उन्हें इन शब्दों को पहचानने एवं समझने में कोई कठिनाई न हो। कुछ ऐसे भी शब्द इन श्रेणियों में डाले गए हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग पुस्तक में नहीं होगा किन्तु जिनकी जानकारी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। ऐसे शब्द केवल उनके अवचेतन मन में शब्दों की पहचान बनाए रखने के लिए दिए गए हैं। ये शब्द एक प्रकार से "पैसिव रिकगनीशन" के लिए ही हैं। पाठ के तृतीय खंड में मौखिक अभ्यास दिए गए हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी के रचनात्मक कौशल, उसकी समझ तथा पाठ में प्रयुक्त संरचनाओं के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्ति को ध्यान में रखा गया है। इन अभ्यासों में पाठ में प्रयुक्त साँचे दिए गए हैं जिनके आधार पर स्थानांपत्ति वाक्य-विस्तार, रूपांतरण आदि कई प्रकार के अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों के द्वारा पाठ्य-बिन्दु में आई हुई संरचना पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। संरचना भाषा का सातत्य पक्ष (कांस्टैण्ट) है और शब्द एक प्रकार से परिवर्तनीय (वैरिएबल) है इसलिए संरचना पर अधिकार प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्त में मौखिक अभ्यास के ही अन्तर्गत पाठ पर आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं जिससे विद्यार्थियों को बोलने की और समझने की दोनों ही प्रक्रियाओं पर अच्छी प्रकार से बल दिया जा सके। इस प्रकार पाठमाला का प्रत्येक पाठ पूरी पुस्तक से जुड़ा होते हुए भी स्वयं में एक पाठ्य-बिन्दु को भली प्रकार सीखने तथा विद्यार्थियों को हृदयंगम कराने के रूप में एक स्वतंत्र इकाई बन गया है। प्रत्येक अगला पाठ पिछले पाठ के कन्धे का सहारा लेकर आगे बढ़ता है।

इन पाठों को पढ़ाने की प्रक्रिया मौखिक रखी गयी है। और शिक्षण का माध्यम यथा संभव एक भाषायी (मोनो-लिंग्वल) रखा गया है। एक भाषाई माध्यम का तात्पर्य केवल इतना ही है कि यथा संभव किसी दूसरी भाषा का प्रयोग अर्थ या रचना समझाने के लिए बताया जाए और कक्षा में प्रत्येक स्तर पर हिन्दी ही का प्रयोग किया जाए क्योंकि पाठ्यक्रम में यही हमारी लक्ष्य भाषा है और इसी पर पूरा अधिकार प्राप्त कराने के लिए सारी सामग्री का निर्माण किया गया है। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले छोटे से छोटे निर्देश भी हिन्दी में ही प्रारम्भ से दिए जाएं जिससे विद्यार्थी के कर्णपटल नयी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अभ्यस्त होते जाएँ तथा इन निर्देशों के अर्थ समझने के लिए उनका मस्तिष्क भी क्रियान्वित, क्रियाशील एवं सतर्क रहे। पाठ का प्रस्तुतीकरण करते समय अध्यापकों से अपेक्षा यह की जाती है कि वे इन छोटे-छोटे पाठों को मौखिक रूप में कक्षा में प्रस्तुत करें और इस समय विद्यार्थियों को पुस्तक खोलने न दें और उनकी पुस्तकें बन्द करवा दें। प्रक्रिया यह होगी कि विद्यार्थियों की पुस्तक बन्द करवाने के पश्चात् अध्यापक पूरे पाठ को एक बार पढ़कर विद्यार्थियों को सुनाएगा। पढ़ने की यह प्रक्रिया करते समय अच्छा होगा यदि प्रत्येक वाक्य को 2 बार सुनाया जाए। इसके द्वितीय चरण में अध्यापक एक वाक्य को बारी-बारी से दो बार कहेगा और विद्यार्थी समवेत स्वर में अध्यापक द्वारा कहे गए वाक्य को दोहराएंगे। जब अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा पाठों को इस ढंग से दोहराए जाने के पश्चात् यह संतोष हो जाए कि विद्यार्थी सही ढंग से वाक्य का उच्चारण कर रहे हैं, तब आवश्यकतानुसार पाठ का अर्थ उन्हें अंग्रेजी या उनकी मातृ-भाषा के माध्यम से दे दिया जाए। अर्थ देते समय वाक्य के स्थान पर वाक्य ही दिए जाएं और ये वाक्य बोलचाल के सामान्य वाक्य हों। शब्दशः अनुवाद को यथा संभव बचाया जाए। अगले चरण में मौखिक अभ्यास कराए जाएंगे; जिनमें अध्यापक साँचा अभ्यास देने के पश्चात् उन्हें (विद्यार्थियों को) क्या करना है; अच्छी प्रकार समझाएगा और फिर उनकी अनुक्रिया (रिस्पोन्स) देखेगा। पुनः अध्यापक अभ्यास का सही उत्तर/रूप देगा और कक्षा समवेत स्वर में उस उत्तर को दोहराएगी। मौखिक अभ्यास व्यक्तिगत रूप में कराएं जाएंगे, समवेत रूप में नहीं। समवेत् रूप में केवल अध्यापक द्वारा प्रस्तुत सही उत्तर ही दुहराया जाएगा। विद्यार्थियों का उत्तर सही होने पर अध्यापक के लिए यह करना आवश्यक है जिससे पूरी कक्षा इस क्रिया की भागीदार बन सकने का संतोष प्राप्त कर सके। इन अभ्यासों में ऐसी योजना निहित है कि अध्यापक आवश्यकतानुसार उन्हें बढ़ा-घटा सके जिससे हर विद्यार्थी बारी-बारी से इसमें भाग ले सकें। इन अभ्यासों के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति और उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर अध्यापक की नज़र रहेगी जिसके लिए

वह आवश्यक ध्यान देगा। अध्यापकों से यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों को अनावश्यक विवरण, व्याकरण-संबंधी नियम तथा अन्य प्रकार की व्याख्याएं इन पाठों को पढ़ाते समय न दें। वे हमेशा यह ध्यान रखें कि पाठ का जो भी पाठ्य-बिन्दु है, उसके बाहर उस सामग्री के बारे में कोई सूचना विद्यार्थियों को न दें जो अलग पाठों में पाठ्य-बिन्दु के रूप में आ रही हैं। इस प्रकार सामग्री के निर्माण की इन सीमाओं का ध्यान रखते हुए अपनी अध्यापन-प्रक्रिया पूरी करेंगे।

प्रत्येक पाँच पाठ के बाद एक पुनरीक्षण पाठ दिया गया है जिसके साथ कोई मौखिक अभ्यास नहीं दिया गया है। ऐसा करने के दो कारण हैं:—

(1) पिछले पाठों में आये हुए समस्त पाठ्य-बिन्दुओं में विद्यार्थियों की प्रगति और कमियों को दृष्टि में रखकर अध्यापक अतिरिक्त अथवा सुधारात्मक या पूरक सामग्री अभ्यास के रूप में या अन्य किसी रूप में दे सकें। इससे हम सभी विद्यार्थियों को एक स्तर पर ले आने में सफल होने तथा उनकी सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान रख सकेंगे।

(2) पुस्तक में कहीं भी औपचारिक रूप से व्याकरण पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई है और व्याकरणिक कोटियों एवं रचनाओं को अभ्यासों के माध्यम से ही सिखाने का प्रयत्न किया गया है। पुनरीक्षण पाठ के बाद अध्यापक, यदि आवश्यक और उचित समझें, तो पढ़ाए गए व्याकरण बिन्दु को इस पाठ के बाद विद्यार्थी को समझा दें। ध्यान यह रहे कि कोई भी व्याकरण-बिन्दु, जो इन पाठों के भीतर न लिये गये हों; विद्यार्थियों को न दिए जाएं। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि कभी-कभी एक ही संरचना के विभिन्न आयामों को क्रमिक रूप में कई पाठों में फैला दिया गया है इसलिए व्याकरण का ज्ञान देते समय विद्यार्थियों को हमेशा इस बात के लिए सचेत रखना आवश्यक है कि जो भी नियम दिए जा रहे हैं वे अब तक की पढ़ी हुई पाठ्य-सामग्री के ही आधार पर हैं और ये नियम व्याकरण के सार्वभौमिक और सार्वजनीन नियम नहीं हैं।

इन्हीं पुनरीक्षण पाठों के आधार पर अध्यापक को पाठों की इस इकाई विशेष के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की सम्पूर्ण सम्प्राप्ति को भी देखना आवश्यक है और जिस विद्यार्थी को किसी एक पाठ्य-बिन्दु अथवा रचना में विशेष प्रकार की कठिनाई हो उसे वे दूर करने की कोशिश करें। पुनरीक्षण पाठ एक प्रकार से पाठ्य-बिन्दुओं की एक इकाई का लेखा-जोखा है जिसके द्वारा सामग्री में अथवा सीखने की प्रक्रिया में होने वाली शिथिलता को दूर करने का प्रयास किया गया है। पुनरीक्षण पाठ का एक दूसरा उद्देश्य भी है जिसके द्वारा सीखी गयी सामग्री के दृढ़ीकरण की व्यवस्था की गयी है। अब तक अलग-अलग रूप से तथा क्रम में सिखाये गए पाठ्य-बिन्दुओं को एक स्थान पर प्रयुक्त करके स्वाभाविक क्रम में भाषा कैसे चलती हैं इसका भी भान इन्हीं पाठों के माध्यम से कराया गया है।

विद्यार्थियों की प्रगति तथा सीखने में अभिरुचि को सदा बनाए रखने के उद्देश्य से हमने **सम्प्राप्ति** (एक्वीजीशन) **अवधारण** (रिटेंशन) एवं **कसौटी** (क्राइटेरियन) परीक्षणों का भी निर्माण किया है। जो पुस्तकाकार रूप में तैयार हो गए हैं तथा जिनका प्रयोग इस पाठ्यक्रम के साथ किया जा रहा है। ये परीक्षण पाठ्य-सामग्री सापेक्ष्य हैं और पाठ्य-सामग्री तथा विद्यार्थी की उपलब्धि-दोनों को जोड़ने की कड़ी भी हैं।

प्रत्येक पाठ के बाद हमने सम्प्राप्ति परीक्षण के लिए परीक्षा तैयार कर रखी है जिन्हें पाठ समाप्त करने के तुरंत बाद उसी दिन विद्यार्थियों से कराना आवश्यक है। प्रत्येक परीक्षा 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लेगी। इन परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थी की क्रमिक प्रगति का भी लेखा-जोखा रखा जा सकेगा। अवधारण परीक्षण एक पाठ्य-बिन्दु के पढ़ाने के एक सप्ताह बाद विद्यार्थियों को दिए जाएगें जिसके आधार पर विद्यार्थियों के क्रमिक विकास को देखा जाएगा कि विद्यार्थी सीखी हुई सामग्री को किस सीमा तक और किस गति से भूलते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पुनरीक्षण पाठ के बाद एक कसौटी परीक्षा रखी गयी है जो संवर्गीण परीक्षा के रूप में होगी। तात्पर्य यह है कि अब तक पढ़ाए हुए समस्त पाठ्य-बिन्दु इस परीक्षा में रख दिए जाएगे, जबकि सम्प्राप्ति परीक्षा में केवल वे ही पाठ्यबिन्दु रखे गये हैं जिन्हें पाठ विशेष में पढ़ाया गया है। जिस प्रकार प्रत्येक पाठ का एक पाठ्य-बिन्दु है जिसे पाठ रचना के माध्यम से विकसित किया गया है ताकि विद्यार्थी को वह पाठ्य-बिन्दु भली प्रकार हृदयंगम हो जाए। उसी प्रकार प्रत्येक परीक्षा में एक परीक्षण बिन्दु रखा गया है, जो पाठ के पाठ्य-बिन्दु से सम्बन्धित है और जिसके द्वारा इस बात का सही मूल्यांकन किया जाएगा कि विद्यार्थी ने पढ़ाए हुए पाठ्य-बिन्दु को किस सीमा तक और किस सीमा में आत्मसात् कर लिया है। इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर हमें दो बातों का पता चलेगा-(1) विद्यार्थी ने पाठ्य-बिन्दु को सीखने में अध्यापक के साथ कितना सहयोग किया है; तथा (2) जिन अंगों को वह भली प्रकार नहीं सीख पाया है, उनके लिए अतिरिक्त समय अथवा सामग्री किस मात्रा में अपेक्षित है।

भाषा शिक्षण की दिशा में सैद्धांतिक प्रतिस्थापनाओं को व्यावहारिक रूप में ढालने की दिशा में यह प्रथम प्रयास है और विश्वास है कि संस्थान इसकी उपलब्धियों के आधार पर न केवल इसी पाठ्यक्रम को संशोधित कर अधिक विश्वस्त बना पाएगा बल्कि इन अनुभवों का उपादेय अन्य पाठ्य-सामग्री निर्माण तथा शिक्षण प्रविधि एवं शिक्षण तकनीक को विकसित करने में भी सक्षम होगा।

प्रत्येक घंटा पढ़ाने के बाद अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि दिये हुए फार्म पर वह विद्यार्थी, पाठ्य-सामग्री तथा क्लास रूम में होने वाली अन्य किसी समस्या को साथ-साथ भरते जाएं, इससे लाभ यह होगा कि पाठ्य-सामग्री को अन्तिम रूप देते समय इन अनुक्रियाओं प्रतिक्रियाओं तथा अन्य सूचनाओं को भली प्रकार विश्लेषित करके दृष्टि में रखा जाएगा। जिससे इस पाठमाला को परीक्षण के ठोस आधार पर नया और प्रभावी अन्तिम रूप दिया जा सके। इसी प्रकार दूसरे-फार्म पर विद्यार्थियों की परीक्षाओं की उपलब्धि देखने के तश्चात् आवश्यकतानुसार परीक्षा, पाठ्य-सामग्री, शिक्षण विधि, तथा अन्य आनुषंगिक विषयों पर फिर से विचार किया जा सकता है और पाठ्य-सामग्री तथा परीक्षाओं को एक अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। अध्यापकों से अपेक्षा यह की जाती है कि वे अपने विचार निःसंकोच और स्वतंत्र रूप से आकलित करते जाएं। यह पाठ्य-सामग्री का प्रायोगिक चरण (ट्राई-आउट पीरियड) है और इसमें अध्यापकों का सहयोग सामग्री की उपादेयता बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

अभ्यास-पुस्तिका बनाने का उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी इन अभ्यासों को लिखने का प्रयास घर पर या स्वतंत्र समय में करें। अगर यह सम्भव न हो तो प्रत्येक पाठ समाप्त करने के पश्चात् इन्हें भी कक्षा में करवाया जाए। इनके आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति का आन्तरिक मूल्यांकन करने में अध्यापकों को काफी सहायता मिलेगी। इन अभ्यासों का उद्देश्य, जैसा पहले संकेत किया जा चुका है, पढ़ाई हुई सामग्री, व्याकरणिक संरचनाओं, लेखन-बोधन, शब्द आदि के दृढ़ीकरण करने का है। पहले दिए गए हुए कार्यक्रम के अनुसार, जब विद्यार्थी को लिपि का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो जाए तभी अभ्यास-पुस्तिका के अभ्यासों को करवाया जाए।

उच्चारण-पुस्तिका पढ़ाते समय एक वास्तविक कठिनाई अध्यापकों के सामने यह आ सकती है कि उनकी कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी विभिन्न मातृभाषाओं को बोलते होंगे; जबकि पाठ्य-सामग्री का निर्माण कुछ सवर्गीय मातृभाषाओं को दृष्टि में रखकर किया गया है जिनके बोलने वालों की कठिनाइयां हिन्दी सीखने के संदर्भ में एक सी होती हैं। इसके

लिए आदर्श-स्थिति तो यह होती है कि मातृभाषा के समुदायों के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाए और उन्हें उनकी उपयुक्त सामग्री के माध्यम से उच्चारण सिखाया जाए ; पर यदि यह संभव न हो तो जिस क्षेत्र के विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो उनके लिए निर्मित सामग्री का प्रयोग किया जाए। इन पाठों को पढ़ाते समय अध्यापक पहले दिए हुए शब्दों को पढ़ेगा और विद्यार्थी सुनेगें। पुनः अध्यापक पढ़ेगा और विद्यार्थी समवेत् स्वर में दोहराएंगे। बाद में जब दो ध्वनियां एक साथ तुलनात्मक रूप में दी गई हों ; वहां भी यही प्रक्रिया जारी रखनी होगी जिससे श्रवण-प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी इन ध्वनियों के अंतर को अपनी श्रवणेन्द्रिय द्वारा पहचान सकें और फिर उच्चारण में उस अंतर को बनाए रखने की चेष्टा करें। ध्वनि और उच्चारण में का यह अन्योन्याश्रित संबंध जग-विदित है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले विद्यार्थियों को उन शब्दों को सुनने दिया जाए। और बाद में दोहराने के लिए कहा जाए। जहां पर अध्यापक आवश्यक समझें, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी से इन शब्दों को ध्वनि-विशेष के उच्चारण में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उच्चरित कराएँ, क्योंकि क्लास के समवेत् उच्चारण में विद्यार्थी विशेष की उच्चारण की शुद्धता और अशुद्धता का आकलन नहीं किया जा सकता।

वैसे मूल पाठों के प्रस्तुतीकरण तथा मौखिक अभ्यासों को कराते समय भी विद्यार्थियों के उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक होगा क्योंकि उच्चारण को हम एक अलग कौशल के रूप में सिखाना तो जरूर चाहते हैं पर इन अभ्यासों को करते समय भी उन पर ध्यान रखना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक बार विद्यार्थी कहीं अशुद्धि कर जाता है तो वह उस अशुद्धि को बार-बार दोहराता रहेगा और फिर उसका उच्चारण ठीक करना अपेक्षाकृत कठिन हो जाएगा।

लेखन-बोधन पुस्तिका का प्रयोग कराते समय विभिन्न लिपि चिह्नों के रेखाओं की दिशा, उनका एक दूसरे से अनुपात और उनके आकार पर ध्यान दिया जाए। यद्यपि ये सभी विद्यार्थी वयस्क होंगे और इनमें से अधिकांश देवनागरी लिपि से परिचित भी होंगे, पर जिनका परिचय देवनागरी लिपि से नहीं हैं उनको सिखाते समय पुस्तक में दिए गए प्राविधानों पर ध्यान रखना लाभप्रद तथा शीघ्र फलदायक साबित होगा। लेखन के अभ्यास के लिए इस पुस्तक में दिए गए अभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास-पुस्तिका कराते समय भी लेखन का ध्यान रखा जाए। वैसे इन विद्यार्थियों में से अधिकांश को अपने दैनिक कार्य के लिए, देवनागरी लिपि का प्रयोग तथा देवानागरी लिपि में लिखी गई सामग्री के बोधन की अधिक आवश्यकता होगी और इस प्रक्रिया को दृढ़ करने हेतु लेखन पर अध्यापक आवश्यकतानुसार ज्यादा बल दें। श्रुतलेख कराते समय श्रवण और लेखन दोनों का परीक्षण होता रहता है। उसी प्रकार मौखिक अभ्यास कराते समय श्रवण और उच्चारण का अभ्यास साथ-साथ चलता है और वाचन का अभ्यास कराते समय लिपि और उच्चारण दोनों का अभ्यास होता रहता है। जब कभी अध्यापक एक प्रकार के पाठ करा रहे हों तो उनसे संबद्ध दूसरे प्रभावित कौशलों की तरफ भी समुचित ध्यान दें क्योंकि उनसे अपेक्षा यह की जाती है कि सभी कौशलों को समग्र रूप में एक साथ विकसित करने की दिशा में प्रयास करें।

समस्त पाठ्यक्रम को इन विभिन्न शीर्षकों में विभक्त करने के पीछे एक उद्देश्य तो यह रहा है कि कोई भी अंग आवश्यकता से अधिक बल नहीं पाये और न ही दूसरा छूट जाए लेकिन दूसरा उद्देश्य यह भी रहा है कि भाषा के कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिन मूल कौशलों को ध्यान में रखा जाता है उनका सहयोजन इस ढंग से किया जाए कि सब का समेकित प्रभाव विद्यार्थियों की समग्र सम्प्राप्ति और उपलब्धि में देखा जा सके।

इस समस्त पाठ्य-सामग्री को मनोवांछित ढंग से कक्षा में प्रयोग कराने हेतु संस्थान के पांच प्राध्यापकों का एक दल लेखक के नेतृत्व में हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न केन्द्रों पर गया तथा पाठ्य-सामग्री के परीक्षण से सम्बद्ध होने वाले योजना के प्राध्यापकों एवं सहायक-निदेशकों के हेतु एक कार्यशाला का संचालन किया। प्रत्येक केन्द्र पर यह कार्यशाला चार-पांच दिनों तक चलाई गई जिसमें संस्थान के प्राध्यापक शिक्षण योजना के प्राध्यापकों की समस्याओं पर सामूहिक चर्चा करते थे तथा प्रत्येक पुस्तक के प्रत्येक पाठ के प्रस्तुतीकरण के विषय में उन्हें अवगत कराते थे। इस प्रशिक्षण कार्यशाला यात्रा के निम्नलिखित परिणाम रहे :—

1. प्रायोगिक स्तर पर अध्यापन में लगने वाले सभी प्राध्यापकों को सामग्री निर्माण, परीक्षण-निर्माण, पूरक सामग्री निर्माण तथा सुधारात्मक (रेमेडियल) सामग्री के निर्माण संबंधी पद्धतियों के विषय से समुचित ज्ञान दिया गया।

2. परि-पूरक और सुधारात्मक सामग्री में क्या अंतर होता है और उनकी क्या उपयोगिता होती है इसके बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी दी गई तथा इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बताया गया।

3. व्याकरण का औपचारिक ज्ञान न देते हुए भी भाषण कौशलों का स्वाभाविक परिस्थितियों में किस प्रकार विकास किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देते हुए प्राध्यापकों को व्याकरण शिक्षण से बचने के लिए आश्वस्त किया गया।

4. सामग्री के प्रत्येक खंड एवं प्रत्येक पाठ्य-बिन्दु के चयन और उनके समायोजन के पीछे क्या नीति रही है और क्यों वे इस रूप में रखे हुए हैं इसके विषय में भी उन्हें समझाया गया।

5. परीक्षण का भाषा शिक्षण में क्या मूल्य है और परीक्षणों में क्या होना चाहिए इन सब के बारे में उन्हें सम्यक् ज्ञान दिया गया।

ये कार्यशालाएं दोनों के ही लिए उपयोगी रहीं मेरे सहयोगियों को भी कुछ उन वास्तविक समस्याओं को समझने का अवसर मिला जिनका उपयोग वे अगले सत्रों की पाठ्य-सामग्री के निर्माण में कर सकेंगे।

भाषा-शिक्षण एक ऐसी चुनौती है जिसे स्वीकार करके उस पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् भाषा सीखना या भाषा-शिक्षण किसी भी प्रकार से समस्या नहीं रह जाती। यूं भी भाषा-शिक्षण को अर्थवान् तथा परिणामदायक बनाने की दृष्टि से इसे यदि हम समस्या न मानकर समस्या का समाधान मानें और आगे बढ़े तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम समग्र प्रक्रिया को एक नया आयाम दे सकते हैं। यह नया आयाम देने के लिए विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को ही इस नयी दृष्टि से भाषा-अधिगम तथा भाषा-शिक्षण को देखना होगा। ऐसा करने से यह सारी की सारी प्रक्रिया ज्यादा वास्तविक, ज्यादा अर्थवान् तथा चुनौती पूर्ण हो जाती है। इसी चुनौती को स्वीकारने तथा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इस सामग्री का निर्माण किया गया है जिसे हम हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापकों के सहयोग से सफल और अर्थवान् बनाकर भाषा-शिक्षण के प्रयोजनमूलक तथा कार्यालयी प्रयोग के क्षेत्र में एक नया पहल कर रहे हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी के विकास के लिए किए जा रहे कार्य

—डॉ० गोपाल शर्मा
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन् 1961 में स्थापित इस अखिल भारतीय शैक्षिक संस्था केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने 17 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका संचालन केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल नामक एक रजिस्टर्ड समिति जो भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था है करती है। इसका मुख्य कार्यालय आगरा में है और इस समय इसके केन्द्र दिल्ली, शिलांग और हैदराबाद में है।

संस्थान की स्थापना संविधान के 351वें अनुच्छेद में दिए गए निर्देशों के अनुसार हिन्दी को शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक स्तरों पर विविध भूमिकाएँ निभाने और सुनियोजित अनुसंधान द्वारा शिक्षण-विधि ट्रेनिंग, अध्यापन-साहित्य तथा उपकरण आदि विकसित करने के लिए की गई है।

आज केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के अध्ययन-अध्यापन, तत्संबद्ध अनुसंधान तथा मुख्य रूप से अनुप्रयुक्त भाषा हिन्दी विज्ञान और भाषा-शिक्षण का उच्च अध्ययन केन्द्र है।

संविधान के लागू होने के बाद जैसे-जैसे हिन्दी के प्रयोग-क्षेत्र का विकास होता गया वैसे-वैसे उसमें विविधता बढ़ती गई और उससे यह अपेक्षा की जाने लगी कि वह समाज के हर व्यवहार-क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने में समर्थ और सक्षम हो। फलस्वरूप विभिन्न-विभिन्न व्यवहार-क्षेत्रों की जरूरतों के मुताबिक तरह-तरह के विद्यार्थी वर्गों के लिए हिन्दी की शिक्षा की व्यवस्था करने और आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर हिन्दी-शिक्षण की विशेषज्ञता विकसित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को उपयुक्त शिक्षण-सामग्री तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय कार्य तथा अनुसंधान द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का काम हाथ में लेना पड़ा। आज देश की अनेक संस्थाओं के लिए इसे एक उच्चस्तरीय मार्ग-दर्शक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ रही है। इसका कार्यक्षेत्र नियमित शिक्षण संस्थाओं से लेकर स्वयं सेवी प्रचार संस्थाओं और विश्वविद्यालय के उच्चस्तरीय हिन्दी अध्ययन तक विस्तृत हो गया है। कई विश्वविद्यालयों ने इसे शोध संस्था की मान्यता प्रदान की है।

इस प्रकार संस्थान के समक्ष मुख्य लक्ष्य हैं:—

(1) अहिंदी भाषी भारतीयों और विद्यार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी अध्यापन की सुविधा प्रदान करना;

(2) भारत और विदेशों में हिन्दी अध्ययन के स्तर को उन्नत करने के लिए अध्यापकों और अध्यापक-प्रशिक्षकों को अद्यतन तकनीकों में प्रशिक्षित करना;

(3) हिन्दी शिक्षण प्रविधियों का विकास करना और तदनुकूल शिक्षण सामग्री का निर्माण करना;

(4) हिन्दी भाषा और साहित्य में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करना और हिन्दी का अन्य भाषाओं और साहित्य के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना;

(5) सरकारी अधिकारियों, बैंक अधिकारियों इत्यादि के लिए सेवा माध्यम के रूप में हिन्दी अध्ययन की सुविधा देना;

(6) क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षण विस्तार कार्यक्रम संचालित करना और प्रकाशन के माध्यम से संस्थान के अध्ययन, निर्मित सामग्री और अनुसंधान को विस्तृत उपयोग के लिए प्रसारित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा हिन्दी के विकास के लिए संस्थान जिन पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों का संचालन करता है, उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:—

प्रशिक्षण कार्यक्रम :

संस्थान अपने शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने चार केन्द्रों पर विविध उद्देश्यों के लगभग डेढ़ दर्जन पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। ये पाठ्यक्रम मुख्यतः पांच प्रकार के हैं:—

(1) विश्वविद्यालयों और स्कूली अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(2) सेवा माध्यम के लिए हिन्दी पाठ्यक्रम;

(3) विदेशियों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

(4) अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का पोस्ट एम० ए० डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

(5) उच्चस्तरीय शोध के लिए मार्गदर्शन।

विश्वविद्यालय और स्कूली अध्यापकों का प्रशिक्षण :

अहिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों और स्कूलों के हिन्दी अध्यापकों को भाषा-शिक्षण की आधुनिकतम तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान विभिन्न स्तरीय ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। इन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिभागियों को शिक्षाशास्त्र, भाषाविज्ञान, मनोभाषिकी और समाजभाषिकी के अद्यतन सिद्धान्तों का ज्ञान कराने के साथ-साथ उनके भाग-शिक्षण में होने वाले अनुप्रयोगों से भी परिचित कराया जाता है। संस्थान इन पाठ्यक्रमों को दो रूपों में चलाता है—(1) पूर्णकालीय पाठ्यक्रम: हिन्दी शिक्षण निष्णत (एम० एड० स्तरीय पाठ्यक्रम), हिन्दी शिक्षण पारंगत (बी० एड० स्तरीय पाठ्यक्रम); गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम—सामान्य, हिन्दी शिक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, गहन हिन्दी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; (2) लघु अवधीय नवीकरण पाठ्यक्रम: उच्च अध्यापन पर गहन हिन्दी पाठ्यक्रम, लघु अवधीय पत्राचार और संपर्क पाठ्यक्रम, स्कूली अध्यापकों के लिए नवीकरण पाठ्यक्रम,

सुधारात्मक पाठ्यक्रम । पूर्ण स्त्रीय पाठ्यक्रमों का स्तर विश्वविद्यालयों के एम० एड० और बी० एड० पाठ्यक्रमों के समकक्ष है । लघु अवधीय नवीकरण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और स्कूलों में सेवारत हिन्दी अध्यापकों को एक सप्ताह से लेकर आठ सप्ताह के नवीकरण पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है ।

सेवा माध्यम के लिए हिन्दी पाठ्यक्रम :

इस गुरूतर कार्य को निभाने के लिए संस्थान तथा उसके क्षेत्रीय केन्द्रों में जो कार्य संपन्न किया गया है उसको हम निम्नलिखित रूप में विभाजित कर सकते हैं:--

(1) केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने से संबंधित गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति में योगदान,

(2) उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री का निर्माण,

(3) योजना के सहायक निदेशकों एवं अध्यापकों के लिए निर्मित शिक्षण सामग्री के पढ़ाने की तकनीक से संबंधित नवीकरण पाठ्यक्रम का संचालन,

(4) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना के प्राध्यापकों एवं सहायक निदेशकों के लिए प्रशिक्षण,

(5) हिन्दी शिक्षण योजना के अनुपूरक कार्य के रूप में संस्थान के दिल्ली परिसर में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 90/60 दिवसीय गहन हिन्दी पाठ्यक्रम,

(6) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली के प्रोबेशनरों को कार्यालयीन हिन्दी का एक मासीय पाठ्यक्रम,

(7) बैंक अधिकारियों के लिए हिन्दी का एक मासीय पाठ्यक्रम,

(8) सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ग्रीष्मकालीन हिन्दी का पाठ्यक्रम,

(9) अहिन्दी भाषी संसद सदस्यों के लिए हिन्दी का पाठ्यक्रम,

(10) नर्सों के लिए प्रयोजनमूलक हिन्दी का पाठ्यक्रम,

(11) विक्रेताओं के लिए प्रयोजनमूलक हिन्दी का पाठ्यक्रम,

(12) डाकियों के लिए हिन्दी का पाठ्यक्रम ।

राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की व्यापक भूमिका को ध्यान में रखकर संस्थान ने सेवा माध्यम की दृष्टि से हिन्दी शिक्षण के कई पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए हैं: केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 90/60 दिवसीय गहन हिन्दी पाठ्यक्रम, कार्यालयी हिन्दी का एक मासीय पाठ्यक्रम, बैंक अधिकारियों के लिए बैंकिंग हिन्दी पाठ्यक्रम । भारतीय भाषाओं के संदर्भ में संभवतः यह संस्थान ही ऐसी एकमात्र संस्था है जिसने सरकारी कामकाज और विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हिन्दी सिखाने के पाठ्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम देश में प्रारम्भ किया ।

इसके अतिरिक्त सेवा माध्यम पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत 4 अप्रैल, 1978 से भारतीय डाकतार विभाग के डाकियों को देवनागरी लिपि और हिन्दी में लिखे पतों को पढ़ने का प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इसके अतिरिक्त संस्थान आशुलिपिकों, नर्सों, विमान परिचारिकाओं आदि व्यवसायों से संबंधित हिन्दी पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए तैयारी कर रहा है ।

विदेशियों के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

संस्थान अपने दिल्ली केन्द्र पर विदेशियों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के हिन्दी पाठ्यक्रमों का संचालन करता है । इन पाठ्यक्रमों में भारत सरकार की 'विदेशों में हिन्दी का प्रचार' योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पर हिन्दी के उच्च अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी भी सम्मिलित होते हैं । विभिन्न विदेशी पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री का निर्माण भी संस्थान द्वारा किया गया है । विदेशियों के लिए--हिन्दी भाषा दक्षता डिप्लोमा पाठ्यक्रम, हिन्दी भाषा दक्षता-प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन भाषा कार्यक्रम--पाठ्यक्रम चलाए गए हैं ।

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का पोस्ट एम०ए० डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

हिन्दी भाषा से संबंधित विभिन्न कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को अनुप्रयुक्त हिन्दी भाषा विज्ञान में प्रशिक्षित करने तथा भाषा विज्ञान के विशिष्ट ज्ञान द्वारा उनकी कार्य दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान के दिल्ली केन्द्र में 1974-75 से अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान पोस्ट एम० ए० डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था । इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अन्य केन्द्रों में चलाने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

उच्चस्तरीय शोध के लिए मार्गदर्शन :

संस्थान में देश-विदेश के विश्वविद्यालयों के छात्रों और अध्यापकों के हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा संबंधी शोध कार्यों को पूरा करने में सहायता और मार्गदर्शन देने की व्यवस्था है । संस्थान के अध्यापकों के निर्देशन में कई भारतीय और विदेशी अपना शोध कार्य पूरा कर चुके हैं । मैसूर और आगरा विश्वविद्यालय के शोध अनुसंधान केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त यह संस्थान इस समय इन विश्वविद्यालयों की पी० एच० डी० की डिग्री के लिए शोध करने वाले व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर रहा है ।

संस्थान के निर्देशन में पी० एच० डी० के लिए शोध कार्य करने वाले सुयोग्य छात्रों को यू० जी० सी० द्वारा निर्धारित 400 रु० प्रतिमास की अनुसंधानवृत्ति भी दी जाती है ।

शिक्षण सामग्री निर्माण और अनुसंधान :

हिन्दी भाषा के उच्चस्तरीय अध्ययन का प्रमुख केन्द्र होने के नाते संस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण की तकनीक के विकास के लिए सुनियोजित अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन और विभिन्न स्तरों पर होने वाले हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण करना है । यह शिक्षण सामग्री विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लिए पर्याप्त अनुसंधान परियोजनाओं को संचालित करने के बाद प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर तैयार की जाती है । इस समय संस्थान में निम्नलिखित प्रकार की शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है:--

(1) हिन्दी शिक्षण से सम्बन्धित सामग्री :

संस्थान में देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के अनुकूल विविध स्तरीय हिन्दी पाठ्य-पुस्तकें, उच्चारण अभ्यास, सुधारात्मक पाठ, मूल्यांकन और परीक्षण के लिए अभ्यास, हिन्दी व्याकरण और रचना-डेस्कबुक, उच्चारण और अनुतान के टेपांकित पाठ, छात्रोपयोगी शब्दकोष आदि तैयार किए जा रहे हैं । मिजोरम और नागालैंड के लिए निर्मित सामग्री का प्रयोग राज्यों के स्कूलों में किया जा रहा है ।

(2) हिन्द प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री :

इसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विविध पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकें और हिन्दी अध्यापकों के लिए निर्देशिकाएं आदि सामग्री तैयार की जा रही हैं। हिन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान ने भाषाविज्ञान के विषयों पर 20 मोनोग्राफ प्रकाशित करने की एक योजना तैयार की है। जिसके कार्यान्वयन से हिन्दी माध्यम से भाषाविज्ञान का अध्ययन-अध्यापन करने वाले व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

(3) सेवा माध्यम की हिन्दी की शिक्षण सामग्री :

संस्थान विभिन्न सेवा माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट प्रकार की हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए कई प्रकार के पाठ्यक्रम चलाता है जिनकी शिक्षण सामग्री का निर्माण संस्थान द्वारा ही किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयी कार्य की हिन्दी सिखाने, बैंक अधिकारियों को बैंकिंग कार्यों की हिन्दी में प्रशिक्षण देने और डाकतार विभाग के डाकियों को हिन्दी लिपि और वर्तनी सिखाने के लिए संस्थान द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार की जा चुकी है और सफलता-पूर्वक उपयोग में लायी जा रही है। कार्यालयी हिन्दी और बैंकिंग हिन्दी से संबंधित शिक्षण सामग्री प्रकाशित भी की जा चुकी है। संस्थान द्वारा नर्सों, विमान परिचारिकाओं और आशुलिपिकों को हिन्दी का विशिष्ट प्रशिक्षण देने से संबंधित शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(4) दृश्य-श्रव्य भाषा प्रयोगशाला से संबंधित शिक्षण सामग्री :

संस्थान के शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत दृश्य-श्रव्य सामग्री द्वारा हिन्दी लिपि शिक्षण, वाक्य संरचना, शब्दावली आदि सिखाने के लिए चार्टों, फ्लेशकार्डों, चित्रों और व्यंगचित्रों को तैयार करने का कार्य भी सम्मिलित किया गया है जिसके माध्यम से हिन्दी सीखने वाले छात्रों को सुगमता और वैज्ञानिक तरीकों से हिन्दी सिखाई जा सकेगी।

भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सामग्री के अन्तर्गत संस्थान ने हिन्दी पाठों, उच्चारण अभ्यास, अनुतान अभ्यास आदि टेपांकित सामग्री को विभिन्न भाषाभाषी छात्रों के लिए तैयार किया है जिसे संस्थान और उसके केन्द्रों पर शिक्षण में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सामग्री को विभिन्न राज्यों की हिन्दी शिक्षण संस्थाओं को भी अनुरोध प्राप्त होने पर भेजा जाता है।

(5) प्रकाशन :

संस्थान हिन्दी के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर हिन्दी सीखने-सिखाने की पाठ्य एवं सहायक पुस्तकों के साथ-साथ हिन्दी भाषा, शिक्षण और साहित्य से संबंधित उच्चस्तरीय अनुसंधान-ग्रंथों का प्रकाशन करता है। संस्थान अभी तक विभिन्न विषयों पर लगभग 55 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है।

इसके अतिरिक्त संस्थान 'गवेषणा' नाम से अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका प्रकाशित करता है जिसमें भाषाविज्ञान और भाषा शिक्षण के अनेक पक्षों के संबंध में अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित निबंध परिचर्चाएं, समीक्षाएं आदि प्रकाशित की जा रही हैं।

(6) प्रसार सेवा कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के लिए अभी संस्थान में कोई अलग से विभाग नहीं है लेकिन फिर भी संस्थान अपने सीमित साधनों द्वारा देश की शासकीय और स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग प्रदान करता है। संस्थाओं की मांग के अनुसार संस्थान उनके यहां अपने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के व्याख्यान आयोजित कराता है, सेमिनार, विचारगोष्ठी, कार्यशालाओं आदि को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है और विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री को उपलब्ध करने में सहयोग देता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नलिखित है :—

(1) नगालैंड सरकार के अनुरोध पर हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर के लिए चतुर्वर्षीय समन्वित गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण

(2) नगालैंड सरकार के अनुरोध पर स्कूलों के लिए विभिन्न स्तरीय हिन्दी के पाठ्यपुस्तकों और सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण

(3) मिजोरम सरकार के अनुरोध पर हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, आइजोल के संचालन के लिए प्रिंसीपल पद पर संस्थान के वरिष्ठ लेक्चरर की प्रतिनियुक्ति

(4) मिजोरम सरकार के अनुरोध पर हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किए जाने वाले अध्यापकों के लिए द्विवर्षीय गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण

(5) मिजोरम सरकार के अनुरोध पर स्कूलों के लिए विभिन्न स्तरीय हिन्दी पाठ्य-पुस्तकों और सहायक शिक्षण सामग्री और अध्यापक निर्देशिकाओं का निर्माण

(6) आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर प्रदेश में होने वाले हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण की समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

(7) राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अनुरोध पर हिन्दी शिक्षण योजना के नए पाठ्यक्रमों के अनुकूल पुस्तकों का निर्माण

संस्थान ने इस कार्यक्रम को विस्तृत करने तथा प्रभावी बनाने के लिए सचल दलों को स्थापित करने की एक योजना तैयार की है जिसके जारी होने पर इस कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक हो जाएगा।

(7) विस्तार कार्यक्रम :

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान प्रतिवर्ष शिक्षण-विधियों, हिन्दी के समाज भाषिकीय पक्षों, भारत की विभिन्न भाषाओं और साहित्यों में परस्पर आदान-प्रदान की समस्याओं पर देश-विदेश के अधिकारी विद्वानों की भाषणमाला आयोजित करता है। समय-समय पर सम्मेलनों, विचार-गोष्ठियों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाता है।

ooo

संघ शासन के कामकाज में हिन्दी की स्थिति

हरिबाबू कंसल

उप सचिव, भारत सरकार

□□□□

एक समय था जब केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही होता था। दिसम्बर, 1955 के राष्ट्रपति जी के आदेश के बाद हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की शुरुआत हुई। हिन्दी भाषी राज्य सरकारों को कुछ पत्र हिन्दी में जाने आरम्भ हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों या भारतीय राजदूतों के प्रत्यय पत्र आदि जैसे कुछ प्रलेखों में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ हुआ। कुछ समय बाद साधारण किस्म के कुछ अन्य कामों में हिन्दी का इस्तेमाल शुरू किया गया और यह तय किया गया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सम्बन्धित आदेश हिन्दी में जारी किए जाएं।

सन् 1961 में मंत्रिमण्डल द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए जिसके अनुसार भारतीय गजट के कुछ भागों को हिन्दी में भी प्रकाशित करना आरम्भ किया गया। और सरकारी फार्मों को द्विभाषी रूप में छापने की शुरुआत की गई। साथ ही कुछ अनुभागों में प्रयोगात्मक रूप में टिप्पणियां भी हिन्दी में लिखने की छूट दे दी गई। अन्य प्रशासनिक आदेशों के द्वारा नामपट्ट आदि को द्विभाषी रूप में लिखवाने तथा स्टेशनरी द्विभाषी रूप में छपवाने के निर्णय किए गए। अब लगभग सभी कार्यालयों के नाम बोर्ड हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे दिखाई पड़ते हैं। बहुत कम कार्यालय ऐसे मिलेंगे जहां बोर्ड द्विभाषी रूप में नहीं लिखाए गए हैं। विभिन्न विभागों में अनेक फार्म काम में लाये जाते हैं। उन सबका अनुवाद एकदम होना सम्भव नहीं था। लेकिन अब अधिकांश फार्मों के अनुवाद हिन्दी में हो चुके हैं और उनमें से अनेक फार्म द्विभाषी रूप में छपने लगे हैं। निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अधीन जितने भी सरकारी प्रेस हैं वे कोई भी ऐसा फार्म छापने के लिए स्वीकार नहीं करते जो केवल अंग्रेजी में हो। लेकिन जिन मंत्रालयों के अपने प्रेस हैं, उनमें अब भी कहीं-कहीं कुछ फार्म केवल अंग्रेजी में छपवा लिए जाते हैं। सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने अधीन प्रेसों में फार्मों को द्विभाषी रूप में ही छपवाने के बारे में वैसी ही व्यवस्था करें जैसी निर्माण तथा आवास मंत्रालय के अधीन प्रेसों में है।

गजट में छपने वाली अधिसूचनाएं भी अब हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती हैं क्योंकि भारत सरकार के प्रेस कोई भी अधिसूचना केवल अंग्रेजी में छपने के लिए स्वीकार नहीं करते। सांविधिक अधिसूचनाओं का कभी-कभी तुरन्त अनुवाद नहीं मिल पाता। ऐसी अधिसूचनाओं को परिस्थितिवश पहले अंग्रेजी में छपवाना पड़ता है और हिन्दी अनुवाद उपलब्ध होने पर बाद में हिन्दी रूपान्तर छापा जाता है। किन्तु ऐसी अधिसूचनाएँ अपेक्षाकृत कम ही होती हैं।

राजभाषा अधिनियम की संशोधित धारा 3(3) के अनुसार सभी सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकलने अपेक्षित हैं। कुछ मंत्रालय अपने सामान्य आदेश स्वयं ही द्विभाषी रूप में निकालने लगे थे। लेकिन, अनेक मंत्रालयों के सामान्य आदेश कई वर्ष तक या तो केवल अंग्रेजी में निकलते रहे या उनके अंग्रेजी रूपान्तर पहले निकल जाते थे और हिन्दी रूपान्तर काफी समय बाद। इस कमी की ओर राजभाषा विभाग द्वारा ध्यान आकर्षित कराए जाने के फलस्वरूप अब स्थिति काफी सुधरी है तथा मंत्रालयों और विभागों की ओर से ही नहीं उनके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि सभी सामान्य आदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जाएं तथा दोनों भाषाओं में रूपान्तर साथ-साथ जारी किए जाएं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार संविदाओं, करारों और टेण्डर सूचनाओं, लाइसेंसों, परमिटों आदि में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन इन प्रलेखों में हिन्दी के इस्तेमाल की स्थिति नहीं सुधरी है। ज्यों-ज्यों इन फार्मों के हिन्दी रूपान्तर तैयार होते जाएंगे इन प्रलेखों में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ सकेगा। उदाहरण के रूप में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने विभाग की संविदाओं की सामान्य शर्तों के फार्मों के हिन्दी अनुवाद करा लिए हैं और उनके आधार पर उनकी संविदाओं में हिन्दी का इस्तेमाल होने लगा है।

पिछले कई वर्षों से इस बात का प्रयत्न होता रहा है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से जो पत्र हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को जाएं वे हिन्दी में भेजे जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 में भी यह प्रावधान किया गया है कि इन राज्यों की सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किया जाए तथा यदि विशेष स्थिति में उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाए। काफी मंत्रालय इस ओर ध्यान देने लगे हैं और अब इन राज्यों को पहले की अपेक्षा काफी अधिक मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाने लगे हैं।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम केन्द्रीय हिन्दी समिति के अनुमोदन से बनाए जाते रहे हैं उसके अनुसार यह प्रयत्न होता रहा है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अपने बीच होने वाले पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाएं। राजभाषा नियम 1976 के नियम 4(ग) के अनुसार हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को अपना परस्पर पत्र-व्यवहार हिन्दी में करना चाहिए। कुछ कार्यालय ऐसा करने भी लग गए हैं। रेलवे के अनेक कार्यालयों में काफी पत्र-व्यवहार हिन्दी में होने लगा है। लखनऊ और कानपुर के सेन्ट्रल एक्साइज तथा कस्टम्स के कार्यालयों में, और कई नगरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में काफी पत्र-व्यवहार मूलतः हिन्दी में होने लगा है। अनेक कार्यालयों में अब वेतन बिलों में कर्मचारियों के नाम हिन्दी में लिखे जाते हैं। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, जो केन्द्रीय सरकार का ही एक उपक्रम है अपने अधिकांश चैक हिन्दी में बनाता है। उनके द्वारा हिन्दी में बनाए जा रहे चैकों की संख्या प्रति मास एक हजार से अधिक रहती है। उपस्थिति रजिस्टर तो अनेक कार्यालयों में हिन्दी में रखे जा रहे हैं। मानक प्रारूपों को हिन्दी में तैयार करा लेने से कई कार्यालय अपना काफी रुटीन पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने लगे हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में हिन्दी

के प्रयोग की स्थिति का कुछ अनुमान 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुई तिमाही के इन आंकड़ों से मिल सकेगा:—

(क) हिन्दी पत्रों के हिन्दी में भेजे गए उत्तर . .	33,493
(ख) हिन्दी में जारी हुए मूलपत्र . . .	56,908
(ग) सामान्य आदेश—द्विभाषी रूप में (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में)	3,698
केवल अंग्रेजी में	936
(घ) अधिसूचनाएं—द्विभाषी रूप में (हिन्दी अंग्रजी दोनों में)	3,158
केवल अंग्रेजी में	75
(ङ) परमिट—द्विभाषी रूप में (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में)	1,000
केवल अंग्रेजी में	शून्य

इसी प्रकार अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी के इस्तेमाल की स्थिति दिन-दिन अच्छी होती जा रही है । उदाहरण के रूप में दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुई तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्यालय से 16,232 पत्र हिन्दी में भेजे गए और 615 में से 476 सामान्य आदेश हिन्दी में जारी किए गए । सेन्ट्रल एक्साइज के नई दिल्ली के दफ्तर से हिन्दी में 1,99,915 मूलपत्र हिन्दी में भेजे गए और 220 सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में तथा 84 सामान्य आदेश हिन्दी में जारी किए गए । स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम है । उन्होंने इस तिमाही में हिन्दी में प्राप्त 8,767 पत्रों में से 3,559 के उत्तर हिन्दी में दिए और 62% के अंग्रेजी में तथा हिन्दी भाषी राज्यों को अपनी ओर से 4,298 मूलपत्र हिन्दी में भी भेजे । इस तिमाही में उनके यहां से 180 सामान्य आदेश केवल हिन्दी में, 808 हिन्दी-अंग्रेजी में तथा 8,953 केवल अंग्रेजी में जारी हुए ।

जिन कार्यालयों में अभी हिन्दी का प्रयोग नहीं हो पा रहा है उसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(क) हिन्दी टाइपराइटरों का अभाव;

(ख) कर्मचारियों को हिन्दी टाइपराईटिंग या हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण न मिलना;

(ग) राजभाषा सम्बन्धी आदेशों के बारे में ठीक जानकारी न होना;

(घ) संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के बारे में डर ।

भारत सरकार की ओर से तय किया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में कम से कम एक हिन्दी टाइपराइटर अवश्य होना चाहिए । यह भी निर्णय किया जा चुका है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में वर्ष में जितने टाइपराइटर मंगाए जाएं उनमें से 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी लिपि के मंगाए जाने चाहिए। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में स्थित कार्यालयों के लिए यह प्रतिशत 25 तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए 10 रखा गया है । पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को जब किसी केन्द्रीय कार्यालय से कोई इण्डेन्ट प्राप्त होता है तो अब वे इस बात की जांच कर लेते हैं कि इण्डेन्ट भेजते समय उपर्युक्त निर्णय का ध्यान रखा गया है । कुछ समय पूर्व टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियां मांग के अनुसार हिन्दी टाइपराइटर सप्लाई नहीं कर पाती थीं । उनके साथ हुई बैठकों के फलस्वरूप अब हिन्दी के टाइपराइटरों की सप्लाई की स्थिति भी काफी सुधरी है और इन कम्पनियों ने आश्वासन दिया है कि वे कार्यालयों से हिन्दी टाइपराइटर की मांग प्राप्त होने पर उसकी सप्लाई तीन महीने के भीतर कर दिया करेंगे ।

हिन्दी टाइपराईटिंग और हिन्दी आशुलिपि सिखाने के लिए भारत सरकार ने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जबलपुर, कानपुर, पटना तथा हैदराबाद में केन्द्र खोले हैं । लेकिन अन्य नगरों में इस बात की सुविधा दी गई है कि जो कर्मचारी अपने निजी प्रबन्धों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और निर्धारित परीक्षा पास करेंगें उनको कुछ अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी । औरंगाबाद के सेना लिपिक प्रशिक्षण स्कूल ने 50 हिन्दी टाइपराइटर मंगा लिए हैं और उनके द्वारा सेना के लिपिकों को हिन्दी टाइपराइटिंग का प्रशिक्षण देना आरम्भ किया जा रहा है ।

यद्यपि हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित आदेश समय-समय पर जारी होते रहे हैं और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बने राजभाषा नियमों को जून, 1976 में गजट द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों को इन आदेशों के बारे में सही जानकारी नहीं है । सभी जगह इतनी जानकारी तो अवश्य है कि हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिए लेकिन अपनी ओर से भेजे जाने वाले पत्रों में भी हिन्दी का इस्तेमाल किया जाना है, इसकी जानकारी अभी बहुत कम अधिकारियों को है । जिन कार्यालयों में जाकर राजभाषा सम्बन्धी नियमों तथा आदेशों की ठीक तरह से जानकारी कराई गई है उन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग पहले की अपेक्षा बढ़ा है ।

कुछ वर्ष पहले तक हिन्दी के नाम पर केवल अनुवाद हुए कुछ फार्म या परिपत्र ही दिखाई पड़ते थे, या कुछ गजट अधिसूचनाओं के हिन्दी अनुवाद; और अनुवाद की भाषा आमतौर पर जटिल और अटपटी होती थी । मामूली हिन्दी जानने वाले व्यक्ति उसे पढ़कर भयभीत हो जाते थे । यह माना जाता था कि यदि हिन्दी में लिखी कोई बात दूसरे व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाए तो वह हिन्दी नहीं है । अब राजभाषा विभाग की ओर से यह बात स्पष्ट की गई है, और इस बात को बार-बार दोहराया गया है, कि सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का इस्तेमाल किया जाए और अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को काम में लेने में संकोच न किया जाए । उससे स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । हिन्दी के प्रति जो डर फैला हुआ था, ज्यों-ज्यों वह दूर होता जा रहा है त्यों-त्यों विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के उपयोग की मात्रा और बढ़ती जा रही है ।

इसी तरह कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सभी मूलपत्र केवल अंग्रेजी में जारी होते दिखाई पड़ते थे । आज यह स्थिति नहीं है । हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनेक कर्मचारी अब अपना काम हिन्दी में करने लगे हैं, फिर भी अंग्रेजी के पत्रों की संख्या बहुत अधिक है और हिन्दी पत्रों की बहुत कम ।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करें । विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी गठन कराया गया है ताकि हर तिमाही में इस बात की समीक्षा हो सके कि राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का कार्यान्वयन किस हद तक हुआ और जो कमियां रही हैं उनको किस तरह दूर किया जाए । यदि सभी स्तर के अधिकारी और कर्मचारी राजकाज में हिन्दी के प्रयोग की बात को राष्ट्रीय महत्व की बात समझेंगे और उसमें दिलचस्पी लेंगे तो स्थिति में और परिवर्तन होगा । सौभाग्य से अब हिन्दी के महत्व को समझा जाने लगा है । परन्तु इस दिशा में लगातार प्रयत्नों की आवश्यकता पूर्ववत् बनी हुई है ।

□□

केन्द्रीय हिन्दी समिति के प्रमुख निर्णय

—संपादक

□□□□

पिछले अंक में केन्द्रीय हिन्दी समिति के कुछ प्रमुख निर्णयों का विवरण दिया जा चुका है। शेष प्रमुख निर्णय नीचे दिए जा रहे हैं:—

(14) समिति ने अपनी 9 अप्रैल, 1975 की बैठक में यह निर्णय किया कि राजभाषा का काम देखने के लिए एक स्वतन्त्र राजभाषा विभाग की स्थापना की जाए। समिति की 25 नवम्बर, 1975 को हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि एक स्वतन्त्र राजभाषा विभाग बनाने के उद्देश्य को देखते हुए इसे कुछ और काम सौंपे जाने चाहिए। चर्चा के बाद यह तय हुआ कि समिति की उप-समिति इस मामले पर विचार कर सिफारिश करे कि राजभाषा विभाग को कौन-कौन से और काम सौंपे जाएँ।

(15) समिति ने अपनी 9 अप्रैल, 1975 को हुई बैठक में यह निर्णय किया था कि राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा किए जाने वाले काम आयोग के स्थान पर एक अलग विभाग को सौंपे जाएं, जो विधि मंत्रालय का अंग हो और उसमें नियमित सेवा वाले लोग स्थायी तौर पर नियुक्त किए जाएं ताकि अपेक्षाकृत कम उम्र वाले लोग अधिक समय के लिए मिल सकें जिससे काम में अधिक गति आ सके।

(16) समिति की 2 सितम्बर, 1967 को हुई पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को हिन्दी के प्रचार, विकास और संघ के कामकाज में उसके प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सभी योजनाओं पर हिन्दी सलाहकार से पूर्व परामर्श करना चाहिए। 25 नवम्बर, 1975 की बैठक में यह तय किया गया कि सभी मंत्रालय और विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रयोग आदि से सम्बन्धित सभी योजनाओं पर राजभाषा विभाग से पूर्व परामर्श करें और अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में राजभाषा विभाग को जानकारी देते रहें।

(17) 25 नवम्बर, 1975 की बैठक में समिति के ध्यान में यह बात लाई गई कि बार कौंसिल आफ इण्डिया के निर्णयों के अनुसार अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस शर्त से हिन्दी माध्यम से कानून पढ़ने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। समिति ने निर्णय किया कि इस बारे में विधि मंत्रालय बार कौंसिल के प्रतिनिधियों से चर्चा करे और इस चर्चा में समिति की उप-समिति के कुछ सदस्य भी शामिल किए जाएँ।

(18) समिति की 25 नवम्बर, 1975 की बैठक में यह निर्णय किया गया कि जिन कर्मचारियों को हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया जाता है उनको कक्षाओं में उपस्थित रहना तथा परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

(19) संविधान के वर्तमान हिन्दी अनुवाद को प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर माने जाने के प्रश्न पर समिति द्वारा समय-समय पर विचार किया गया। समिति के निर्णय के अनुसार विधि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख विधिवेत्ताओं की राय प्राप्त की। उनकी राय के अनुसार संविधान के वर्तमान हिन्दी रूपान्तर हो प्राधिकृत रूप नहीं माना जा सकता। उसे केवल उसके प्राधिकृत अनुवाद का दर्जा दिया जा सकता है। समिति की 26 मई, 1976 को हुई बैठक में इस सम्बन्ध में आगे चर्चा हुई। प्रधान मंत्री ने, जो समिति के अध्यक्ष हैं, निदेश दिया कि स्वतन्त्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर प्रकाशित संविधान के हिन्दी पाठ को प्राधिकृत अनुवाद का दर्जा देने के लिए संसद में विधेयक जल्दी ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भी तय किया गया कि संविधान का अन्य भारतीय भाषाओं में प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(20) हिन्दी अधिकारियों और कर्मचारियों आदि का संवर्ग बनाने के सम्बन्ध में समिति की 26 मई, 1976 की बैठक में आगे चर्चा हुई। समिति की राय थी कि कर्मचारियों और अधिकारियों को उन्नति के समान अवसर देने के लिए यथासम्भव सभी मंत्रालयों/विभागों के हिन्दी सम्बन्धी पद संवर्ग में शामिल किए जाने चाहिए और इस सम्बन्ध में साधारणतया किसी प्रकार का अपवाद नहीं किया जाना चाहिए। यह तय हुआ कि गृह राज्य मंत्री एक बैठक बुलाकर उन मंत्रालयों के मंत्रियों से चर्चा कर लें जो इस संवर्ग में शामिल नहीं होना चाहते हैं।

(21) समिति ने 26 मई, 1976 की बैठक में हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटर के कुंजी-पटल में सुधार के बारे में राजभाषा विभाग के सचिव द्वारा दिए गए प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

(22) समिति ने अपनी 26 मई, 1976 की बैठक में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 के अन्तर्गत विधि मंत्रालय के परामर्श से बनाए गए नियमों का अनुमोदन किया और यह निदेश दिया कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन होने के कारण यह व्यवस्था करनी चाहिए कि फिलहाल ये नियम तमिलनाडु पर लागू न हों।

(23) उपर्युक्त बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार एक निदेश द्वारा सभी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दे । इसके लिए सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के ही अन्तर्गत प्रबन्ध किया जाए, लेकिन इस सम्बन्ध में किया गया पूरा खर्च उद्यमों से लिया जाए ।

(24) समिति की 11 जनवरी, 1977 की बैठक में यह राय व्यक्त की गई कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में कोई ऐसी हिन्दीतर भाषा भी पढ़ाई जा सकती है जो उस क्षेत्र के पड़ोस में बोली जाती हो । ऐसी व्यवस्था से पढ़ने वालों को सहूलियत होगी और पड़ोसी राज्यों के साथ सद्भावना बढ़ेगी ।

(25) समिति की 11 जनवरी, 1977 की बैठक में यह तय हुआ कि जनता की जानकारी के लिए जो नाम पट्ट या नोटिस बोर्ड लगाए जाएं उनमें लिपियों का प्रयोग इस प्रकार हो: (1) क्षेत्रीय भाषा की लिपि (2) देवनागरी लिपि और (3) रोमन लिपि । सभी लिपियों के अक्षर समान आकार के होंगे । यह भी तय किया गया कि तमिलनाडु में फिलहाल यथास्थिति ही कायम रहे ।

(26) समिति की 12-13 दिसम्बर, 1977 की बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं आदि से सम्बन्धित भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाने के सम्बन्ध में तुरन्त कार्रवाई की जाए । कोठारी रिपोर्ट में इनसे सम्बन्धित निर्णयों को पहले जनमत के लिए प्रकाशित करना जरूरी नहीं है ।

(27) 12-13 दिसम्बर, 1977 की बैठक में यह भी तय किया गया कि द्विभाषिक/त्रिभाषिक शब्दकोशों के प्रकाशन की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए । यह भी तय किया गया कि भारतीय भाषाओं के कोषों में विभिन्न भाषाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले समान शब्दों को रखने की कोशिश की जाए ।

(28) समिति ने अपनी 12-13 दिसम्बर, 1977 की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि ग्रामीण बैंकों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जनता से सम्बन्धित फार्मों को केवल हिन्दी में और अन्य क्षेत्रों में उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में छपवा लिया जाए, लेकिन हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं को न जानने वाले लोगों की सहूलियत के लिए थोड़े से फार्म अंग्रेजी में भी छपवा कर प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक के कार्यालय में रखे जाएँ ।

(29) समिति की उपर्युक्त बैठक में यह बताया गया कि हिन्दी को राष्ट्र संघ की कामकाजी भाषाओं में से एक भाषा स्वीकार कराने में भारत को काफी व्यय करना होगा । इस सिलसिले में विदेश मंत्री जी ने बताया कि कुछ दस्तावेजों को हिन्दी में प्रस्तुत करना सम्भव हो सकता है, ऐसा करने में कम खर्च पड़ेगा और कठिनाई भी कम होगी । समिति ने सिद्धान्त रूप से यह बात स्वीकार की कि व्यय को सीमित रखते हुए इस दिशा में जो कुछ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए । समिति ने विदेश मंत्री जी के सुझाव को स्वीकार किया और यह तय किया कि राष्ट्र संघ में दस्तावेजों के हिन्दी में प्रस्तुतीकरण से ही शुरुआत की जाए ।

(30) समिति ने इस बैठक में यह भी तय किया कि जिस प्रकार भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में कम से कम एक-एक हिन्दी टाइपराइटर खरीदने की व्यवस्था है, उसी प्रकार विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों तथा अन्य कार्यालयों में भी एक-एक हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटर मंगवाने की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए तथा दूतावासों और विदेश मंत्रालय के बीच पत्र-व्यवहार में भी हिन्दी के इस्तेमाल की शुरुआत की जानी चाहिए । यह भी तय हुआ कि विदेश सेवा में जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिन्दी पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाए । साथ ही सभी भारतीय दूतावासों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी की पुस्तकें मंगवाई जाएँ । यह भी निश्चय किया गया कि दूतावासों के लैटर पैड, स्टेशनरी, नाम-पट्ट और निमंत्रण-पत्र हिन्दी में भी होने चाहिए ।

13 अप्रैल, 1978 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक का एक दृश्य

(1) रक्षा मंत्री जगजीवन राम (2) प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई
(3) गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह बैठक में विचार-विमर्श करते हुए

13 अप्रैल, 1978 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक का दूसरा दृश्य

(1) गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल (2) श्री रमाप्रसन्न नायक, राजभाषा सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार (3) श्री एन० के० मुकर्जी मंत्रिमडल सचिव (4) बाबू गंगाशरण सिंह, सदस्य (5) डा० मलिक मुहम्मद, सदस्य (6) श्री सुधाकर पांडे, सदस्य (7) श्री योगेंद्र शर्मा, सदस्य और (8) श्री ओम मेहता, सदस्य

इस बैठक में विधि मंत्री श्री शांति भूषण, सूचना तथा प्रसारण श्री लाल कृष्ण अडवाणी, शिक्षा मंत्री डा० प्रताप चन्द्र "चन्द्र" स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण, विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल, संसद सदस्य श्री रवि राय तथा संसद सदस्य श्री नवाब सिंह चौहान भी उपस्थित थे।

27 फरवरी, 78 और 13 अप्रैल, 78 को हुई 15वीं बैठक के में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाएँ और निर्णय :

(1) हिन्दी को राष्ट्र संघ की कामकाजी भाषा बनाना

हिन्दी को राष्ट्र संघ की कामकाजी भाषाओं में से एक भाषा स्वीकार कराने का निर्णय, सिद्धांत रूप में, ले लिया गया है और फिलहाल दस्तावेजों को हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(2) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संविधान का प्राधिकृत अनुवाद उपलब्ध कराना

इस बारे में संसद् में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(3) राजभाषा के काम को देखभाल करने वाले कार्यालयों के के लिए एक स्थान पर भवन बनाने की योजना

निर्माण तथा आवास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि वे हिन्दी के काम से संबंधित सरकारी कार्यालयों के लिए दिल्ली में ही, लोधी होटल के सामने बनने वाले भवन में, लगभग एक लाख वर्गफीट जगह का प्रबन्ध कर सकेंगे।

(4) नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में संस्थान की स्थापना

संस्थान की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए सचिव महोदय ने बताया कि वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल उपलब्ध पदों से ही काम चलाया जायेगा और जरुरी पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय की सहमति से कार्रवाई की जाएगी

(5) राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अधीन कार्यालयों को अधिसूचित करना

समिति ने तय किया कि जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित करने के काम में तेजी लाई जाए।

(6) केन्द्र सरकार के उप सचिव तथा अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना

यद्यपि बहुत से कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, फिर भी, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है, इसलिए हिन्दी जानने वाले अधिकारी हिन्दी में काम करने में संकोच करते हैं और हिन्दी में काम नहीं हो पाता।

विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि जिन अधिकारियों (उप सचिव तथा उनसे उच्च स्तर के अधिकारी) ने अभी तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न किया हो, उन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यह भी तय किया गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारियों को तीन वर्ष के अन्दर हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करा दिया जाना चाहिए।

(7) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उचित संख्या में हिन्दी पदों के सृजन पर विचार

सदस्यों ने कहा कि हिन्दी सम्बन्धी पदों के सृजन की गति संतोषजनक नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। राजभाषा सचिव ने बताया कि अधिनियम तथा नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक पद बनाने के बारे में वे शीघ्र ही वित्त मंत्री जी से चर्चा करेंगे।

यह तय किया गया कि हिन्दी जानने वाले आशुलिपिकों को हिन्दी जानने वाले अधिकारियों के साथ ही तैनात किया जाए जिससे उनकी क्षमता का समुचित उपयोग हो सके।

(8) हिन्दी टाइपराइटरों की आवश्यकता को देखते हुए उनके निर्माण संबंधी प्रगति पर की गई कार्रवाई और उसके फल पर विचार

समिति को बताया कया कि अध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुसार देवनागरी टाइपराइटरों का निर्माण, अब सरकारी क्षेत्र में करने के लिए, कार्रवाई की जा रही है।

(9) **हिन्दी समिति के निश्चयों के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक उपाय करना**

सदस्यों ने कहा कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों का ठीक से अनुपालन करने के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को जिम्मेदार तो बना दिया गया है, पर वे यदि अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से न निभाएँ तो उनके लिए समुचित अनुशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

(10) **आकाशवाणी के पाठों की भाषा को सुबोध एवं व्यावहारिक बनाने की व्यवस्था**

यह भी तय किया गया कि आकाशवाणी महानिदेशालय हिन्दी पाठों की भाषा को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए तत्परता से कार्रवाई करे।

(11) **राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य संचार साधनों के उपयोग की स्थिति और उसके परिणाम पर विचार**

यह कोशिश की जानी चाहिए कि समाचार एजेंसियों प्रसारित की जाने वाली सामग्री को अधिकाधिक, मूल रूप से हिन्दी में तैयार करें और फिर आवश्यकतानुसार उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए। सूचना मंत्री जी ने संचार साधनों की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में अपनी कठिनाइयां बताईं और आश्वासन दिया कि इस संबंध में यथासंभव कार्रवाई की जाएगी।

(12) **भाषा पत्रों एवं अंग्रेजी पत्रों में दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों की नीति पर विचार**

सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, विशेषकर ऐसी संस्थाओं को जो लाभ कमाने या किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से पत्रिकाएं नहीं निकालतीं;

यह तय किया गया कि शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस बारे में आवश्यक जांच कर ऐसी संस्थाओं को सहायता देने पर विचार करें।

(13) **हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के प्राचीन साहित्य के संरक्षण, प्रकाशन तथा प्रवर्धन पर विचार**

यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा मंत्रालय ऐसी व्यवस्था करे जिससे जैन, बौद्ध अथवा अन्य प्राचीन साहित्यों की पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्में बना ली जाए जिससे उस साहित्य को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कुछ वित्तीय कठिनाइयां बताईं।

चर्चा के दौरान यह कहा गया कि समिति में वित्त मंत्री भी सम्मिलित हैं अतः आवश्यक निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। धन के अभाव में सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित न रख पाना उचित नहीं होगा।

तय किया गया कि शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जी इस विषय पर विचार कर यथाआवश्यक व्यवस्था करें।

ooo

[पृष्ठ 10 का शेष]→

निदेशालय ने अभी हाल ही में ज्ञान-विज्ञान माला के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की पुस्तकें तैयार कराने तथा प्रकाशित कराने का कार्य भी अपने हाथ में लिया है।

पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद और उनका निःशुल्क वितरण की योजना के अन्तर्गत निदेशालय हिन्दी की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं को खरीद कर अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के स्कूलों, कालेजों, पुस्तकालयों तथा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को बिना मूल्य वितरित करता है। विदेशों में स्थित मिशनों तथा शिक्षण संस्थाओं को भी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। इन सभी आयोजनों के लिए थोक, तदर्थ और विदेशों के लिए खरीद-योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकें/पत्रिकाएँ खरीदी जाती हैं।

हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनियों का आयोजन विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा शिक्षण संस्थाओं को हिन्दी प्रकाशन जगत् की नवीनतम प्रगति से परिचित कराने के लिए निदेशालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।

हिन्दी सूचना केन्द्र तथा टेलीफोन सेवा से भी निदेशालय ने हिन्दी जगत को लाभ पहुंचाया है। भारत संघ की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप हिन्दी सीखने और उसके साहित्य आदि के संबंध में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए देश-विदेश में पर्याप्त रुचि जागृत हुई है। फलतः एक ऐसी एजेंसी की आवश्यकता का अनुभव किया गया जो हिन्दी भाषा और उसके साहित्य के संबंध में तथा प्रचार, प्रसार और विकास तथा समृद्धि के लिए चल रहे विविध कार्यक्रमों के बारे में प्रामाणिक जानकारी दे सके। यह सूचना केन्द्र छात्रों, अध्यापकों, शोधकर्त्ताओं तथा अन्य जिज्ञासुओं द्वारा हिन्दी भाषा और साहित्य के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है।

हिन्दी राजभाषा, सम्पर्क भाषा और विश्व की भाषा के रूप में सफल सिद्ध हो—ऐसे हमारे प्रयत्न हैं। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। ज्ञान-विज्ञान भी काफी तरक्की पर है। हमें अपने देश की समस्याओं का समाधान तभी मिलेगा जब हम निश्चित रूप से अपनी भाषाओं में काम कर सकें अतः हमारे लिए आवश्यक है कि हम भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि की योजनाओं का स्वरूप व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक रखें।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय सतत प्रयत्नशील है कि उसे जो कार्य सौंपे गए हैं अथवा देश की आंखें जिन उपलब्धियों की ओर लगी हैं, उन्हें सफलता से प्राप्त करें। यह आशा है कि आज के परिवेश में अतीत के अनुभवों के आधार पर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के स्वरूप में परिवर्तन होगा और तभी भारतीय भाषाओं और साहित्य विषयक समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

□□□

हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर शिक्षा—

हिन्दी पुस्तक लेखन की प्रगति

—डा० परमेश्वरदीन शुक्ल
भूतपूर्व संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत भाषा नीति पर 18 जनवरी, 1968 के संरकारी संकल्प में इस बात पर बल दिया गया था कि देश की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी के अतिरिक्त भारत की अन्य प्रमुख 14 भाषाओं के पूर्ण विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाएँ। संकल्प में यह भी कहा गया कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों की सहायता से, इन सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करें तथा उन्हें कार्यान्वित करे, जिससे ये भाषाएं शीघ्र सम्पन्न हों और आधुनिक ज्ञान के प्रसार का प्रभावपूर्ण माध्यम बन सकें।

संसद के पटल पर रखी गई, शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सन् 1968 में सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषयक संकल्प इस प्रकार हैं:—

शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भारतीय भाषाओं और साहित्य का समुचित विकास अत्यावश्यक है। जब तक यह नहीं किया जाएगा लोगों की सृजनात्मक शक्तियों का प्रस्फुटन नहीं होगा, न ही शैक्षिक स्तर में सुधार होगा, न ही लोगों में ज्ञान का प्रसार होगा और यदि बुद्धिजीवी वर्ग तथा सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ेगी नहीं तो ज्यों की त्यों आवश्य बनी रहेगी।

कार्यक्रम

शिक्षा नीति के इन निर्देशों के अनुसरण में शिक्षा एवं समाज कल्याण, मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के निर्माण का एक वृहत कार्यक्रम आरम्भ किया ताकि भारतीय भाषाएं बिना किसी कठिनाई के उच्च शिक्षा का माध्यम बन सकें।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के उद्देश्य से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की कालावधि में प्रत्येक ऐसे राज्य को एक-एक करोड़ रुपए की राशि नियत की गई, जिसके अपने विश्वविद्यालय हैं तथा जिन्होंने योजना में भाग लेना स्वीकार किया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना सीमित साधनों के संदर्भ में पांचवीं पंजवर्षीय योजना अवधि में भी चलाई जा रही है।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

राज्य सरकारों को पुस्तक निर्माण संबंधी कार्यक्रम तैयार करने और उसको प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिए केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने कुछ निर्देशक सिद्धांतों का परिचालन किया। इस योजना में पुस्तकों के अनुवाद और लेखन, पारिभाषिक शब्दावली के विकास तथा रूपान्तरण एवं अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। निर्देशक सिद्धांतों में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों के मूल लेखन को प्राथमिकता दी जाए। कार्यान्वयन तंत्र के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वायत्त अथवा विभागीय बोर्ड बनाने का सुझाव दिया गया। संबंधित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वहां की उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि, केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक-एक प्रतिनिधि, एवं उस क्षेत्र के कम से कम चार प्रसिद्ध लेखक उस बोर्ड से संबद्ध हों। यह निश्चित करने के लिए जिन पुस्तकों का निर्माण हुआ है वे संबंधित विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुसार हैं या नहीं, एक समन्वय समिति गठित की गई। निर्देशक सिद्धांतों में यह भी बताया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार इन पुस्तकों को बिना लाभ-हानि अथवा सीमान्त लाभ के आधार पर बनाए और उस धन से एक परिक्रामी निधि स्थापित करे।

इन निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों में ग्रंथ निर्माण बोर्ड बनाए गए। इनमें कुछ स्वायत्तशासी थे और कुछ विभागीय। ग्रंथ अकादमियों के कार्यक्रमों में समन्वय लाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति भी बनाई गई। इसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं और अन्य लोगों के अलावा योजना आयोग के शिक्षा सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और विज्ञान तथा उद्योग अनुसंधान परिषद के महानिदेशक इसके सदस्य हैं:—

हिन्दी भाषी राज्यों में समन्वय के लिए व्यवस्था

देश में छः हिन्दी भाषी राज्य हैं—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी हिन्दी भाषी राज्यों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इन पांचों राज्यों में एक-एक हिन्दी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई है। इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने तथा पुनरावृत्ति से बचाने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन फरवरी, 1969 में बनारस में हुआ। इस सम्मेलन को विस्तृत रूप देने के लिए सन् 1969 में इसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया और एक संचालन समिति भी गठित की गई जो हिन्दी ग्रंथ निर्माण से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है। अभी तक सम्मेलन की छह बैठकें और संचालन समिति की 17 बैठकें हो चुकी हैं। विभिन्न विषयों में 68 विषय नामिकाएं गठित की गई हैं जो उपलब्ध साहित्य का मूल्यांकन करती हैं; तथा अनुवाद के लिए पुस्तकें और मौलिक लेखक के लिए शीर्षकों की संस्तुति करती हैं। हिन्दी ग्रंथ अकादमियों के परामर्श से उन्हें अनुवाद के लिए ग्रंथ आवंटित कर दिए जाते हैं।

यह योजना केवल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के लिए आरम्भ की गई थी, परन्तु अधिकांश राज्यों में प्रस्तावित आर्थिक सहायता का उपयोग नहीं किया गया। अतः यह सहायता पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में भी चालू रखी गई। मार्च, 1978 में इस योजना काल को समाप्ति के बाद इस योजना के चालू रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। तय यह किया गया है कि इन सभी अकादमियों का प्रशासनिक व्यय संबंधित राज्य सरकारें वहन करें तथा योजना आयोग के परामर्श से जो भी राशि राज्य बोर्डों और अकादमियों को अगली योजना की

अवधि में दी जाए वह केवल ऐसी पुस्तकों के लिए दी जाए जो पाठ्यक्रमों में संस्तुत हो सकती हों या जो विद्वानों की राय में ऐसी हैं कि उनका उपयोग सम्पूरक पठन सामग्री के रूप में किया जा सके।

संघ निर्माण में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की भूमिका

शब्दावली का प्रयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। आयोग ने अब तक विभिन्न विषयों में पारिभाषिक शब्दावली तैयार की हैं। इन शब्दावलियों को समेकित कर वृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह का विज्ञान खंड दो भागों में तथा सामाजिक विज्ञान खंड दो भागों में प्रकाशित किया जा चुका है। हिन्दी ग्रंथ अकादमियाँ अपनी पुस्तकों में इसी अनुमोदित शब्दावली का प्रयोग करती हैं।

समन्वय कार्य

शब्दावली आयोग ग्रंथ निर्माण कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करता है तथा सम्मेलन संचालन समिति और विषय नामिकाओं की बैठकें आयोजित करता है। अब तक इन नामिकाओं ने 1932 पुस्तकें अनुवाद के लिए तथा 1782 शीर्षक मौलिक लेखन के लिए चुने हैं। अकादमियों को अब तक 1769 पुस्तकें अनुवाद और 1789 शीर्षक मौलिक लेखन के लिए आवंटित किए जा चुके हैं।

अनुवाद अधिकार :

अनुवाद अधिकारों के प्राप्त करने में उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। अब तक हिन्दी के लिए 633 और हिन्दीतर भाषाओं के लिए 798 पुस्तकों के अनुवाद अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं। लगभग चालीस अमरीकी प्रकाशकों और कापीराइट धारियों ने प्रत्येक पुस्तक के लिए सौ डालर प्रति भाषा के हिसाब से अनुवाद अधिकार देना स्वीकार किया है। ब्रिटिश प्रकाशक पहली 2000 प्रतियों के लिए 15 पौंड और इसके बाद की 5000 प्रतियों तक के लिए प्रति 1000 प्रतियों पर 10 पौंड की दर से अदायगी के आधार पर अनुवाद अधिकार दे रहे हैं। विदेशी प्रकाशकों से अनुवाद अधिकारों की प्राप्ति अब केवल उन विषयों से संबंध पुस्तक पर ही केन्द्रित की जा रही है जो विषय मौलिक लेखन में अछूते रह गए हैं अथवा परमआवश्यक है। इसी पुस्तकों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 27 मई, 1973 से पूर्व प्रकाशित रूसी पुस्तकों का अनुवाद व प्रकाशन उनके अनुवाद अधिकार प्राप्त किए बिना किया जा रहा है। भारतीय पुस्तकों से संबंधित अनुवाद अधिकार भारतीय प्रकाशकों से अकादमियों व बोर्डों द्वारा स्वयं ही प्राप्त किए जाते हैं। कृषि विज्ञान, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी की भारतीय पुस्तकों से संबंधित अनुवाद अधिकार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।

कृषि, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान संबंधी पुस्तकों का निर्माण :

केन्द्रीय अभिकरण (शब्दावली आयोग) इन विषयों की पुस्तकों का निर्माण करता है। अब तक इन विषयों में पर्याप्त प्रगति हुई है। पाँच ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, 17 प्रेस में हैं तथा 348 निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों में हैं। साथ ही साथ आयुर्विज्ञान पत्रिका, शिल्पी मित्र तथा चिकित्सा सेवा पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय स्थित पूर्णकालिक सेलों में ग्रंथ निर्माण की प्रगति

हिन्दी ग्रंथ अकादमियों के अतिरिक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय में स्थित पूर्णकालिक सेलों में भी ग्रंथ निर्माण कार्य हो रहा है। दिल्ली सैल ने अब तक 26 ग्रंथ और बनारस विश्वविद्यालय ने 42 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं।

सेलों को अगली योजना काल में चालू करने के संबंध में पुनर्विचार किया गया है और तय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से संबंधित विश्वविद्यालय इन सेलों के कर्मचारियों को खपा लें।

प्रकाशित हिन्दी ग्रंथ

हिन्दी ग्रंथ अकादमियों, पूर्णकालिक सेलों और केन्द्रीय अभिकरण ने अब तक 1030 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, जिनमें से 666 मौलिक ग्रंथ, तथा 364 अनुवाद हैं। अकादमी वार प्रकाशित, मुद्रणाधीन और तैयार हो रही पुस्तकों और विषयवार पुस्तकों का विवरण नीचे दिया गया है :

पुस्तकों की संख्या का विवरण जो अकादमियों द्वारा प्रकाशित हैं या विभिन्न अवस्थाओं में हैं (दिनांक 31-12-1977 की स्थिति)

अकादमी का नाम	अनुवाद					मौलिक रचनाएँ				
	प्रकाशित	प्रेस में	प्रेस के लिए	पुनरीक्षणाधीन	अनुवादाधीन	प्रकाशित	प्रेस में	प्रेस के लिए	पुनरीक्षणाधीन	रचनाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी	70	19	15	17	18	129	58	20	18	260
राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी	69	15	5	9	26	147	16	9	29	172
बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी	52	22	15	12	59	128	24	8	44	217
हरियाणा हिन्दी ग्रंथ अकादमी	43	8	15	3	17	33	7	3	3	40
मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी	52	26	29	25	91	187	43	19	65	117
दिल्ली विश्वविद्यालय सेल	25	4	—	35	36	1	—	—	—	—
बनारस विश्वविद्यालय सेल	33	12	3	2	4	10	—	—	4	4
केन्द्रीय अभिकरण	20	14	16	19	25	31	3	6	—	282
योग	364	120	98	122	276	666	151	65	163	1082

अकादमियों, सेलों और केन्द्रीय अभिकरण द्वारा प्रकाशित (विषयवार) पुस्तकों का विवरण

क्रम संख्या	विषय	कुल संख्या
1	2	3
	विज्ञान विषय	
1	कृषि	59
2	नृविज्ञान	10
3	वनस्पति विज्ञान	57
4	रसायन और जीवन रसायन	73
5	इंजीनियरी	27
6	सामान्य विज्ञान	1
7	भूविज्ञान	15
8	गृहविज्ञान	9
9	गणित	45
10	आयुर्विज्ञान और भेषजी	29
11	भौतिकी	79
12	पशु-चिकित्सा विज्ञान	2
13	प्राणि विज्ञान	27
	जोड़	433
	मानविकी तथा समाज विज्ञान विषय	
1	प्राचीन इतिहास	15
2	वाणिज्य	14
3	अर्थशास्त्र	50
4	शिक्षा	53
5	भूगोल	20
6	इतिहास	54
7	पत्रकारिता तथा मुद्रण	6
8	विधि	4
9	पुस्तकालय विज्ञान	7
10	भाषा विज्ञान	77
11	साहित्य तथा साहित्य समालोचना	8
12	सैन्य विज्ञान	7
13	संगीत	3
14	दर्शन और तर्कशास्त्र	63
15	राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन	66
16	मनोविज्ञान	14
17	समाज विज्ञान	33
18	विविध	35
	जोड़	529
1	विज्ञान विषय	433
2	मानविकी तथा समाज विज्ञान विषय	529
3	विविध	68
	कुल जोड़	1030

ग्रंथों की बिक्री

जो पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब तक 301 ग्रंथ विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संस्तुत किए जा चुके हैं। विभिन्न अकादमियों ने अब तक जितनी राशि की पुस्तकें बेची हैं उनका विवरण नीचे दिया गया है :—

अकादमी का नाम	नेट बिक्री की राशि (लाखों में)
1	2
बिहार	12.98
हरियाणा	4.89
राजस्थान	14.02
मध्य प्रदेश	16.36
उत्तर प्रदेश	7.30
बनारस विश्वविद्यालय सेल	0.47
दिल्ली विश्वविद्यालय सेल	0.39

समीक्षा-पत्रिकाओं और सार संकलनों का प्रकाशन :

विभिन्न विषयों में हो रहे विकास को हिन्दी के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिये समीक्षा पत्रिकाएँ और सार संकलन प्रकाशित किए जा रहे हैं। आरंभ में यह तय किया गया था कि प्रत्येक विषय पर अलग-अलग पत्रिकाएँ तथा सार संकलन तैयार करवाएँ जाएँ। इन पत्रिकाओं और सार संकलनों के प्रणयन तथा प्रकाशन का कार्य विभिन्न हिन्दी ग्रंथ अकादमियों और शब्दावली आयोग में स्थित केन्द्रीय अभिकरण को सौंपा गया था। अब तक अर्थशास्त्र, दर्शन, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य समालोचन, प्राणि विज्ञान, लोक प्रशासन, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी में समीक्षा पत्रिकाएँ अथवा सार संकलन प्रकाशित किए जा चुके हैं। इन पत्रिकाओं की खपत निराशाजनक होने के कारण जीव विज्ञान और लोक प्रशासन पत्रिकाओं को छोड़कर सभी का प्रकाशन समाप्त कर दिया गया है। अब 3-4 विषयों संबंधी मिली-जुली पत्रिकाओं के प्रणयन तथा प्रकाशन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हिन्दीतर राज्य बोर्डों की प्रगति :

विभिन्न हिन्दीतर राज्यों ने अब तक नीचे लिखे अनुसार पुस्तकें प्रकाशित की हैं :—

	अनुवाद	मौलिक	योग
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	32	375	407
असम	5	362	367
गुजरात	79	472	551
कर्नाटक	80	436	516
केरल	201	332	533
महाराष्ट्र	2	154	156
उड़ीसा	25	200	225
पंजाब	11	54	65
तमिलनाडु	74	555	629
पश्चिम बंगाल	—	50	50

क्या हिन्दी राजभाषा एक वोट से हुई ?

—ब्रजकिशोर शर्मा,
संयुक्त सचिव एवं प्रारूपकार, राजभाषा खंड, विधायी विभाग,

□

जब भी हिन्दी के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की बात चलती है तो बहुधा लोग यह कहते हैं कि हिन्दी को एक वोट के बहुमत से राजभाषा स्वीकार किया गया है। 1977 के सितम्बर में हिन्दी दिवस के आस-पास अंग्रेजी के अनेक दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित लेख और सम्पादक के नाम पाठकों के पत्रों में इस बात का उल्लेख किया गया। कभी-कभी तो ऐसा भी आभास होता है कि यह हिन्दी विरोधियों का सुनियोजित षडयंत्र है क्योंकि जब भ्रम निवारण के लिए सम्पादक के नाम पत्र भेजे जाते हैं तो वे प्रकाशित नहीं किए जाते।

इस लेख में संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। 1946 में जब संविधान सभा बनी तब अंग्रेजी ही एक मात्र भाषा थी जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया जा सकता था क्योंकि प्रारूपण समिति में जितने भी सदस्य थे वे यदि किसी एक भाषा में पारंगत थे तो अंग्रेजी में। 14 सितम्बर, 1946 को संविधान सभा की नियम समिति ने डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय किया कि संविधान सभा का कामकाज हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए और अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा में भाषण दे सकेगा। संघ संविधान समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि संघ की संसद की भाषा हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी होगी और सदस्यों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की छूट होगी। प्रान्तीय संविधान समिति ने यह सिफारिश की कि प्रान्तीय विधान मण्डलों में कामकाज प्रान्त की भाषा या भाषाओं में किया जाएगा अथवा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी में।

14 जुलाई, 1947 को जब संविधान सभा का चौथा सत्र प्रारम्भ हुआ तब सत्र के दूसरे ही दिन यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि 'हिन्दुस्तानी' के स्थान पर 'हिन्दी' शब्द रखा जाए। 16 जुलाई को ही संविधान सभा कांग्रेस पार्टी में इस विषय पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। विचार-विमर्श के दौरान नेता एक ओर थे और साधारण सदस्य उनके विरुद्ध दूसरी ओर। इस मतदान में हिन्दी के पक्ष में 63 वोट थे और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32। इसी प्रकार एक दूसरे मतदान में देवनागरी लिपि के पक्ष में 63 वोट थे और विपक्ष में 18। दूसरे दिन संविधान सभा की बैठक में सरदार पटेल ने यह अनुरोध किया कि प्रान्तीय विधान मण्डलों की भाषा के प्रश्न को अभी न लिया जाए।

1948 में हिन्दी के बारे में अनेक बातें उठीं। फरवरी 1948 में संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उसमें भाषा के लिए कोई अलग से अध्याय नहीं था, किन्तु उसमें यह उपबन्ध अवश्य किया गया था कि संसद की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी होगी और प्रान्तीय विधान मण्डलों में प्रान्तीय भाषाओं के अतिरिक्त इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकेगा। फरवरी और नवम्बर, 1948 के बीच संविधान के प्रारूप में हिन्दी के पक्षधरों द्वारा 29 संशोधन प्रस्तुत किए गए। ये मुख्यतः श्री घनश्याम सिंह गुप्त, सेठ गोविन्द दास, श्री शिब्बनलाल सक्सेना और श्री वी०डी० त्रिपाठी द्वारा पेश किए गए थे। इन संशोधनों के विपरीत संशोधन श्री के०टी०शाह, श्री सच्चिदानन्द सिन्हा आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

5 अगस्त, 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने द्विभाषीय क्षेत्रों के बारे में एक संकल्प तैयार किया। यद्यपि इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह द्विभाषीय क्षेत्रों के बारे में था किन्तु इसमें भाषा के बारे में कांग्रेस पार्टी के विचार व्यक्त किए गए थे। इस संकल्प का प्रारूप मुख्यतः डा० राजेन्द्र प्रसाद ने तैयार किया था और प्रारूप तैयार करते समय जो सदस्य उपस्थित थे उनके नाम हैं श्री पट्टाभि सीतारमैया, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, पंडित नेहरू, पंडित पन्त, श्री पी०सी० घोष, कामराज नाडार, शंकर राव देव, श्री एस०के० पाटिल, श्री प्रताप सिंह, श्री देवेश्वर शर्मा, सुचेता कृपलानी, के०बी० राव और निजलिंगप्पा।

5 अगस्त के संकल्प की प्रक्रिया तुरन्त हुई। 6 और 7 अगस्त को संविधान सभा की कोई भी बैठक नहीं हुई। किन्तु कांग्रेस दल के कार्यालय में भाषा नीति के बारे में हजारों पत्र आए। इसी बीच सेठ गोविन्द दास की अध्यक्षता में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने नई दिल्ली में एक राजभाषा सम्मेलन किया जिसमें हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार भी एकत्र हुए। इस सम्मेलन में हिन्दी भाषा और नागरीलिपि को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

8 अगस्त को जब संविधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तो उस दिन के परिपत्र में संविधान के प्रारूप के भाषा सम्बन्धी उपबन्धों पर अनेक संशोधन थे। एक संशोधन पर 82 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इनमें से पहला नाम आचार्य जुगलकिशोर का था जो 1948 में कांग्रेस के महामंत्री थे। अनेक हस्ताक्षरकर्ता दक्षिण भारत के थे।

9 अगस्त, 1948 को कुछ सदस्यों ने इन संशोधनों का विरोध किया और अपराह्न में सभाई कांग्रेस पार्टी की बैठक में इसका विरोध किया। विरोध इस बात पर था कि अंग्रेजी कितने वर्षों तक चलेगी। विरोध कर्ताओं का यह कहना था कि अंग्रेजी राजभाषा के रूप में 15 वर्ष तक चले। जहाँ तक हिन्दी के संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की बात है मीटिंग में इस बारे में कोई मतभेद नहीं था। सदस्यों में अगर मतभेद था तो वह इस बात पर कि हिन्दी का स्वरूप क्या हो, अर्थात् उसमें शब्द अरबी फारसी के लिए जाएँ या संस्कृत से। सदस्यों ने समस्या का हल निकालने के लिए एक समिति का गठन किया जिसके सदस्य थे—श्री गोपाल स्वामी आयंगार, श्री टी०टी० कृष्णमाचारी, श्री ए०के० अय्यर, श्री के०एम० मुंशी, श्री भीम राव अम्बेडकर, श्री सआदुल्ला, श्री एल.एम० राव, मौलाना आजाद, पंडित पन्त, राजर्षि टण्डन, श्री बालकृष्ण शर्मा, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री के० सन्थानम्।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में शीघ्र प्रतिष्ठित करने के लिए 82 सदस्यों के हस्ताक्षर से जो संशोधन पेश किया गया था उसके जबाब में 15 वर्ष तक अंग्रेजी को चालू रखने लिए 44 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक अन्य संशोधन पेश किया गया जिसमें सबसे पहला नाम श्री के० सन्थानम का था और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में मुख्य लोग थे—श्री कृष्णमाचारी, श्रीमती दुर्गा बाई, श्री ए० के० अय्यर और श्री अनन्तशयनम् आयंगार।

जहाँ तक हिन्दी के स्वीकार किए जाने की बात है दोनों ही पक्षों में इसके बारे में कोई असहमति नहीं थी। मत-भिन्नता केवल इस बात पर थी कि अंग्रेजी कब तक चलती रहे। इसी संशोधन में 10 अगस्त को यह प्रस्ताव रखा गया कि संघ और राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए अरबी अंकों का प्रयोग किया जाए। 10 से 17 अगस्त तक भाषा के बारे में सभाई पार्टी में गरमागरम बहस चलती रही। 16 अगस्त को विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अरबी अंकों के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय अंक" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया। 22 अगस्त को डा० अम्बेडकर ने समझौते के रूप में एक प्रस्ताव पेश किया। इस के बाद दस दिनों तक अंकों और 15 वर्ष की अन्तरिम अवधि के बारे में संविधान सभाई पार्टी में बहस चलती रही। इस बहस के दौरान जो विचार सामने आए उन्हें ध्यान में रखते हुए संविधान के उपबन्धों को जो रूप दिया गया उसे मुंशी आयंगार सूत्र कहते हैं। कांग्रेस संविधान सभा दल में 26 अगस्त को अंकों के बारे में जो बहस हुई उसमें बड़ी गरमागरमी हुई। श्री पट्टाभि सीतारमैया अध्यक्षता कर रहे थे और इस प्रश्न के के लिए हाथ उठा कर मतदान हुआ। किन्तु कुछ लोग इससे असन्तुष्ट थे और उन्होंने विभाजन की मांग की। लाबी में जब मतगणना हुई तो पक्ष-विपक्ष में एक बराबर मत थे, अर्थात् प्रत्येक पक्ष को 74 मत प्राप्त हुए। एक सदस्य पटियाला के काका भगवन्त राय हिन्दी के पक्ष में वोट देकर चले गए थे और सेठ गोविन्द दास आदि का कहना था कि उनका मत हिन्दी के पक्ष में माना जाना चाहिए। किन्तु बाद में डा० सीतारमैया और पंडित नेहरू के अनुरोध पर इस बारे में निर्णय स्थगित कर दिया गया।

2 सितम्बर की शाम को मुंशी आयंगार सूत्र पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। अध्यक्षता पट्टाभि सीतारमैया कर रहे थे। यहाँ भी जो मुख्य बहस थी वह तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर थी और कोई भी निर्णय नहीं हो सका। परिणामस्वरूप सभाई कांग्रेस पार्टी में सहमति के अभाव में भाषा विवाद संविधान सभा में उसी रूप में प्रस्तुत किया गया और कोई विप जारी नहीं किया गया।

डा० अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'थाट्स आन लिंग्विस्टिक स्टेट्स' में यह लिखा है कि जिस अनुच्छेद पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वह हिन्दी के प्रश्न पर था। सबसे अधिक विरोध इसी पर हुआ और सबसे अधिक गरमागरमी भी इस पर हुई। लेकिन विवाद के बाद जब इस प्रश्न पर मतदान हुआ तो पक्ष और विपक्ष में 78-78 वोट थे। पुन-विचार के बाद जब पुनः मतदान हुआ तो हिन्दी के पक्ष में 78 और विपक्ष में 77 मत थे। सेठ गोविन्ददास ने अपनी आत्मकथा में इसी प्रकार की बात लिखते हुए यह भी उल्लेख किया है कि पटियाला के काका भगवन्त राय हिन्दी के पक्ष में अपना मत देकर और यह जानकर कि मतदान उनके पक्ष में हुआ है बाहर चले गए।

दोनों लेखकों ने जिस घटना का उल्लेख किया है वह 26 अगस्त की कांग्रेस संविधान सभाई पार्टी की मीटिंग का वर्णन है, संविधान सभा का नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि डा० अम्बेडकर और सेठ गोविन्ददास ने नागरी अंकों के पक्ष में उस बहुमत का भ्रमवश इस प्रकार उल्लेख किया है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में सभी निर्णय एक मत से हुए। सभाई पार्टी की बैठकों में निर्णय लेने के पहले जो मतदान होता था, उसके आधार पर अन्तिम विनिश्चय नहीं किया जाता था। उसके बाद भी बातचीत चलती रहती थी और समझौता करके आगे एक मत से फैसला किया जाता था।

2 सितम्बर की बैठक के बाद भी हिन्दी के मामले में समझौता ढूंढने का प्रयास जारी रहा। संविधान सभा में भाषा सम्बन्धी उपबन्ध पर विचार 12 सितम्बर को प्रारम्भ होना था। 10 सितम्बर के संविधान सभा के परिपत्र में भाषा सम्बन्धी जो संशोधन थे वे 45 पृष्ठों में छपे थे। यह उल्लेखनीय है कि डा० अम्बेडकर और श्री कृष्णमाचारी सहित 28 सदस्यों ने एक संशोधन पेश करके यह मांग की कि संस्कृत को राजभाषा बनाया जाए।

12 सितम्बर को बहस प्रारम्भ होते ही डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यों से यह अनुरोध किया कि वे संयत भाषा का प्रयोग करें और ऐसा कुछ न कहें जिससे दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे। इसके बाद श्री गोपाल स्वामी आयंगार ने मुंशी-आयंगार सूत्र पर आधारित उपबन्ध पुरःस्थापित किए। सेठ गोविन्द दास ने इसका विरोध किया। उसी दिन शाम को राजर्षि टण्डन, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविन्ददास आदि ने कुछ और संशोधन तैयार किए। 13 तारीख की बहस में डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि दिग्गजों ने भाग लिया। तीसरे दिन की बहस में डा० रघुवीर, राजर्षि टंडन, मौलाना आज़ाद और शंकर राव देव आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

14 सितम्बर को 1 बजे बैठक स्थगित हुई। इसी दिन अपराह्न में इस विषय पर अन्तिम फैसला होना था। किन्तु विचार-विमर्श से समझौते की कोई शकल उभरती नजर नहीं आ रही थी। 3 बजे संविधान सभाई पार्टी ने समझौते के प्रयास में बैठक आरम्भ की। इसकी अध्यक्षता पट्टाभिसीता रमैया ने की। विधान सभा का सत्र 5 बजे प्रारम्भ होना था और तभी सदस्यों में कुछ सहमति हुई। वे संविधान सभा में प्रविष्ट हुए और उन्होंने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे उन्हें ब्यौरे की बातों को हल करने के लिए एक घण्टे का समय और दें। 6 बजे तक सभी पहलुओं पर विचार कर मुंशी-आयंगार सूत्र में सुधार कर दिया गया और सभी सदस्यों ने मुक्ति की सांस ली।

समझौते के रूप में मुंशी-आयंगार सूत्र में 5 संशोधन किए गए। समझौता हो जाने के बाद संविधान सभा में यह तय किया गया कि सभी सदस्य अपने संशोधन वापस ले लेंगे और सूत्र का समर्थन करेंगे। इस बारे में एक विप भी जारी किया गया। परिणामस्वरूप लगभग 400 संशोधन वापस लिए गए। केवल 5 सदस्यों ने संशोधन वापस नहीं लिए। उनमें से 3 कांग्रेसी थे जिनके नाम हैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री शिब्बनलाल सक्सैना और राजर्षि टण्डन। दो सदस्य मुस्लिम लीग के थे श्री नजीरुद्दीन अहमद और जेड० एच० नारी। इन सबके संशोधन गिर गए और मुंशी-आयंगार सूत्र तालियों की गड़गड़ाहट में पारित हुआ। यह कार्यवाही 14 सितम्बर को हुई और तभी से 14 सितम्बर को हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है।

14 सितम्बर को कांग्रेस पार्टी का अनुशासन मानने के लिए अपने को असमर्थ पाने के कारण राजर्षि टण्डन ने पार्टी को अपना इस्तीफा देकर अपने संशोधन प्रस्तुत किए थे। बाद में 16 सितम्बर को पार्टी के अनुरोध पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। □ □

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 की मुख्य-मुख्य बातें

□□□

(1) ये नियम सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों पर लागू होते हैं। इन कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके नियंत्रण के निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित हैं (नियम-2)।

(2) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से (i) हिन्दी भाषी राज्यों (जिन्हें 'क' क्षेत्र के राज्य कहा गया है अर्थात् हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली) अथवा (ii) किसी अन्य कार्यालय (केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) अथवा (iii) 'क' क्षेत्र के किसी व्यक्ति को पत्रादि अनिवार्यतः हिन्दी में ही भेजे जाएंगे और यदि किन्हीं असाधारण दशा में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसके साथ-साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य होगा—नियम 3(1)।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से (1) पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और अंडमान, निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हें 'ख' क्षेत्र के राज्य कहा गया है) अथवा (2) उपर्युक्त क्षेत्र में स्थित किसी कार्यालय को (जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न हो) पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में भेजे जाएँगे और यदि कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य होगा। तथापि इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं—नियम 3(2)। अन्य क्षेत्रों (जिन्हें 'ग' क्षेत्र कहा गया है) के राज्य या कार्यालय (केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएँगे—नियम 3(3)।

(4) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय का विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है। केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्रादि हिन्दी में उस अनुपात में भेजने पड़ेंगे जिसे सरकार निर्धारित करेगी—नियम 4(क) और (ख)।

(5) 'क' क्षेत्र में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में भेजने जरूरी हैं—नियम 4(ग)।

(6) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हो सकता है किन्हीं मामलों में अनुवाद भी देने होंगे—नियम 4(घ)।

(7) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएंगे—(नियम-5)। यदि कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी में दिया जाएगा या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किया जाएगा, तो उसका उत्तर, हिन्दी में ही दिया जाएगा—नियम-7(2)।

(8) संकल्प, अधिसूचना, सामान्य आदेश, लाइसेंस, परमिट, निविदा, नोटिस, रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं—नियम (6)।

(9) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे—नियम 8(1)।

(10) केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी, जिसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, किसी हिन्दी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो—नियम 8(2)।

(11) किसी कर्मचारी के बारे में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है अथवा प्राज्ञ परीक्षा आदि उत्तीर्ण कर ली है अथवा वह यह घोषणा कर चुका है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है—नियम (10)।

(12) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में, मुद्रित, साइक्लोस्टाइल या प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। सभी फार्म और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट तथा स्टेशनरी आदि की मदें हिन्दी और अंग्रेजी में होंगी—नियम (11)।

(13) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाए। साथ ही उसे इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली जाँच पड़ताल के उपाय भी करने होंगे—नियम (12)।

[भारत सरकार के 17 जुलाई, 1976 के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उप खंड (1) में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर संक्षिप्तसार]

योजना आयोग में हिन्दी की प्रगति

--मदन भगीरथ शर्मा
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, योजना आयोग

○○○

1. योजना आयोग का विशिष्ट कार्य-क्षेत्र और संगठनात्मक व्यवस्था

योजना आयोग का कार्य और उसका संगठनात्मक व संरचनात्मक स्वरूप भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। योजना आयोग देश के बहुमुखी और योजना-बद्ध विकास की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना निर्माण करता है और इन योजनाओं को क्रमिक रूप में कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना, परियोजनाएँ, कार्यक्रम आदि तैयार करता है। इनमें उल्लेखनीय है आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, सामाजिक, शैक्षणिक, क्षेत्रीय विकास। इनको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाएं करता है, उन्हें इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन और साधन तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करता है और योजनाओं, परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर निगरानी रखता है। इस प्रकार योजना आयोग मुख्य रूप से तकनीकी विशेषज्ञ तथा सलाहकार संगठन के रूप में कार्य करता है। यहां इस दृष्टि से आवश्यक व्यवस्था के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित प्रभाग हैं, जिनमें संबंधित विषयों के विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इसलिए इसका कार्य मुख्यतः तकनीकी प्रकार का है और प्रशासनिक व्यवस्था प्राविधिक कार्यों और विशेषज्ञों की सहायता करने के लिए ही है। इस कारण राजभाषा संबंधी आवश्यकताओं और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में योजना आयोग का अपना विशिष्ट कार्य-क्षेत्र है।

2. योजना आयोग में हिन्दी के प्रयोग का आरम्भ और क्रमिक विकास

योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और तभी से आयोग निरन्तर इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा है कि योजना संबंधी समस्त साहित्य जनता को उसकी भाषा में भी उपलब्ध हो। तदनुसार पहली पंचवर्षीय योजना काल से ही योजना संबंधी साहित्य अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाने लगा। इसके बाद पहली लोक सभा बनाने पर संसद संबंधी तथा दूसरे हिन्दी कार्य करने के लिए 1952 में योजना आयोग में हिन्दी अनुभाग का गठन किया गया।

3. राजभाषा विषयक सांविधिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुपालन में हुई प्रगति

राजभाषा विषयक सांविधानिक उपबन्धों, यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम के उपबन्धों तथा इस संबंध में गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में समाविष्ट विभिन्न विषयों तथा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को योजना आयोग में उसके कार्य, संगठनात्मक स्वरूप, आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया जाता रहा है। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है, जिसका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है:—

3.1 सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं नियम रिपोर्ट आदि के लिए हिन्दी का प्रयोग

यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित विशिष्ट कागज-पत्रों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में जारी किया जाता रहा है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1977 में (सितम्बर तक) 110 अधिसूचनाएं, 1 नियम, 239 सामान्य आदेश जारी किए गए और वे सभी हिन्दी में भी जारी किए गए और 5 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रस्तुत की गईं।

3.2 विशिष्ट विषयों पर अध्ययन-मूल्यांकन रिपोर्टों का हिन्दी में रूपान्तर और प्रकाशन

योजना आयोग और उसके कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन नामक विशेषज्ञ कार्यालय का एक महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट कार्य है। यहां योजनाओं, परियोजनाओं आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, मूल्यांकन आदि करके रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। रिपोर्टों, प्रलेखों, शोध-पत्रों आदि के हिन्दी रूपान्तर तैयार किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक इस प्रकार हिन्दी में तैयार की गई रिपोर्टों आदि की संख्या 72 है।

3.3 पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का हिन्दी रूपान्तर

अब तक प्रकाशित पाँच पंचवर्षीय योजनाओं के प्रलेखों के हिन्दी रूपान्तर तैयार करके प्रकाशित किए गए हैं। इनके अंग रूप में प्रति वर्ष वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और उनके हिन्दी रूपान्तर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं जिनमें देश के बहुमुखी विकास के कार्यों, योजनाओं, परियोजनाओं, उपलब्धियों का विवरण-विवेचन होता है और परिणामस्वरूप इनमें मानविकी, समाजविज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिक्षा और ऐसे ही अनेक विषयों का समावेश रहता है।

3.4 हिन्दी में पत्र-व्यवहार

योजना आयोग हिन्दी में पत्र-व्यवहार की दिशा में भी प्रयत्नशील है। वर्ष 1977 में (सितम्बर तक) हिन्दी-भाषी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 48 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए और उन्हें 195 पत्र मूल रूप से हिन्दी में भेजे गए। इसी प्रकार से व्यक्तियों/जनता को 224 पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को भी हिन्दी में पत्र भेजने का प्रयत्न किया जाता है।

3.5 योजना आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलनों, बैठकों आदि से संबंधित कागज-पत्रों में हिन्दी का प्रयोग

योजना आयोग द्वारा योजनाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनों, बैठकों आदि का आयोजन किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय विकास परिषद् और योजना आयोग से संबंधित संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति आदि की बैठकों के कागज-पत्र हिन्दी में तैयार किए जाते हैं।

3.6 फार्मों में हिन्दी का प्रयोग

विभिन्न प्रकार के मानक फार्मों के अलावा, योजना आयोग के अपने कई तकनीकी, प्रशासनिक, आदि फार्म हैं जिनकी संख्या 156 है। उनमें से कई फार्म काफी बड़े हैं और उनमें तकनीकी तथा जटिल प्रकार की सामग्री है। ये सभी हिन्दी में तैयार करके उपलब्ध कराए गए हैं।

3.7 योजना आयोग में हिन्दी प्रकाशन

योजना आयोग द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रलेख, शोध-पत्र, अध्ययन, मूल्यांकन रिपोर्टें अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में तैयार करके प्रकाशित की गई हैं।

4. पाक्षिक पत्रिका 'योजना' का हिन्दी तथा प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन

योजना आयोग की ओर से सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा पाक्षिक पत्रिका 'योजना' प्रकाशित की जाती है । यह पत्रिका अंग्रेजी के साथ ही हिन्दी में प्रकाशित होती है । इसके अलावा यह प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी निकलती है । हिन्दी में प्रकाशित 'योजना' पत्रिका में, योजना के विभिन्न पहलुओं और प्रगति से संबंधित लेखों के अलावा, हिन्दी भाषा और साहित्य के संबंध में भी महत्वपूर्ण लेख तथा उपयोगी सामग्री होती है ।

5. विधि कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग

विभिन्न प्रशासनिक काम-काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं । पत्र-शीर्ष, मुद्राएं, रबड़ की मोहरें, अधिकारियों और प्रभागों/अनुभागों के नाम-पट्ट, आदि सभी के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है । विभागीय टेलीफोन डाइरेक्टरी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में तैयार की गई है । हिन्दी जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में कामकाज करने में सहायता करने के लिए मानक प्रकार के मसौदे हिन्दी में तैयार किए गए हैं ।

6. हिन्दी अनुभाग और हिन्दी स्टाफ

योजना आयोग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी कार्य के लिए एक हिन्दी अनुभाग है जिसमें एक वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, एक वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और पाँच कनिष्ठ अनुवादक हैं तथा दो आशुलिपिक व चार टाइपिस्ट हैं ।

7. हिन्दी टाइपराइटर

योजना आयोग में इस समय 35 हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं ।

8. सहायक और संदर्भ साहित्य

आयोग के सभी अधिकारियों और प्रभागों/अनुभागों को आवश्यक सहायक तथा संदर्भ साहित्य दिया गया है ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, योजना आयोग के कार्य का स्वरूप और प्रकार तथा कार्य-प्रणाली अन्य मंत्रालयों/विभागों से भिन्न है, इसलिए यहाँ के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए तथा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में सहायता करने की दृष्टि से विशिष्ट संदर्भ साहित्य के रूप में "सरकारी कामकाज सहायिका" नामक एक पुस्तक तैयार की गई है । इस पुस्तक के शुरू में भूमिका के रूप में योजना आयोग के विशिष्ट संदर्भ में राजभाषा नीति विषयक सांविधिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं का सारांश द्विभाषिक रूप में दिया गया है । अध्याय 1 से 5 तक योजना आयोग के प्रभागों/अनुभागों/शाखाओं और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों, विभिन्न पदनामों, प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली तथा वाक्यांश आदि के अंग्रेजी-हिन्दी रूप दिए गए हैं । अध्याय 6 में प्रायः प्रयुक्त होने वाले परिपत्र, रिक्ति पत्र/परिपत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएँ, टेंडर की सूचना, व्यक्तियों, राज्यों आदि से पत्र-व्यवहार, आदि विभिन्न प्रकार के मसौदों के अंग्रेजी-हिन्दी नमूने दिए गए हैं । अध्याय 7 में टिप्पण के कुछ नमूने वाक्यांश और अध्याय 8 तथा 9 में वार्षिक/पंचवर्षीय योजना में प्रायः प्रयुक्त होने वाले शब्द तथा वाक्यांश के अंग्रेजी-हिन्दी रूप दिए गए हैं । परिशिष्ट के रूप में कुछ अन्य प्रमुख पदनाम, मंत्रालयों/विभागों के नाम, दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रमुख कार्यालयों के नाम, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों/प्रशासनों के नाम, दिल्ली प्रशासन के प्रमुख विभागों/कार्यालयों के नाम, तथा योजना प्रलेखों में प्राय: प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त रूप आदि द्विभाषिक रूप में दिए गए हैं ।

9. राभाषा कार्यान्वयन समिति

योजना आयोग में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने और उसका प्रयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में संयुक्त सचिव (योजना समन्वय) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनी हुई है जिसकी आवधिक बैठकें होती रहती हैं । इस समिति के विचार-विमर्श तथा निर्णयों के परिणामस्वरूप योजना आयोग में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में बहुत सहायता मिली है ।

10. हिन्दी शिक्षण योजना

योजना आयोग में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। योजना भवन में ही हिन्दी शिक्षण केन्द्र है जहां हिन्दी कक्षाएँ लगती हैं। अब तक आयोग के 163 अधिकारी तथा कर्मचारी विभिन्न स्तरों तक हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करके निर्धारित हिन्दी परीक्षाएँ पास कर चुके हैं। इसी प्रकार से 95 आशु-लिपिक हिन्दी आशुलिपि का और 51 टाइपिस्ट हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसके अलावा तीन महीने की अवधि के गहन हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत भी 9 व्यक्ति हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से कुछ को परीक्षा में विशिष्ट स्थान प्राप्त होने पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

11. योजना आयोग पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकें

योजना आयोग पुस्तकालय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय है; यह कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और अभिकलित्र केन्द्र सहित योजना आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को संदर्भ सेवा तथा पुस्तक देने की सुविधा देता है । पिछले दो-तीन वर्षों में प्रौद्योगिक, तकनीकी, आर्थिक आदि विशिष्ट विषयों में उपयोगी और अच्छी हिन्दी पुस्तकों के अलावा हिन्दी साहित्य तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य के हिन्दी रूपांतरों का बहुत अच्छा संकलन कर लिया गया है। इस प्रकार यहां उपलब्ध कुल हिन्दी पुस्तकों की संख्या 5000 से अधिक है। इनसे यहां हिन्दी के प्रसार और प्रयोग में काफी सहायता मिली है।

जैसा कि ऊपर दिए गए संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट होगा, यह कहा जा सकता है कि योजना आयोग का कार्य एक प्रकार से भारत सरकार द्वारा आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक आदि विभिन्न विषयों व क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यकलापों का समन्वित या प्रतीक रूप है। इसलिए इन कार्यकलापों का उल्लेख करने वाली अध्ययन, अनुसंधान, मूल्यांकन आदि रिपोर्टों तथा वार्षिक योजनाओं के प्रलेखों में बहुविध जटिल विषयों का विवरण-विवेचन रहता है। इस दृष्टि से योजना आयोग का कार्य और उसके परिणामस्वरूप हिन्दी का कार्य विशिष्ट प्रकार का है। वह हिन्दी भाषा के विकासात्मक और गतिशील स्वरूप, सामर्थ्य तथा समृद्धि का परिचायक है। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि इसी प्रकार से सभी भारतीय भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों में अभिव्यक्ति की पर्याप्त और उत्साहवर्द्धक शक्ति तथा सामर्थ्य है और आशाजनक संभावनाएँ हैं।

□□

लोक निर्माण विभाग में हिन्दी

○ ○

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसाकि नाम से स्पष्ट है, भारत सरकार का एक विशुद्ध तकनीकी विभाग है। इसके कार्यालय देश के सभी राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार राजभाषा नियम, 1976 के अन्तर्गत बनाए गए तीनों क्षेत्रों अर्थात् 'क', 'ख' और 'ग' में विभाग के कार्यालय हैं। राजभाषा नियमों और भारत सरकार के आदेशों के अनुसार काफी कार्य इस विभाग में हिन्दी में हो रहा है। संक्षेप में इसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

1. विभागीय तकनीकी साहित्य का अनुवाद :—विभाग का विपुल तकनीकी साहित्य हिन्दी में अनूदित हो चुका है। जिस साहित्य का अनुवाद होकर छप चुका है उसका विवरण इस प्रकार है :—

(1) विद्युत कार्यों की दर अनुसूची जिल्द-1 भीतरी, 1972
(2) विद्युत कार्यों की दर अनुसूची, जिल्द-2, बाहरी, 1974
(3) विद्युत कार्यों की दर विश्लेषण भाग-II, बाहरी, 1974
(4) दिल्ली दर अनुसूची, 1972
(5) दिल्ली दर अनुसूची का दर विश्लेषण, जिल्द-1, 2, 3 और 4
(6) बम्बई दर अनुसूची

अनुवाद के बाद जो साहित्य प्रेसों में है वे इस प्रकार हैं:—

(1) विद्युत कार्यों के विनिर्देश भाग-1, भीतरी 1972
(2) विद्युत कार्यों के विनिर्देश भाग-2 बाहरी, 1974
(3) विद्युत कार्यों का दर विश्लेषण भाग-1, भीतरी, 1972

जिस साहित्य का अनुवाद हो रहा है उसका विवरण नीचे दिया है :—

(1) दिल्ली दर अनुसूची, 1977
(2) दिल्ली दर विश्लेषण जिल्द-5, 1977
(3) दिल्ली कार्यों के विनिर्देश जिल्द-1, 1977

2. फार्मों का हिन्दी अनुवाद :—विभाग के विभागीय संहिता के लगभग सभी फार्मों का अनुवाद कार्य पूरा होकर ये द्विभाषिक रूप में साथ-साथ छप चुके हैं और प्रयोग में आ रहे हैं। इस प्रकार इस दिशा में विभाग में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

3. सहायक पुस्तिकाएँ :—सरकार के अनुदेशों के अनुसार सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग करने और विभाग में हिन्दी के प्रयोग को आसान बनाने के लिए यह विभाग समय-समय पर सहायक पुस्तिकाएं निकालता रहा है ताकि सब लोग इनका लाभ उठा सकें अब तक ऐसी पाँच सहायक पुस्तिकाएँ निकाली जा चुकी हैं जिनमें बहुधा प्रयोग में आनेवाली सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ दी गई है। उदाहरण के लिए विभाग में आमतौर पर प्रयोग में आने वाले पदनाम, वाक्यांश, टिप्पण, प्रारूप और दूसरे तकनीकी मामलों की जानकारी भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी बहुत सी स्वीकृतियाँ जैसे सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम, उत्सव अग्रिम, साइकिल/मोटर साइकिल अग्रिम आदि और ठेकेदारों के पंजीकरण पत्रों के हिन्दी प्रारूप अंग्रेजी सहित दिए गए हैं। ये पुस्तिकाएं न केवल इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं, बल्कि भारत सरकार के दूसरे विभाग भी इन पुस्तिकाओं की माँग करते रहे हैं।

4. **वार्षिक मरम्मत के अनुमान** :—भवनों की मरम्मत के अनुमान इस विभाग के कार्यालयों में हर वर्ष बनते हैं। उनमें भी हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए अनुमानों के फार्मों को हिन्दी में छपवाया गया है। इसी प्रकार विद्युत संस्थापनाओं और लिफ्टों के वार्षिक अनुरक्षण के फार्म भी हिन्दी में छपवाए गए हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है।

5. **कार्यशालाएं** :—हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है जिससे हिन्दी में काम करने में उनकी झिझक दूर हो सके। वर्ष, 1977 में ऐसी 4 कार्यशालाएं चलाई गई हैं, आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। दिल्ली के बाहर भी जहां विभाग के एक स्थान पर कई कार्यालय हैं ऐसी कार्यशालाएँ चलाई जाएँगी।

6. **तार के पते** :—लगातार किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप विभाग के लगभग 50 प्रतिशत कार्यालयों के तार पतों का अब तक नागरीकरण करके दोनों भाषाओं हिन्दी-अंग्रेजी में इन्हें पंजीकृत करा लिया गया है। शेष के लिए प्रयत्न जारी हैं और आशा है यह कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा।

7. **हिन्दी टाइप मशीन** :—सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति में हिन्दी टाइप मशीनों की कमी एक बाधा बन जाती है। हमने यह निर्णय किया है कि देश के सभी परिमंडलों (सर्किल) और मंडल (डिवीजन) कार्यालियों को हिन्दी टाइप मशीनों की स्वीकृति, उनकी माँग का इन्तजार किए बिना दे दी जाए। इसी प्रकार 'क' क्षेत्र के उप-मंडलों के लिए भी टाइप मशीनें देने का निर्णय किया गया। तदनुसार अब तक देश के अधिकांश परिमंडलों/मंडलों में हिन्दी टाइपराइटर लिए जा चुके हैं। केन्द्रीय कार्यालय में भी अब हिन्दी की 25 मशीनें हैं। प्रत्येक अनुभाग को यथाशीघ्र हिन्दी टाइप मशीनें उपलब्ध करा दी जाएँगी।

8. **प्रशिक्षण** :—'क' और 'ख' क्षेत्रों के अधिकांश कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक स्टाफ को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। जहाँ कमियां हैं और 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से प्रयत्न जारी है। इसी प्रकार हिन्दी टाईपिंग और आशुलिपि सिखाने के लिए भी पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं।

9. **अनुवाद की व्यवस्था** :—विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में एक कार्यपालक इंजीनियर के अधीन हिन्दी शाखा कार्य कर रही है जिसमें तकनीकी साहित्य का अनुवाद, दिन प्रतिदिन जारी होने वाले सामान्य आदेशों को द्विभाषिक रूप में जारी करने के लिए उनका अनुवाद कार्य होता है। अब तक भिन्न भिन्न प्रकार के सैकड़ों मानक मसौदों का हिन्दीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के सभी कार्यालयों से प्राप्त होने वाले अनुवाद कार्य को भी यहाँ किया जाता है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों और कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी यहीं से की जाती है। दो कनिष्ठ अनुवादक दूसरे कार्यालयों को दिए गए हैं। दो और अनुवादकों की स्वीकृति दो मुख्य इंजीनियर कार्यालयों के लिए दी गई है शेष मुख्य इंजीनियर कार्यालयों में हिन्दी अनुवादक देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

शेष पृष्ठ 36 पर

हिन्दी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें—

□□□

(1) क्या नोट लिखने में और क्या पत्र लिखने में, सरल हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि लिखने वाला खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है; जरूरी तो यह है कि पढ़ने वाले की समझ में भी आ जाए कि आखिर लिखने वाला कहना क्या चाहता है।

(2) सरकारी काम में आमफ़हम शब्दों का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए और लिखते वक्त दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का उपयोग करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए।

(3) जहाँ कहीं भी यह लगे कि पढ़ने वाले को हिन्दी में लिखे किसी तकनीकी शब्द या पदनाम (डेजिग्नेशन) को समझने में कठिनाई हो सकती है; वहाँ उस शब्द का पदनाम के सामने कोष्ठक में अंग्रेजी रूपान्तर भी लिख देना उपयोगी होगा।

(4) जिन्हें अच्छी हिन्दी आती है वे कभी-कभी उन लोगों की कठिनाई नहीं समझ पाते जिन्होंने अभी हाल ही में थोड़ी बहुत हिन्दी सीखी है। ऐसे लोगों को इन नवशिक्षितों की कठिनाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने 'पांडित्य के प्रदर्शन का लोभ संवरण' करना चाहिए।

(5) आधुनिक यंत्रों, तरह-तरह के पुर्जों और नए जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम प्रचलित हैं, उनका कृत्रिम अनुवाद करने की बजाय उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा। जैसे-जैसे लोग हिन्दी में अधिक दक्ष होते जायेंगे, वैसे-वैसे एक स्वाभाविक प्रक्रम के अनुसार अधिकृत शब्द अपने आप प्रचलित होते चले जायेंगे।

(6) हिन्दी लिखते वक्त हिन्दी लिखने की कोशिश करें, न तो संस्कृत और न देवनागरी लिपि में अंग्रेजी ही। कहने का मतलब यह है कि हिन्दी का वाक्य विन्यास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए और यह ठीक नहीं होगा कि वह संस्कृत के दुरूह समस्त पदों की लड़ी हो या अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद मात्र।

(7) अंग्रेजी में मसौदा लिख कर उसका हिन्दी में अनुवाद करने के बजाय बेहतर यह होगा कि मसौदा मूल रूप से ही हिन्दी में तैयार किया जाए और वह भी हिन्दी की प्रकृति के अनुसार। ऐसा करने से भाषा न सिर्फ स्वाभाविक होगी और उसमें रवानी आयेगी, बल्कि बीच-बीच में नए या अनजाने शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद वह सहज ही सभी की समझ में आ सकेगी।

○○○

[पृष्ठ 35 का शेष]

10. **निरीक्षण व्यवस्था**:—इस विभाग ने सरकारी काम में हिन्दी के क्रमिक विकास को बढ़ावा देने और इसकी प्रगति का जायजा लेने के लिए एक निरीक्षण उप-समिति बनाई है, जिसके सदस्य इस विभाग के तीन राजपत्रित अधिकारी हैं। इस उप-समिति ने राजभाषा नियमावली 1976 के प्रावधानों और सरकारी आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित किया और हिन्दी में काम करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। साथ-साथ काम में अनुभव होने वाली कठिनाइयों का हल भी प्रस्तुत किया।

विभाग के 'क' क्षेत्र के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में चहुंमुखी प्रगति हुई है। पत्र व्यवहार भी मूल रूप में हिन्दी में शुरू हुआ है और बढ़ रहा है। सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जा रही हैं। वास्तुकीय नक्शों और संरचनात्मक नक्शों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों, वेतन-बिलों आदि में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। विभाग के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा लगभग सभी सामान्य आदेशों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाता है। विभाग के नामपटों, मोहरों आदि में अंग्रेजी के साथ हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। आशा है यह विभाग किसी भी प्रकार अन्य विभागों की तुलना में इस कार्य में पीछे नहीं रहेगा।

—प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली, की ओर से।

□□

संख्या 11014/3/76-अ०वि० एकक
भारत सरकार, राजभाषा विभाग
नई दिल्ली-1, दिनांक 27 अप्रैल, 1978
7 वैशाख, 1900

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक तथा विधिक शब्दावली में एकरूपता

←○→

राजभाषा विभाग को प्रायः यह सूचना मिलती रहती है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों द्वारा अपने पत्रों, विज्ञापनों तथा अन्य सरकारी कामों में शिक्षा और विधि मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित शब्दावली का उचित रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार प्रशासनिक और विधिक क्षेत्र में शब्दों के मनमाने प्रयोग से न केवल भाषा की अराजकता फैलती है, बल्कि पढ़ने वाले व्यक्तियों को तकनीकी शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ समझने में भी कठिनाई होती है।

27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश (अधिसूचना सं० 2/8/60-रा०भा०) के पैरा 3 के अनुसार तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली के निर्माण का कार्य शिक्षा मंत्रालय को और पैरा 13 के अनुसार विधि शब्दावली के निर्माण का काम विधि मंत्रालय को सौंपा गया है। इन दोनों मंत्रालयों ने क्रमशः वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और राजभाषा (विधायी) आयोग स्थापित कर इन कार्यों को अब तक लगभग पूरा कर लिया है। इन दोनों अभिकरणों (एजेंसियों) ने राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कार्य किया है। अतः इनके द्वारा अनुमोदित शब्दावली का सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु जहाँ कहीं इनमें विभिन्नता दिखाई पड़े वहाँ केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग) के अधीन गठित "शब्दावली समन्वय समिति" द्वारा अनुमोदित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सरकार की यह सुविचारित नीति है कि सरकारी कामकाज में सरल, सहज और सुबोध भाषा का प्रयोग किया जाए, किन्तु जहाँ प्रशासनिक या विधिक शब्दों का तकनीकी अर्थ में प्रयोग करना हो वहां उपर्युक्त अभिकरणों द्वारा अनुमोदित शब्दों का ही प्रयोग करना वांछनीय है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द के लिए हिन्दी में कई अनुमोदित पर्याय सुलभ हों, तो उनमें से उसी पर्याय का प्रयोग करने की कोशिश की जाए जो अधिक सरल और प्रचलित हों। इसके अलावा यदि अनुमोदित तकनीकी शब्द कठिन और अप्रचलित प्रतीत हो तो कोष्ठक में उसका अंग्रेजी पर्याय भी लिख देना फिलहाल बेहतर होगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे विधि के क्षेत्र में, विधि मंत्रालय, और तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अद्यतन शब्दावलियाँ अपने यहाँ मंगालें और उनमें अनुमोदित शब्दों का ही प्रयोग करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों आदि को भी, ऐसा ही करने के लिए, समुचित अनुदेश दें। सुविधा के लिए, उन कार्यालयों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं जहां से प्रशासनिक या विधिक शब्दावली संबंधी पुस्तकें अथवा शब्द सूचियाँ प्राप्त की जा सकती हैं:—

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, (शिक्षा मंत्रालय), वेस्ट ब्लाक-7, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली।
2. राजभाषा खंड, विधायी विभाग (विधि मंत्रालय), भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (राजभाषा विभाग) नागालैण्ड गेस्ट हाउस, मोती बाग, नई दिल्ली।

ह/०—
(विष्णु स्वरूप सक्सेना)
उप सचिव, भारत सरकार।

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. भारत सरकार का निर्वाचन आयोग का कार्यालय।
4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।

○ ○

हिन्दी कहाँ और कितनी?

←□→

1. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा काफ़ी संख्या में हिन्दी में चैक काटे जा रहे हैं।

2. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, नैनी तथा उनके दिल्ली स्थित कार्यालय द्वारा काफ़ी पत्र-व्यवहार हिन्दी में हो रहा है।

3. कम्पनी रजिस्ट्रार के कई कार्यालय अपने अनेक पत्र हिन्दी में जारी कर रहे हैं।

4. राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो शाखाएँ गांवों में हैं, वे कृषि संबंधी ऋण देने का काम हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में करती हैं। बैंकों में इस बात की छूट दी गई है कि चैक हिन्दी में लिखे जा सकते हैं तथा उन पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

5. वीरभद्र ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स फैक्टरी की लाग बुक हिन्दी में भरी जाती है तथा कारखाने का कुछ अन्य तकनीकी काम भी हिन्दी में होता है।

6. के०लो०नि० विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले नक्शों में उनके शीर्षक और अन्य विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाते हैं। इसी तरह केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा नक्शों के शीर्षक हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाते हैं।

7. आयकर आयुक्त, लखनऊ, कानपुर तथा पटना का काफी पत्र-व्यवहार हिन्दी में होने लगा है। इसी प्रकार दिल्ली के कलेक्टर आफ़ कस्टम्स कार्यालय का काफ़ी पत्र-व्यवहार अब हिन्दी में होता है।

8. शिमला, रांची, ग्वालियर तथा जयपुर स्थित महालेखाकार के कार्यालयों ने अपना बहुत-सा मूल पत्र-व्यवहार हिन्दी में करना आरम्भ कर दिया है।

9. डाकतार विभाग, रेल मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय आदि ने अपने उन कार्यालयों के लिए जो सर्वाधिक काम हिन्दी में करें, शील्ड देने का निश्चय किया है।

10. रसायन और उर्वरक विभाग में नकद पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 58 तक पहुंच गई है जबकि शुरू में भाग लेने वालों की संख्या लगभग 30 थी। इस योजना का पहला वर्ष जून 1978 में समाप्त हो जाएगा।

11. सीमा शुल्क समाहर्ता, बम्बई के कार्यालय की राजभाषा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रतिदिन सायं 5.00 बजे से 5.30 बजे तक हर काम हिन्दी में किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि निर्णय की उपयोगिता और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए सहायक समाहर्ता तथा अन्य अधिकारी अथवा पर्यवेक्षक स्टाफ अपने से संबंधित विभागों में अनुपालन सुनिश्चित करने तथा स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत दौरे करें।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, इन्दौर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के इन्दौर कलक्ट्रेट के अधीन कार्यालयों में 31 मार्च, 1978 को समाप्त हुई तिमाही के बीच हिन्दी में जितने मूल पत्र तथा तार जारी हुए हैं उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। ये आंकड़े 26 जून, 1978 को इन्दौर में हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर एकत्र किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि इन कार्यालयों में हिन्दी के इस्तेमाल की दिशा में संतोषजनक प्रगति हुई है।

	पत्र		तार	
	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
मुख्यालय	893	275	121	580
इन्दौर प्रभाग	715	841	7	75
उज्जैन प्रभाग	422	251	11	69
रायपुर प्रभाग	676	603	244	554
रतलाम प्रभाग	966	445	5	150
भोपाल प्रभाग	755	433	16	131
सागर प्रभाग	714	33	1	65
जबलपुर प्रभाग	604	818	3	50
ग्वालियर प्रभाग	367	452	14	72
कुल का प्रतिशत	(59%)	(41%)	(20%)	(80%)

क्या आप जानते हैं?

* आशुलिपि की जो गति 1965 में 120 शब्द प्रति मिनट थी अब बढ़कर 240 हो गई है।
* हिन्दी में भेजे गए पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना जरूरी होता है।
* केन्द्रीय अधिनियमों की कुल संख्या 850 है जिनमें से अब तक 750 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित हो चुका है।
* केन्द्रीय नियमों की पृष्ठ संख्या लगभग 30,000 है जिनमें से 5,000 पृष्ठ हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं।

आयकर आयुक्त का कार्यालय, लखनऊ

31 मार्च, 1978 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यालय में हिन्दी के व्यवहार में नीचे लिखे अनुसार उल्लेखनीय प्रगति हुई है:—

प्रशासनिक कार्य :

	कुल संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में
1. कैश बुक	39	15	24
2. बिल रजिस्टर	75	36	39
3. अन्य रजिस्टर	322	184	138

धारा 143(1) के अधीन निर्धारण संबंधी कार्य :

	हिन्दी में
1. कर निर्धारण आदेश	20,341
2. फार्मों का भरा जाना	19,988
3. मांग नोटिस	22,537
4. चालान का जारी करना	16,119
5. एडवाइस नोट	2,933
6. फाइलों पर विषय निर्धारिती का नाम	16,698

अन्य धाराओं के अधीन जारी कागज पत्र :

	कुल संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में
1. करदाताओं को नोटिस	323	323	—
2. सहायक आयुक्त निरीक्षण अपील के स्तर पर	2,365	2,226	139
3. आय-कर अधिकारी के स्तर पर	12,737	8,948	3,789
4. अन्य अधिकारियों के स्तर पर	214	117	97
5. संवीक्षा आयुक्त कर निर्धारण के स्तर पर	4,084	1,075	3,009

अपीलीय आदेश संबंधी कार्य :

	कुल संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में
1. सहायक आयुक्त द्वारा नोटिस	791	32	759
2. निर्धारितियों से पत्र-व्यवहार	75	75	—
3. नोटिस	5,323	5,323	—

केन्द्रीय सरकार के अधिसूचित मंत्रालय, विभाग और कार्यालय

○○○

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) की व्यवस्था के अनुसार उन कार्यालयों के नाम जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजपत्र में अधिसूचित किया जाना है ।

पिछले अंक में इस प्रकार अधिसूचित 14 मंत्रालयों और विभागों के नाम दिए गए थे । सात और मंत्रालयों/विभागों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

(15) प्रधान मंत्री का कार्यालय (16) वाणिज्य विभाग (17) ग्राम विकास विभाग (18) निर्वाचन आयोग (19) वित्त मंत्रालय (रक्षा प्रभाग) (20) श्रम मंत्रालय (21) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

जहाँ तक सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करने का प्रश्न है, कुल 32 अधिसूचित कार्यालयों की सूची पिछले अंक में दी गई थी । इस अंक में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिसूचित कार्यालयों की सूची नीचे दी जा रही है :—

गृह मंत्रालय

(1) राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर (2) राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर (3) असैनिक चल आपात दल, दिल्ली ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(1) प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली (2) फोटो प्रभाग, नई दिल्ली (3) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली (4) पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली (5) सूचना केन्द्र, नई दिल्ली (6) पत्र सूचना कार्यालय, भोपाल (7) पत्र सूचना कार्यालय, पुणे (8) पत्र सूचना कार्यालय, पटना (9) पत्र सूचना कार्यालय, इन्दौर (10) पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर (11) पत्र सूचना कार्यालय, राजकोट (12) पत्र सूचना कार्यालय, वाराणसी (13) पत्र सूचना कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, नई दिल्ली (14) पत्र सूचना कार्यालय, बम्बई (15) पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर (16) पत्र सूचना कार्यालय, जलन्धर (17) पत्र सूचना कार्यालय, पणजी (18) पत्र सूचना कार्यालय, नागपुर (19) पत्र सूचना कार्यालय, लखनऊ (20) पत्र सूचना कार्यालय, जम्मू (21) पत्र सूचना कार्यालय, अहमदाबाद (22) पत्र सूचना कार्यालय, त्रिवेन्द्रम (23) गीत और नाटक प्रभाग, दिल्ली (24) गीत और नाटक प्रभाग, पटना (25) गीत और नाटक प्रभाग, पुणे (26) गीत और नाटक प्रभाग, शिमला (27) गीत और नाटक प्रभाग, नैनीताल (28) गीत और नाटक प्रभाग, जलन्धर (29) गीत और नाटक प्रभाग, जोधपुर (30) गीत और नाटक प्रभाग, अहमदाबाद (31) गीत और नाटक प्रभाग, चण्डीगढ़ (32) गीत और नाटक प्रभाग, हैदराबाद (33) गीत और नाटक प्रभाग, लखनऊ (34) गीत और नाटक प्रभाग, बरेली (35) गीत और नाटक प्रभाग, दरभंगा ।

○○

[पृष्ठ 29 का शेष]

वित्तीय स्थिति :

भारत सरकार ने प्रथम वर्ष अर्थात् 1968-69 में तुल्य अनुदान दिया। इसमें कुल खर्च का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय था। लेकिन, 1969-70 तथा उसके आगे के वर्षों में यह अनुदान सौ प्रतिशत के आधार पर हो गया। विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा अब तक दिए गए अनुदानों और उसके द्वारा किए गए खर्च का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

क्रम सं०	राज्यों के नाम	अनुदान	व्यय (लाखों में)	बिक्री की नेट राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	100.00	191.93	156.72
2	असाम	78.00	106.78	45.14
3	बिहार	53.00	58.95	12.98
4	गुजरात	71.00	66.12	19.20
5	हरियाणा	31.50	28.73	4.89
6	कर्नाटक	68.00	81.64	24.28
7	केरल	96.43	124.90	39.31
8	मध्य प्रदेश	74.00	75.47	16.36
9	महाराष्ट्र	47.50	44.86	5.04
10	उड़ीसा	68.00	65.53	5.92
11	पंजाब	40.00	48.23	1.09
12	राजस्थान	40.00	45.07	14.02
13	तमिलनाडु	92.06	94.13	36.38
14	उत्तर प्रदेश	64.00	60.10	7.30
15	पश्चिमी बंगाल	22.33	20.47	1.88
16	बनारस	19.27	17.05	00.47
17	दिल्ली	34.49	23.44	00.39
18	केन्द्रीय अभिकरण	—	4.08	6.50

□□

देवनागरी के टाइपराइटर

OO

हिन्दी (देवनागरी) टाइपराइटरों के कुंजी-पटल में सुधार करने और उनकी तकनीकी कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में काफी समय से विचार-विमर्श होता रहा है । इस विषय में अनुभव की गई कमियों को दूर करने के लिए इनमें अनेक बार परिवर्तन किए गए हैं, फिर भी, अभी तक सभी लोगों को सन्तुष्ट करना संभव नहीं हो सका है । यही कारण है कि हाल ही में इस टाइपराइटर को सुधरा हुआ मानक रूप देने के बाद भी, लोग इस बारे में परिवर्तन प्रस्तावित करते रहते हैं ।

टाइपराइटर संबंधी काम शुरू से ही शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में था । इस संबंध में विशेषज्ञ समितियाँ नियुक्त कर और बैठकें कर शिक्षा मंत्रालय ने देवनागरी टाइपराइटर के कुंजी-पटल में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए हैं :—

(1) मंत्रिमंडल के 8 जनवरी, 1955 के निर्णय के अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी । इस समिति को हिन्दी टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के लिए मानक कुंजी-पटल बनाने का काम सौंपा गया था । देवनागरी लिपि के सुधार के लिए नवम्बर 1955 में, लखनऊ में आयोजित सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर इस समिति द्वारा तैयार किए गए कुंजी-पटल को, सरकार ने, 1957 में जारी किया ।

(2) 1959 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने देवनागरी लिपि को संशोधित करने के लिए सिफारिशें की थीं । इन सिफारिशों के आधार पर, 1960 में, हिन्दी टाइपराइटरों के कुंजी-पटल में भी सुधार किया गया ।

(3) 1961 में, टाइपराइटर बनाने वाली प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई थी । इस बैठक में कुंजियों की व्यवस्था बदलने के बारे में सुझाव दिए गए जिससे टाइपराइटरों का उत्पादन जल्द बढ़ाया जा सके, और उनकी कीमत कम रखी जा सके । इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद 1962 में सरकार ने एक संशोधित कुंजी-पटल जारी किया ।

(4) इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मराठी टाइपराइटर का एक अनंतिम डिजाइन तैयार किया । मराठी और हिन्दी दोनों भाषाओं की लिपि एक ही है, इसलिए यह उचित समझा गया कि इन दोनों भाषाओं के लिए एक ही कुंजी-पटल रखा जाए। 1963 में, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और इस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार देवनागरी (हिन्दी-मराठी) कुंजी पटलों को अंतिम रूप दिया गया ।

(5) 1967–68 में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए बैठकें की गईं और कुंजी-पटल में कुछ छोटे-छोटे परिवर्तन किए गए । कुंजी-पटल में इन परिवर्तनों का समावेश करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 25 जनवरी, 1969 को एक प्रेस नोट भी जारी किया ।

शिक्षा मंत्रालय की हिन्दी शिक्षा समिति के प्रस्ताव पर, अगस्त, 1970 और मई, 1971 में कुंजी-पटल की तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए बैठकें की गई । इन बैठकों में यह तय किया गया कि औद्योगिक विकास मंत्रालय टाइपराइटर निर्माताओं को, बैठक के निर्णयों के अनुसार, अनुदेश दे कि वे यथावश्यक अपने ग्राफिक डिजाइन स्वयं विकसित करें ।

राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में जो कार्रवाई की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

राजभाषा सचिव ने शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया और टाइपराइटरों के निर्माण, प्रयोग, प्रशिक्षण आदि से संबंधित सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की । देवनागरी टाइपराइटरों की खामियों को दूर करने और उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए, यह निर्णय किया गया कि :—

(1) देवनागरी टाइपराइटरों को यांत्रिक दृष्टि से सुधारने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हाफ स्पेस (डुप्लेक्स एसकेप-मेंट मैकेनिज्म) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए ।

(2) कुछ वर्ष पूर्व भाषाविद् समिति द्वारा की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार, हिन्दीतर भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों (छोटे 'ए' और छोटे 'ओ') की व्यवस्था करने के लिए कुंजी-पटल में एक नई मात्रा को स्थान दिया जाए ।

राजभाषा सचिव ने यह सुझाव भी दिया कि चिन्हों को इस प्रकार रि-डिजाइन किया जाए जिससे कुछ चिह्न कम करने पर भी, दो चिन्हों के सहयोग से, सभी चिन्ह टाइप किए जा सकें और कुछ और कुंजियाँ उपलब्ध होने से ऐसे वर्णों और संयुक्ताक्षरों को स्थान दिया जा सके जिन्हें पहले कुंजी-पटल में स्थान नहीं दिया जा सका । केन्द्रीय हिन्दी समिति की 26 जून, 1976 को प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से इस विषय पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया । इस प्रस्ताव के अनुसार देवनागरी टाइपराइटरों में किए जाने वाले परिवर्तनों की, सभी संबंधितों को, सूचना दी गई और यह सुझाव भी दिया गया कि भविष्य में कार्यालय सुधरे हुए टाइपराइटर ही लें ।

इन सुधारों से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

(1) टाइपराइटरों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा ।

(2) उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम होगी ।

(3) टाईपिंग की गति बढ़ जाएगी ।

(4) रख-रखाव सरल होगा और मरम्मत पर खर्च भी कम होगा ।

इसके साथ ही, राजभाषा सचिव ने टाइपराइटर निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श कर टाइप फेसों को इस प्रकार रि-डिजाइन करवाया जिससे टाइप की हुई सामग्री देखने में सुन्दर लगे, उसे पढ़ने में आसानी हो और स्टैंसिल अच्छे कटें । हाल ही में किए गए इन सुझावों को देखते हुए अब, सरकार का, इस सुधरे हुए मानक कुंजी-पटल में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

कुछ समय पहले तक देवनागरी टाइपराइटर मिलने में काफी दिक्कत थी और अक्सर दो-दो, तीन-तीन वर्ष बीत जाने पर भी कार्यालयों के हिन्दी टाइपराइटरों के आर्डरों की पूर्ति नहीं हो पाती थी ऐसे मामलों की सूचना राजभाषा विभाग द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को दी जाती थी और उनकी सहायता से टाइपराइटर

शेष पृष्ठ 40 पर

पाठकों की सम्मतियाँ

"राजभाषा भारती" का प्रवेशांक देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका में हिन्दी को राजभाषा, सम्पर्क भाषा और विश्व की भाषा के पद पर सर्वव्यापी बनाने के लिए जिन लेखों का चयन किया गया है वे वस्तुतः हिन्दी की श्रीवृध में अत्यन्त उपयोगी है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के विचार हमारा पथ प्रदर्श करेंगे। इस अंक में संघ की राजभाषा नीति और अन्य संस्थाओं में हिन्दी की प्रगति के विवरण हमारे लिए संदर्भ एवं संग्रह की सामग्री हैं। आशा है, भारत सरकार द्वारा संघ के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से राजभाषा विभाग की 'राजभाषा भारती' नाम की त्रैमासिक पत्रिका अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगी।

—कृष्ण गोपाल
सम्पादक, यूनेस्को दूत

"राजभाषा भारती" के प्रवेशांक (अप्रैल, 1978) की एक प्रति मिली। इसे मैंने सामान्य रूप से देखा। संविधान में राजभाषा स्वीकृत होने के बाद ऐसी धारणा थी कि हिन्दी बहुत शीघ्र अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। पर अनेक विध सरकारी प्रयत्नों के बावजूद व्यावहारिक कठिनाइयों पर विजय सरलता से प्राप्त नहीं की जा सकी इन प्रयत्नों की जानकारी जन सामान्य को नहीं है, अतः उसमें स्वभावतः सरकार के उद्देश्यों के प्रति भ्रम है। इसका निराकरण आपकी पत्रिका का ध्येय है, यह प्रसन्नता की बात है।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में दिया गया प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई का उद्घाटन भाषण तथा अध्यक्ष पद से गृहमंत्री श्री चरण सिंह का वक्तव्य राजभाषा संबंधी रीति-नीति पर सम्यक् प्रकाश डालता है। इस प्रवेशांक के अन्य लेख 'राजभाषा हिन्दी और प्रादेशिक भाषाएं' तथा 'संघ की राजभाषा नीति' में राजभाषा संबंधी सरकार की स्थिति और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप की गई कार्रवाइयों आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। 'केन्द्रीय हिन्दी समिति-गठन और कार्य' शीर्षक लेख में समिति की स्थापना से लेकर उसकी अब तक की गतिविधि का संक्षिप्त लेखा-जोखा है। इसी प्रकार 'संघ के सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण' के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का परिचय और 'प्रबोध' तथा 'प्राज्ञ' कक्षाओं की जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण के लिए दी जाने वाली सुविधाओं, पुरस्कारों आदि का भी विवरण है। हिन्दी टाइपराइटिंग सीखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन-वृद्धि और नगद पुरस्कार बड़े आकर्षक प्रोत्साहन हैं।

कुल मिलाकर यह 'प्रवेशांक' उस महत् उद्देश्य की बड़ी उपयुक्त भूमिका है जिसके निमित्त राजभाषा विभाग प्रयत्नशील है। इस सत्कार्य के लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि यह पत्रिका अपने नामानुरूप हिन्दी की सेवा करने में समर्थ होगी।

—सुधाकर पांडेय
प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा,
वाराणसी

'राजभाषा भारती' का प्रवेशांक, (अप्रैल, 1978) देखने का अवसर मिला। सुन्दर साजसज्जा, उत्कृष्ट कलेवर और विषयवस्तु की दृष्टि से यह पत्रिका अपने में एक अनुठापन लिए हुए है। निस्संदेह एक ऐसी पत्रिका की बहुत दिनों से मांग चल रही थी ताकि भारतीय संघ की राजभाषा नीति के संबंध में न केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ही परिचित हो सकें, अपितु आम आदमी भी कम से कम राजभाषा नियम, 1976 से परिचित हो सकें।

अभी भी अनेक मंत्रालय विभाग कार्यालय और सरकारी उद्यम तथा सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियों के कर्मचारी राजभाषा नियमों की अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। यह पत्रिका उनको इस ओर आकर्षित करेगी जिससे कम से कम सरकारी नीति की अवहेलना तो नहीं होगी। विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में दुराग्रहपूर्ण रवैया अपना कर बहु संख्यक भारतीय भाषी भाषा व्यक्तियों की भावनाओं का अनादर किया जा रहा है, यह वस्तुतः निंदनीय है। इस ओर प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण किया जाना अभीष्ठ है।

पत्रिका को निःशुल्क रखें और इसका वितरण बड़ी संख्या में आरम्भ करें। आमजनता से प्राप्त लेखों को पारिश्रमिक देकर प्रकाशित किया जाए इससे जनता की अभिरूचि, लगाव तथा संबंध का पता लगेगा। होता यह है कि सामान्य नागरिक राजभाषा हिन्दी की महत्ता नहीं जानते अतः पत्रिका को रूचिकर बनाने के लिए जरूरी है कि इसमें कुछ ऐसे कथा, दृष्टांत तथा नाट्य रूपक शामिल किए जावें जो पत्रिका को हर क्षेत्र में अपना स्थायी स्थान बनाने में सहायक हो सकें।

पत्रिका में स्वेच्छिक रूप से हिन्दी का सरकारी कार्यों में प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्तियों का परिचय फोटो सहित छापा जाए ताकि उनका उत्साह बढ़े और सरकारी कार्यालयों में जाकर हिन्दी प्रयोग की प्रगति का जायज़ा लेने के समय उनको परिचय देने की जरूरत न पड़े।

राजभाषा भारती के उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य सिद्धि की ओर बढ़ने की मंगल कामनाओं सहित।

—मुकुल चंद पांडेय
संपादक, "उद्योग एवं विज्ञान जगत"
53, छोटा चांदगंज, लखनऊ

आपका दिनांक 18 मई, 1978 का पत्र और राजभाषा भारती का प्रवेशांक मिला। राजभाषा भारती का प्रकाशन जितना आवश्यक है उतना ही उपयोगी भी। श्री रमाप्रसन्न नायक ने 'अपनी बात' में इसे स्पष्ट कर दिया है। प्रवेशांक सुन्दर है और उपयोगी भी। इस संबंध में नीचे लिखे सुझाव भेज रहा हूं :—

1. हिन्दी कहाँ और कितनी—स्तम्भ को अधिक व्यापक और विस्तृत बनाना चाहिये—इस स्तम्भ के अन्तर्गत प्रत्येक अंक में मंत्रालयों के अतिरिक्त स्वायत्त निगमों, प्राधिकरणों, बैंकों आदि का भी विवरण देना चाहिए। एक अंक में किसी एक विशेष संस्थान को लिया जा सकता है।

2. अनुवाद, शब्दावली और पत्राचार संबंधी विशेष स्तम्भ हों, जिनमें व्यवहारिक स्तर पर निवृत्ति और निरूपण किया जाना चाहिए।

3. पाठकीय स्तम्भ के अन्तर्गत पत्रादि सुझाव के लिए रखे जाएं, जिससे भारती का धरातल अधिक उपयोगी और व्यापक हो।

4. राजभाषा के लिए कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं से भी समायोजन होना चाहिए। प्रवेशांक में संकलित निबन्ध काफी उपयोगी और प्रेरणास्पद हैं। इस सत्प्रयास के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

—कल्याणमल लोढ़ा
आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

"राजभाषा भारती" पत्रिका का प्रवेशांक मिला, धन्यवाद । प्रवेशांक में ही राजभाषा सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण, माननीय गृह मंत्री द्वारा अध्यक्षीय भाषण, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का विवरण और सिफारिशें, सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण, संसदीय राजभाषा समिति का स्वरूप और उद्देश्य तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किस रूप में बढ़े आदि लेखों ने हृदय पर अमिट छाप डाल दी है ।

पत्रिका की रूप-सज्जा, वाह्य तथा अन्तरंग रूप, दोनों ने ही अत्यन्त प्रभावित किया। मैं चाहूंगा कि पत्रिका का रूप इसी तरह निरन्तर बना रहे।

यह पत्रिका सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अत्यधिक सहायक और उपयोगी सिद्ध हो मेरी शुभ कामना है। आपके इस प्रयास के लिए मेरी हार्दिक बधाई।

—कैलाश चन्द्र भाटिया
प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएँ
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी

'राजभाषा' भारती के प्रवेशाँक के लिए धन्यवाद। पत्रिका बहुत सुन्दर बनी पड़ी है और ऐसा लगता है कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगी।

—डी० एन० भटनागर
सं० -सम्पादक, आविष्कार
नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया

यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि गृह मंत्रालय से 'राजभाषा भारती' नामक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। सम्मेलन के प्रसिद्ध त्रैमासिक 'सम्मेलन पत्रिका' के विनिमय में 'राजभाषा भारती' का विनियम कर सकें तो बड़ी प्रसन्नता होगी।

—श्याम कृष्ण पांडेय
सहायक मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

'राजभाषा भारती' का प्रवेशांक प्राप्त हुआ। हिन्दी के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की समुचित जानकारी के लिए ऐसी पत्रिका की काफी लम्बे समय से आवश्यकता समझी जा रही थी। निसंदेह यह प्रयत्न सराहनीय है।

—रामसहाय मधुकर
सहायक निदेशक, (संपादन),
लघु उदयोग समाचार

'राजभाषा भारती' का प्रवेशांक मिला। सरकारी कार्यालयों उपक्रमों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को तीव्रतर गति से बढ़ाने में इस पत्रिका के प्रकाशन से अत्यधिक सहायता मिलेगी क्योंकि इससे कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम संबंधी प्रावधानों की जानकारी तो मिलेगी ही इसके साथ-साथ राजभाषा संबंधी उनकी निर्मूल एवं भांतिपूर्ण शंकाओं का निवारण भी होगा। वे कार्यालय के काम में निःशंक होकर उत्साहपूर्वक राजभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। इस परमोपयोगी और संग्रहणीय पत्रिका के प्रकाशन के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें।

—हेमचन्द्र कोशिक
उप प्रबंधक (हिन्दी),
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०
[शेष पृष्ठ 46 पर]

समाचार

□□□

विभागीय समाचार :

राजभाषा विभाग में अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर 15 मार्च, 1978 को श्री सुधाकर द्विवेदी ने राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव पद से अपना कार्यभार छोड़ दिया। श्री द्विवेदी पिछले 7 वर्षों से गृह मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे थे। अपने कार्यकाल में उप-सचिव, निदेशक तथा संयुक्त सचिव के पदों पर कार्य करते हुए श्री द्विवेदी ने राजभाषा विभाग के प्रायः सभी कार्यों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन, निरीक्षण, संचालन एवं संपादन किया।

उनके चले जाने पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव ने राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव का पद संभाला और 11 जून, 78 तक इस पद पर कार्य करते रहे। 12 जून, 78 से श्री मुनीश गुप्त ने राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव का पद संभाला है। इससे पूर्व श्री गुप्त हरियाणा सरकार में हिसार डिवीजन के कमिश्नर थे। आप अत्यन्त मृदुभाषी, कर्मठ, योग्य और कुशल प्रशासक हैं। आशा है आपके कार्यकाल में संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में अच्छी सफलता मिलेगी।

शोक प्रस्ताव :

14-5-78 को भारत सरकार के भूतपूर्व हिन्दी सलाहकार श्री जगदीश चन्द्र माथुर के आकस्मिक निधन से सभी हिन्दी प्रेमियों को बड़ा आघात लगा है। श्री माथुर एक उच्चकोटि के विद्वान, शिक्षाविद्, लेखक, नाटककार तथा प्रशासक थे। उन्होंने 1941 से लेकर सेवा निवृत्त होने तक भारतीय सिविल सेवा के उच्च अधिकारी के रूप में विविध क्षेत्रों में देश की सेवा की थी। 1955 से 1962 तक वे आकाशवाणी के महानिदेशक रहे। इस अवधि में उन्होंने अपनी अद्भुत योग्यता का परिचय देते हुए अनेक नए कार्यक्रमों का श्रीगणेश किया। वे हिन्दी के उच्चकोटि के विद्वान थे और उनकी गणना हिन्दी के श्रेष्ठ नाटककारों में की जाती है। सन् 1971 से लेकर 1973 तक भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के रूप में उन्होंने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था।

श्री माथुर के असामयिक निधन से हिन्दी साहित्य और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपूरणीय क्षति हुई है। राजभाषा विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उनके शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं।

भू० पू० स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील :

व्यक्ति के अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन उसकी अपनी भाषा ही होती है। भाषा की गुलामी राजनैतिक और आर्थिक गुलामी से भी दुःखदायी होती है। भाषाएँ सरकारी संरक्षण से नहीं बल्कि अपने-अपने देश के नागरिकों के प्यार और अनुराग से ही पनपती हैं और फलती-फूलती हैं। विदेशी भाषा कितनी ही सक्षम क्यों न हो वह राष्ट्रीय प्रेम और समन्वय की कड़ी कदापि नहीं बन सकती। 30 वर्षों की स्वतन्त्रता के बावजूद हमारे शासन-तंत्र का देश के परिवेश में नितांत अजनबी बने रहने का मुख्य कारण अंग्रेजी भाषा है। गांधी जी के वाक्यों में "जो माता-पिता अपने बच्चों को शुरू से अंग्रेजी में बोलना और लिखना सिखाते हैं वे उनका सभी दृष्टियों से अहित करते हैं और राष्ट्र का द्रोह करते हैं।" गांधी जी ने यहाँ तक कहा है कि जब तक भारत की राजभाषा अंग्रेजी रहेगी तब तक मैं भारत को मुकम्मल आजाद नहीं मानूंगा। हृदयतंत्री मातृभाषा के माध्यम से ही खिलती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय के सभी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि वे अपने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी की श्रेष्ठता का झूठा मोह छोड़कर राष्ट्रभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें। भाषा विचारों को एक-दूसरे तक पहुंचाने का साधन मात्र है, व्यक्ति की योग्यता की कसौटी नहीं। अतः भाषा की सुन्दरता के फेर में न पड़कर वे जरूरत पड़ने पर विदेशी शब्दों का भी देवनागरी लिपि में यथासंभव प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे छोट बड़े सभी सरकारी अधिकारी इस राष्ट्रीय जरूरत को समझेंगे और इसको पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

हिन्दी के साईन बोर्डों के लिए पुरस्कार :

नई दिल्ली के व्यापारी प्रतिनिधियों (ट्रेडस एसोसियेशन) के अध्यक्ष और सचिवों के साथ हुई बैठक में नगरपालिका ने दुकानों के बोर्ड हिन्दी में लिखवाने तथा व्यापारियों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 26 जनवरी को पालिका क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कलात्मक हिन्दी साइनबोर्ड पर दुकानदार को 500 रुपए की वैजयंती प्रदान करने की घोषणा की है।

जीवंत भाषा के रूप में हिन्दी का विकास :

नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में आयोजित एक समारोह के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम व० दा० जत्ती ने कहा है—"हिन्दी आज भारत की सम्पर्क भाषा है। हिन्दी का विकास आवश्यक है और अन्य भाषाओं की समृद्धि इसमें विशेष सहायक होगी। हिन्दी के माध्यम से इस विशाल देश के लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे और मिलकर काम पर कर सकेंगे। हिन्दी को न केवल सब क्षेत्रों के बीच, बल्कि सब वर्गों के बीच एक जीवंत भाषा बनाना है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते, जहाँ केवल एक भाषा बोली जाती हो, न ऐसे भारत की जहाँ एक ही धर्म का बोलबाला हो। लेकिन मुझे आशा है कि भारत के अधिक से अधिक लोग हिन्दी सीखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखें, राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी सीखें और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखें। सरकार सतत् प्रयत्नशील है कि हिन्दी राजभाषा और अन्तर-प्रांतीय भाषा के रूप में प्रभावशाली हो, पर हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी"।

सरकारी पत्र-पत्रिकाओं को उपयोगी बनाना

राष्ट्रपति भवन से जारी की गई 6 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या सी० डी० 261/76 के अनुसार "संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी में प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजनाएँ और मैगजीनों, पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन शामिल है, नोडीय उत्तर-दायित्व" राजभाषा विभाग को सौंप दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को और उपयोगी बनाने के लिए यह विभाग पहले से ही प्रयत्न कर रहा है। इस क्रम में राजभाषा विभाग के नए संयुक्त सचिव श्री मुनीश गुप्त की अध्यक्षता में 14-6-78 को पत्रिका उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अन्य बातों के साथ हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के लिए समुचित स्टाफ रखने तथा उनमें हिन्दी के मौलिक लेख आदि छापने के संबंध में निर्णय लिए गए।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्यालय की ओर से देहरादून में स्थित मुख्य पुरातात्विक रसायनज्ञ के कार्यालय में 3-6-78 से 15-6-78 तक हिन्दी कार्यशालय का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में चार राजपत्रित अधिकारियों और 33 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने नियमित रूप से भाग लिया। सरकारी कामकाज हिन्दी में करने का अभ्यास कराने के लिए सर्वश्री राजमणि तिवारी, (राजभाषा विभाग) डा० कैलाश चन्द्र भाटिया, (प्रो० राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी) तथा पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय के ललित मोहन कंडवाल, (अनुभाग अधिकारी), राधा रमण पांडेय, (अनुभाग अधिकारी) तथा हिन्दी अधिकारी डा० सोहन लाल शर्मा की सेवाओं का लाभ उठाया गया। इससे सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए, जो सामान्य झिझक कर्मकारियों में पाई जाती है, वह समाप्त हुई और हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। वस्तुतः इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से राजभाषा अधिनियम 1967 के उपबन्धों को कार्यान्वित कराने के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है और सरकारी कर्मचारियों से सीधे संबंध स्थापित होने के कारण अनेक भ्रांतियों, असुविधाओं और कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है।

हिन्दी ही देश की संपर्क भाषा हो सकती है :

अंग्रेजी हमारे देश की 60 करोड़ जनता के बीच संपर्क की भाषा नहीं हो सकती। यदि ऐसा हुआ तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी कई बाधाएँ उत्पन्न हो जाएँगी क्योंकि अंग्रेजी आम जनता की बोलचाल की भाषा नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि देश भर में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हिन्दी सामान्य रूप से बोली और समझी जाती है तथा हिन्दी में बड़ी सरलता से आपसी बातचीत की जा सकती है, इसलिए वही हमारे देश की 60 करोड़ जनता के बीच संपर्क की भाषा हो सकती है।

हर एक राज्य में वहाँ की भाषा ही राज्य की भाषा होगी। किन्तु समग्र देश में जनता के बीच आपसी व्यवहार का माध्यम हिन्दी ही हो सकती है। इसलिए हमें अंग्रेजी का मोह छोड़ना चाहिए और भारतीय भाषाओं की ओर ध्यान देना चाहिए।

(एक वक्तव्य के अनुसार)

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन और कंपनियों का दूसरा राजभाषा सम्मेलन :

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रणाधीन निगमों और कंपनियों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी निगमों और कंपनियों का एक सम्मेलन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 3 मई, 1976 को बुलाया गया था। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा दिल्ली स्थित सरकारी निगमों और कंपनियों की एक बैठक 29 दिसम्बर, 1976 को बुलाई गई थी। इसी क्रम में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पर विचार-विमर्श करने और राजभाषा संबंधी नियमों और आदेशों के अनुपालन में सरकारी निगमों और कम्पनियों के सामने पेश आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सभी केन्द्रीय सरकारी निगमों और कंपनियों का एक और सम्मेलन 5 अगस्त, 1978 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

□□

[पृष्ठ 40 का शेष]

सप्लाई करवाए जाते थे । टाइपराइटरों की पूर्ति की स्थिति सुधारने के लिए औद्योगिक विकास विभाग और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से चर्चा की गई और उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए । 1976 में, टाइपाइटरों में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, उनसे भी उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिली और 1977 में इस दिशा में बहुत सुधार हुआ । अब स्थिति यह है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के पास 2 माह से अधिक पुराना कोई इनडेंट कार्रवाई के लिए बाकी नहीं है । टाइपराइटरों की पूर्ति की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। यद्यपि, कुंजी पटल बदलने से पूर्ति की स्थिति में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन देवनागरी टाइपराइटर को सुधारा हुआ मानक रूप दे दिए जाने से अब हालत बहुत सुधर गई है और टाइपराइटर के निर्माण में कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है । सच तो यह है कि पिछले परिवर्तन में हाफ-स्पेस की व्यवस्था खत्म करने से इन मशीनों का उत्पादन काफी बढ़ रहा है और उसके और भी बढ़ने की आशा है ।

यह सच है कि टाइपराइटर के कुंजी-पटल में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने से टाइपिस्टों को शुरू में कुछ असुविधा होती है, लेकिन वह अल्पकालीन होती है । वस्तुतः टाइपिस्टों की सुविधा के लिए ही टाइपराइटर को एक आदर्श रूप देना भी जरूरी है, इसलिए, विशेषज्ञों की राय लेकर और टाइपराइटरों के उपयोग से संबंधित राज्य सरकारों आदि के सुझावों पर ही इनमें परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तन टाइपिंग की गति बढ़ाने के लिए, टाइपिस्टों के लिए टाइपिंग आसान करने के लिए, मशीनों में यांत्रिक सुधार करने के लिए, भाषा और लिपि की दृष्टि से टाइपराइटर को यथासंभव आदर्श रूप देने के लिए और उनका उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किए गए हैं । इन परिवर्तनों में से अन्तिम, और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन टाइपराइटरों से संबंधित सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की राय लेकर और उनकी सहमति से किया गया है। यद्यपि अभी भी कुछ छुट-पुट सुझाव प्राप्त होते रहते हैं फिर भी आशा है कि वर्तमान सुधरे हुए मानक कुंजी-पटल को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी ।

□□□

[पृष्ठ 43 का शेष]

'राजभाषा भारती' का प्रवेशांक मिला। यह विभाग हिन्दी को व्यावहारिक बनाने का महत्वपूर्ण कार्य तो कर ही रहा है, अब 'राजभाषा भारती' का प्रकाशन करके उसने एक आवश्यक दायित्व निभाया है।

—दयानन्द वर्मा
सम्पादक, प्रकाशित मन

'राजभाषा भारती' का प्रवेशांक देखने को मिला। इस चिरप्रतीक्षित प्रयास के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार करें। पत्रिका दिनों दिन आगे बढ़े और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो, इसकी कामना सहित पूरे पत्रिका परिवार को बधाई ।

—डॉ० दशरथ प्रसाद गुप्त
भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर

सरकारी कामकाज में उचित स्थान दिलाने के लिए 'राजभाषा भारती' का प्रवेशांक सराहनीय है। मेरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी को उसका उचित स्थान मिल जाएगा।

—विनोद कुमार अग्रवाल
बी० 256, विवेक विहार, शाहदरा

○○

हिन्दी सीखिए और वेतन वृद्धि तथा नकद पुरस्कार पाइए

सुविधाएँ :

1 पढ़ाई और परीक्षा की कोई फ़ीस नहीं ली जाती ।

2 पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं ।

3 कक्षाएं दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं।

4 कक्षाओं में आने-जाने के मार्ग-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

5 परीक्षाओं में बैठने के लिए नियमानुसार यात्रा-भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है ।

6 परीक्षाओं के लिए विशेष छुट्टी दी जाती है ।

7 राजपत्रित अधिकारियों को हिन्दी सीखने के लिये अलग कक्षाएँ भी लगाई जाती हैं ।

8 परीक्षाओं में प्राइवेट रूप में बैठने की भी छूट है।

9 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से पत्राचार द्वारा भी हिन्दी पढ़ाई जाती है ।

10 केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में २-३ महीने में गहन प्रशिक्षण द्वारा पूरा पाठ्क्रम पढ़ाया जाता है ।

निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में इन्दराज किया जाता है।

नक़द और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता ।

प्रोत्साहन :

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर) :

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर ।
2. जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये प्रवीण या प्रबोध की परीक्षा ही अन्तिम परीक्षा है, उन्हें 55% या अधिक अंक पाने पर ।
3. राजपत्रित अधिकारियों को अन्तिम परीक्षा के रूप में प्रवीण या प्राज्ञ परीक्षा 60 % या इससे अधिक अंक लेकर पास करने पर ।
4. जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं, वहाँ के कर्मचारियों को स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की मैट्रिक या उससे उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षा पास करने पर।

(ख) नक़द पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर) :

5. प्रवीण और प्राज्ञ प्रबोध

300 रु०	200 रु०	70% या अधिक अंकों पर
200 रु०	100 रु०	60% ,,
100 रु०	50 रु०	55% ,,

(ग) एक मुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर) :

6. परिचालन कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं :

प्राज्ञ	प्रवीण	प्रबोध
300 रु०	250 रु०	250 रु०

7. मद 4 में लिखी योग्यता वाले कर्मचारियों को 300 रु०

[राजभाषा विभाग (हिन्दी शिक्षण योजना) द्वारा प्रसारित]

विचार कण

हिन्दी के माध्यम से इस विशाल देश के लोग एक-दूसरे को समझ सकेंगे और मिलकर काम कर सकेंगे। हिन्दी को न केवल इस क्षेत्र के बीच, बल्कि सब वर्गों के बीच एक जीवित भाषा बनाना है। हम एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते जहाँ केवल एक भाषा बोली जाती हो, न ऐसे भारत की जहाँ एक ही धर्म का बोलबाला हो लेकिन मुझे आशा है कि भारत के लोग अधिक से अधिक हिन्दी सीखेंगे । हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखें, राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी सीखें और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखें। सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हिन्दी राजभाषा और अन्तरप्रांतीय भाषा के रूप में प्रभावकारी हो, पर हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी ।

—ब० दा० जत्ती,
भारत के उप राष्ट्रपति

भाषा जन जीवन की चेतना का स्पंदन होती है। राष्ट्र ने विगत आम चुनावों में जो शांतिपूर्ण क्रांति करके दिखाई है वह उसकी चेतना की अभिव्यक्ति ही है। अब उस परिवर्तन को जन-जन के कष्टों से मुक्ति दिलाने की दिशा में उन्मुख करना है। इसके लिए एक विशिष्ट वातावरण की सृष्टि आवश्यक है ताकि लोग आत्मप्रेरित होकर रचनात्मक कार्यों में जुटें । इसके लिए समुचित विचारों का भरपूर प्रचार आवश्यक है। हिन्दी इसका एक उत्तम माध्यम सिद्ध हो सकती है।

—मधु दंडवते,
रेल मंत्री

भारत के सार्वजनिक जीवन में हिन्दी का महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः सदियों की दासता के कारण हमारी सभी भारतीय भाषाओं की प्रगति अवरुद्ध रही है। पिछले दो सौ वर्षों में अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण भारतीय भाषाओं को पनपने का मौका नहीं मिला। राष्ट्रीयता के एक प्रमुख अंग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी के प्रचार का नेतृत्व किया था और हिन्दी प्रचार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया था।

—जार्ज फर्नान्डीज़,
उद्योग मंत्री

स्वतंत्रता के 30 वर्ष के बाद भी हिन्दी भाषा का सारे देश में अब तक पूर्ण रूप से प्रचार नहीं हुआ है। अब यह परम आवश्यक है कि हिन्दी भाषा को जन-जन की भाषा बनाने के लिए, प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के लिए हिन्दी तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार किया जाए।

—धर्मवीर
भूतपूर्व राज्यपाल, पश्चिम बंगाल

□□

प्र०भा०स०मु० रि०रो० न०दि०—पांच—27 एच०ए०/78—12-9-78—3,000

रजि० नं० 32456/78

हिन्दी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है

□ □ □

आइए हम

अपना अधिक से अधिक

सरकारी कामकाज

हिन्दी में करने का

संकल्प लें

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 23-24 बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित